ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 12 Oct. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

महिला अपराध एवं भारतीय समाज

आर. डी. मोर्या
भावना टेपन
डॉ. बी आर अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय, अम्बेडकर नगर महू (म. प्र.)

संक्षेपिका :– महिला का अपराध, अपमान, शोषण दमन तिरस्कार एवंम यन्त्रणा उतना ही प्रचीन है। जितना कि पारिवारिक जीवन का इतिहास। नारी ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना है। संसार मे जो कुछ सत्य, सुन्दर है। नारी उसका प्रतीक है। नारी केवल मॉस–पिण्ड की संज्ञा नही है। आदिम काल से आज तक विकासपथ पर पुरूषों का साथ देकर, उसकी यात्रा को सरल बनाकर उसके अज्ञिशापो को स्वंय झेलकर और अपने वरदानो से जीवन मैं अक्षया शक्ति भरकर, मानवो ने जिस व्यक्तित्व चेतना और हदय का विकास किया है।उसी का पर्याय नारी है। (पटेल 2002) महिलाओ को अधिकार प्रदान करने की प्रकिया इतनी मंद अव्यवस्ति एवंम असंगत रही है कि समाजिक, आर्थिक एवंम राजनैतिक रूप से वे पुरूषो से काफी पीछे है रही है (इन्दू 1998) नारी अपने को अच्छी शिक्षा दिला सके जिससे वो अपना अच्छा केरियर बना सके एवमं अच्छा जीवन जी सके। (मुखर्जी 2001)

महिला अपराध एवंम भारतीय समाज

प्रस्तावना :– महिला का अपराध, अपमान, शोषण दमन तिरस्कार एवंम यन्त्रणा उतना ही प्रचीन है। जितना कि पारिवारिक जीवन का इतिहास। नारी ईश्वर की श्रेठतम रचना है। संसार मे जो कुछ सत्य, सुन्दर है। नारी उसका प्रतीक है। नारी केवल मॉस–पिण्ड की संज्ञा नही है। आदिम काल से आज तक विकासपथ पर पुरूष का साथ देकर, उसकी यात्रा को सरल बनाकर उसके अज्ञिशापो को स्वंय झेलकर और अपने वरदानो से जीवन मैं अक्षया शक्ति भरकर, मानवो ने जिस व्यक्तित्व चेतना और हदय का विकास किया है। उसी का पर्याय नारी है। (पटेल 2002).महिलाओ को अधिकार प्रदान करने की प्रकिया इतनी मंद अव्यवस्ति एवंम असंगत रही है कि समाजिक, आर्थिक एवंम राजनैतिक रूप से वे पुरूषो से काफी पीछे है रही है। (इन्दू 1998).

नारी मैं प्रथ्वी जैसी सहनशीलता, आकाश के जैसा बड़ा हदय और किसी लदे हुए फलो के वृक्ष की तरह विनम्रता है। जो खुद तपती गर्मी मैं धुप में खड़ी रहती है। ताकि वो अपने को शीतल छाया दे सके एवम वो अपनीस ममता अपने प्यार से को जिन्दगी के पेंड़ो से बचा सके वो अपनो का पालन पोषण कर सके। नारी अपने को अच्छी शिक्षा दिला सके जिससे वो अपना अच्छा केरियर बना सके एवमं अच्छा जीवन जी सके। (मुखर्जी 2001).

इसके बावजूद पत्थर मारकर फल खाने की समाज की पुरानी आदत रही है चाहे नारी कितनी भी आगे बड़ जाय समाज उसको पीछे खीचता है। एवंम नारी को झुकाने की चाहे करता है (आहूजा 1987). जब कभी महिलाओं के संदर्भ में अपराध, हिंसा, अत्याचार की बात की जाती है तो इस क्रम मे हमारा आशय प्रकट होता है। एवंम शारीरिक हिंसा तक ही सीमित होता है। पर महिलाओं के मन और अतंर्मन को आहत करती है। अपराध का उनके दिलो –दिमाग पर कितना गहन गंभीर व स्थायी दुष्प्रभाव पड़ता है। और इस और प्राय लोगो का ध्यान नही जाता (शर्मा 1996).

सवाल यह उठता है कि वह हिंसा के कौन –कौन से प्रकार है जो एक नारी के मन और अन्तर्मन को अपराधो में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। राष्ट्रीय रिकार्ड ब्यूरो की ताजा रिर्पोट मे अनुसार दो वर्ष मै महिलाओ के खिलाफ अपराध की संख्या दो मै 12 प्रतिशत की बढोतरी हुई है। इन अपराधो में अपहरण, दहेज, हत्या, मानसिक एवंम शारीरिक उत्पीडन और योन शोषण जैसे अपराध शामिल है। (अंसारी 1999)

सामाजिक चुनोतियो को स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ तथ्यो पर नजर डालते है। (अंजली 2005)

1. भारत मैं 16 साल की 21 प्रतिशत महिलाओ पर किसी न किसी रूप मैं घरेलू हिंसा का शिकार होती है।

2. प्रत्येक 7 मिनिट पर एक महिला अपराध तथा प्रत्येक 24 मिनिट पर यौन शोषण का शिकार हो रही है

3. 43 मिनिट के अंतराल पर एक महिला का अपहरण 54 मिनिट पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ एवंम बलात्कार की कोशिश की जाती है महिलाओ के

खिलाफ ज्यादातर हिंसा एवंम अपराध का शिकार अपने पतियो के कारण होती है। क्योकि पतियो द्वारा शराब के नशे में उन पर अत्याचार किया जाता है (द्विवेदी 2005)

ऑकड़े के अनुसार छः प्रतिशत घटनाओं के प्रमुख कारण समय पर पति को भोजन नही परोसा जाता है। जबकि 51 प्रतिशत महिलाए अपने अपने पतियो के मन पंसद व्यंजन नही परोसने के कारण पिटती है।

महिला अपराध के कारण :– आज के इस आधुनिकता के दौर में महिला कार्यशील तो हो गई है परन्तु साथ ही साथ उसके लिये अत्याचार, अपराध, प्रताड़ना के कई दरवाजे भी खुल गये है। कुछ ने किसी मजबुरी के चलते तो कुछ ने समाज में अपना वजुद कायम करने के लिये कार्यक्षेत्र में कदम तो आगे बढ़ाया मगर उसकी कुटनीति से लड़ने के लिये हिम्मत नही जुटा सकी

महिला अपराध के कारण **कुल योग 250**

कारण	संख्या	प्रतिशत
1. कमजोर परिवारिक आर्थिक स्थिति।	69	27.60
2. महिलाओ में आत्मनिर्भर बनने की ललक।	57	20.40
3. आर्थिक स्थिति मैं सुधार हेतु।	59	23.60
4. अधिकांश महिलाओ पर आधुनिकता के प्रभाव के कारण।	47	18.80
5. नोकरी खोने के डर से।	46	18.40
6. पुरूषो की बराबरी करने की चाह में।	28	11.20
7. बदनामी के डर से।	35	14.00
8. विरोध आकार पाने के कारण।	48	19.20
9. आर्थिक रूप से दुसरे पर निर्भरता के कारण।	30	12.00
10. दोहरे सामाजिक मुल्य एंव प्रतिमान के कारण।	33	13.20
11. अन्य कारण।	–	–

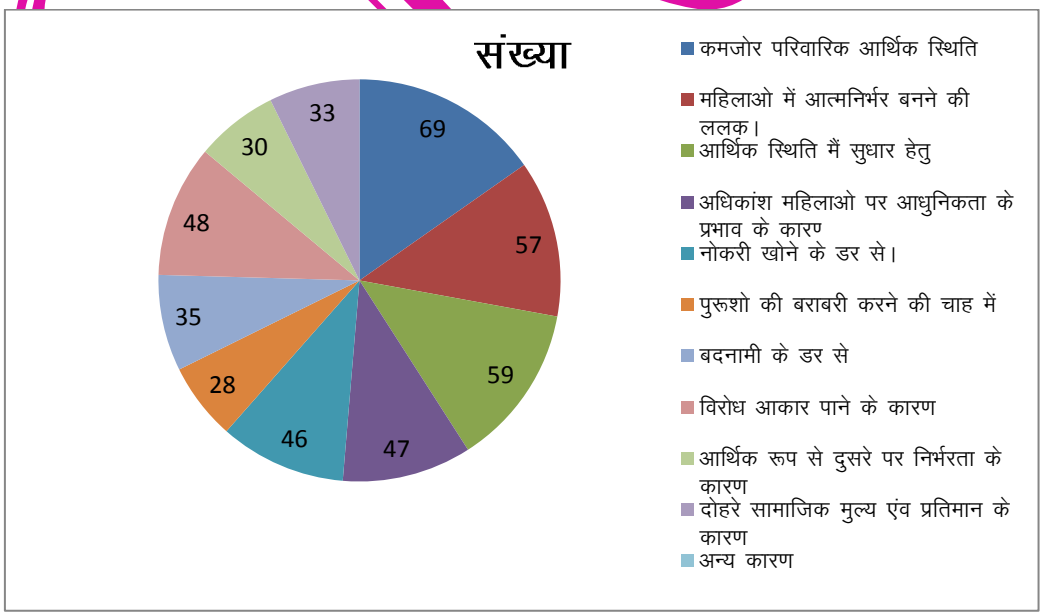

नोट – यधपि सुचनादातोओं की संख्या 250 है तथपि सुचनादाताओ द्वारा एक से अधिक उत्तर देने के कारण कुल संख्या 393 है।

महिला अपराध के प्रकार **कुल योग 250**

प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1. मानसिक	160	64.00
2. आर्थिक	70	28.00
3. शारीरिक	69	27.60
4. पारिवारिक	52	20.80
5. एक से अधिक प्रकार	14	5.60
6. किसी प्रकार से नही	37	14.80

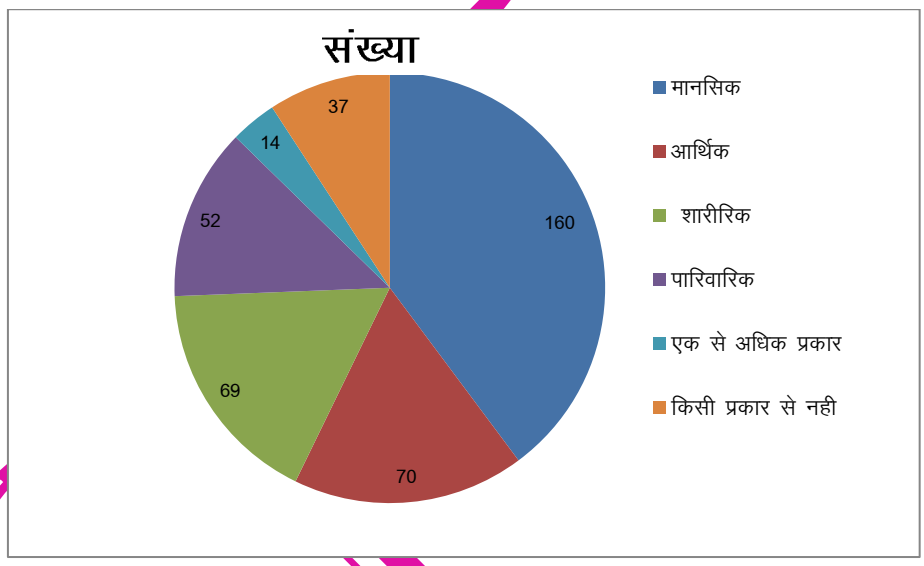

नोट : यधपि सुचनादातोओं की संख्या 250 है तथपि सुचनादाताओ द्वारा एक से अधिक उत्तर देने के कारण कुल संख्या 402 है।

समाज में महिला अपराध का स्थान **कुल योग 250**

स्थान	संख्या	प्रतिशत
1. घर में	74	29.60
2. सार्वजनिक स्थान	29	11.60
3. कार्य स्थल	78	31.20
4. गली – महौल्ले में	37	13.60
5. बस टेम्पो आदि	47	18.80
6. सभी जगह	19	7.60
7. कही नही	37	14.80

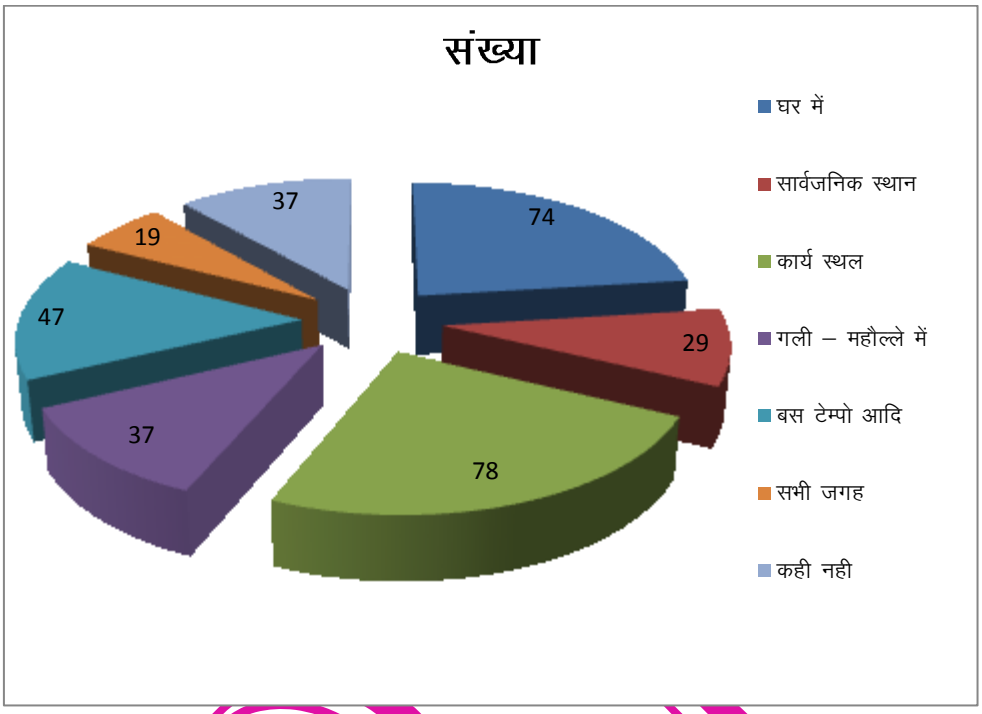

नोट : यधपि सुचनादातोओं की संख्या 250 है तथपि सुचनादाताओ द्वारा एक से अधिक उत्तर देने के कारण कुल संख्या 321 है।

समाज मैं महिला अपराध का प्रभाव :– महिला अपराध कही ना कही सामाजिक , मानसिक, शारीरिक आदि रूपो मैं प्रभावित करता है। महिला अपराध की घटनाऐं एक और तो महिलाओ की स्थिति का समाज मैं निम्न और दयनीय बनाती है। वही दूसरी ओर पैसा कि मार्क्स अपने वर्ग संघर्श के सिद्धांत मैं सर्वहारा वर्ग के संदर्भ में वर्ग चेतना की बात करते है।

अनेकानेक महिला आंदोलन और उनके द्वारा निर्धारित किये जाने वाले कार्यक्रम निर्मित कानुन इस तथ्य की प्राप्ति करते है। आये दिन समाचार पत्र पत्रकाओ में आये दिन प्रकाशित होने वाली खुज में बताया जाता है की महिला ने अपने बचाव में किसी की हत्या कर दी। या किसी को पिट–पिट कर घायल कर दिया या फिर अपने बचाव में उसने आत्महत्या कर ली।

समाज में महिला अपराध के खिलाफ आवाज ना उठाने के कारण : महिला अपराध एवंम महिला की ये उपेक्षा ये सब कब से चला आ रहा है। इसका अन्त किन्तु नही है। क्योकि काफी हद तक अपराध का कारण महिला खुद ही है। वह अपने साथ हो रहे अत्याचारो को अपनी नियति मानती है।

क्योंकि बचपन से उसके संस्कारो में खुद स्त्री ही उसे ये सब सिखाती है। चाहे महिला कितनी भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाये एवंम चाहे कार्य ाील महिला कितनी ही आगे निकल गई है। परन्तु अब भी वह अपने साथ हो रही प्रताड़ना के खिलाफ बोलने का साहस नही कर पाती और इसलिए वह पुरी जिदंगी एक चार दिवारी मैं चुप–चाप गुजार लेती है। एवंम अपने अधीकारो के प्रति जागरूक नही हो पाती है।

महिला अपराध को समाज में रोकने के उपाय :– महिला अपराध का मुखय कारण समाज मैं महिला के आस–पास के लोग होते है। आर्थात परिवार वाले, साथ काम करने वाले या जान पहचान वाले होते है। किन्तु स्थिति हर जगह एक सी नही होती। कही–कही अगर इनमें से कोई भी महिला का सहयोग करे तो वह अपने साथ हो रहे अपराध के खिलाफ आवाज उठा सकती है। और अगर वह अपराध के खिलाफ बनाये अधिकारो के प्रति जागरूक हो जाये तो स्थिति काफी हद तक स्वयं ही सुधर सकती है।

समाज में महिला अपराध रोकने के उपाय कुल योग 250

रोकने के उपाय	संख्या	प्रतिशत
1. यदि उसके पास परिवारिक सहयोग हो	57	22.80
2. कार्य स्थल पर कार्य करने वाली साथी सहयोग दें	51	20.40
3. वह स्वंय में पुरी तरह मजबूत और अपने अधिकारो के प्रति जागरूक रहें	107	42.80
4. सरकारी गैर सरकारी संगठन की सहायता द्वारा	42	16.80
5. पारिवारिक सामंजस्य बनाकर	34	13.60
6. सरकारी प्रयासो द्वारा	25	10
7. अन्य	6	2.40

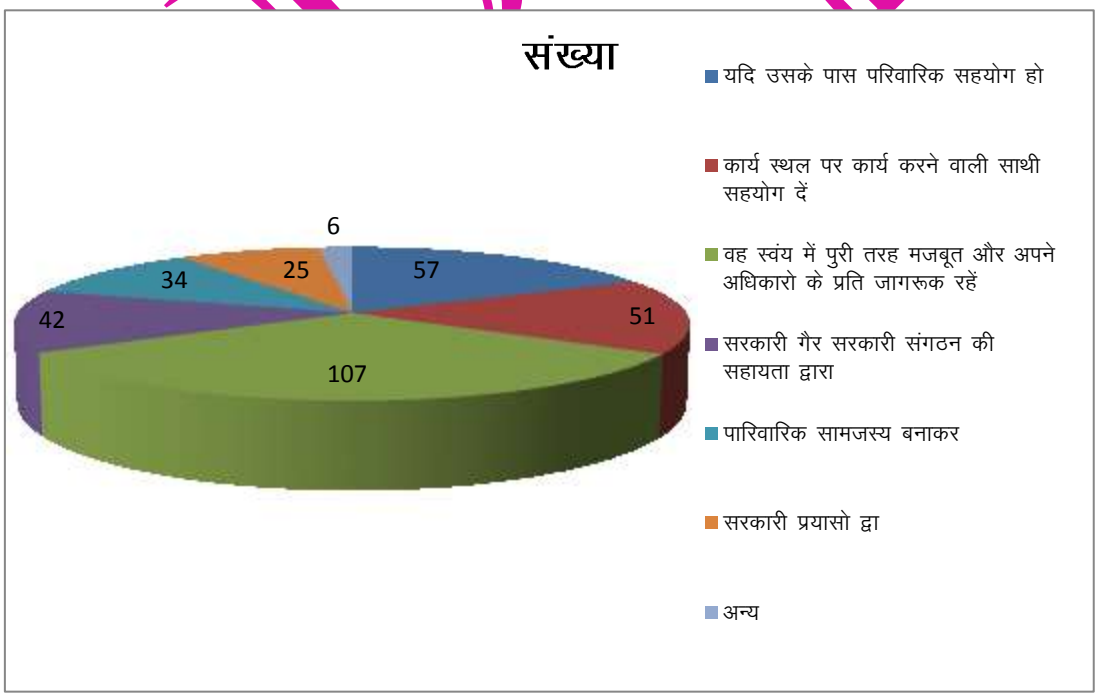

नोटः यधपि सुचनादातोओं की संख्या 250 है तथपि सुचनादाताओ द्वारा एक से अधिक उत्तर देने के कारण कुल संख्या 322 है।

महिला का समाज में अपराध कम करने के सुझाव कुल योग 250

प्रयासो का स्तर	संख्या	प्रतिशत
1. व्यक्तिगत स्तर पर	99	39.68
2. पारिवारिक स्तर पर	47	18.80
3. महिला संगठनो द्वारा	45	18.00
4. पंचायत नगर पालिका द्वारा	5	2.00
5. जातीय स्तर पर	8	3.20
6. धार्मिक नेताओ दलो द्वारा	4	1.60
7. राजनैतिक नेताओ व दलो द्वारा	7	2.80
8. न्यायालय अदालत के द्वारा	12	4.80
9. भगवान भाग्य के द्वारा	38	15.20
10. सरकारी प्रयासो से	28	11.20
11. किसी के द्वारा नही	45	18.00
12. अन्य	–	–

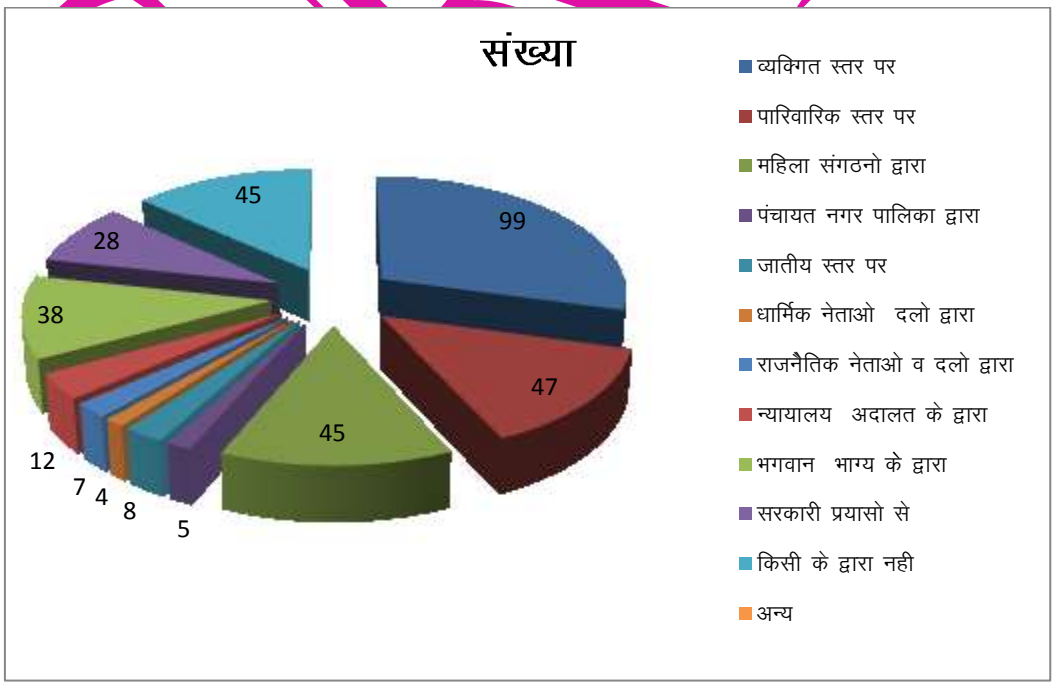

नोटः यधपि सुचनादातोओं की संख्या 250 है तथपि सुचनादाताओ द्वारा एक से अधिक उत्तर देने के कारण कुल संख्या 338 है।

निष्कर्ष :– 21 सदी में नारी अपराध कि स्थिती मैं कुछ बदलाव आया है। व पर्दापण करने के बावजूद भी भारतीय समाज में नारी को आज भी वह दर्जा नही मिला जिसकी वह अधिकारी है आज भी नववधू को निर्भयतापूवक जलाया जाता है आज भी कन्या का जन्म बुरा माना जाता है। कन्या भ्रुण है तो उसकी हत्या करवा दी जाती है। आज नारी समाज अपनी पहचान बना रही है पुरूष प्रधान क्षेत्रों में भी महिलाए ज्वलन्त चेतना प्रदर्शित कर रहीं है। शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, अनुसंधान एंव अन्य क्षेत्रों में अपना स्थान बना रही है। फिर भी समाज में नारी के प्रति संर्कीण मानसिकता दिखाई देती है एवंम नारी अपराधी की स्थिति दयनीय एंवम अपराधी महिला को आज भी भारतीय समाज में सही स्थान नही दिया गया है।

संदर्भ सूची :–

1. पटेल, अनिता 2002 ''महिला अपराधी एवंम उत्पीड़न का सिलसिला कब तक'' योजना पत्रिका, जून, पेज न 31
2. आहुजा, राम 1987 भारतीय सामाजिक समस्याऐ रावत पब्लिकेशन्स, जवाहर नगर, जसपुर पेज न 238
3. अंसारी, एम ए 1989 ''नारी चेतना और अपराध'' पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पेज न –156
4. होरा आशारानी 2005 भारतीय समाज मैं स्त्री'' नटराज प्रकाशन, दिल्ली,पेज न–401
5. शर्मा विष्णुदल 1999 ''नारी और न्याय'' शोध प्रकाशन एकाडमी गाजियाबाद पेज नं 123
6. होरा आशारानी 2005 ''आधुनिक समाज में स्त्री'' नटराज प्रकाशन, दिल्ली, पेज नं 71
7. अजंली 2005 ''भारत में महिला अपराध'' राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली, पेज नं 72
8. द्विवेदी, राकेश 2005 महिला सशक्तीकरण चुनौतिया एवंम रणनितिया प्रकाशन भोपाल, पेज नं 120–127
9. पाण्डेय, प्रतिभा 2007 ''भारतीय स्त्री, दशा एवं दिशा योजना पत्रिका, मार्य पेज नं 66
10. शर्मा, कुमुद 2002 ''स्त्री घोष, प्रतिभा प्रतिष्ठान '' नई दिल्ली, पेज नं – 14
11. सारस्वत, स्वनिल 2005 ''महिला विकास एक परिदृश्य'' नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज नं 58
12. द्विवेदी, राकेश 2005 ''महिला सशक्तिकरण : चुनौतिया एवंम राजनीतिया : पूर्वा प्रकाशन भोपाल, पेज नं –49

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 12 Oct. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

उभरते भारतवर्ष निर्माण में पंचायती राज की चुनौतियाँ

जगतसिंह बामनिया
(शोधार्थी), अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन
डॉ. सारा अत्तरी
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुरा, नीमच (म.प्र.)

सारांश :– भारत में पिछले दो दशकों से चल रही बदलाव की बयार से उभरता भारत निर्माण अछूता नहीं रहा है। इन दो दशकों में भारतवर्ष की तस्वीर बदली है, लोगों का रहन–सहन बदला है और इसमें संचार माध्यमों के प्रसार के साथ–साथ भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाओं का विशेष योगदान है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली और सड़क जैसी सुविधाओं ने नया भारत का निर्माण कर भारतीय गाँवों का जीवन बेहतर किया है। जनसंचार माध्यमों की बहुआयामी पहुँच और गाँव के लोगों द्वारा इन माध्यमों के उपयोग ने गाँवों और शहरों के बीच की खाई को भी कम किया गया है। आप शिक्षित हो गए तो अपने अधिकारों को खुद ही ले सकते हैं किसी बैसाखी की जरूरत नहीं। देश आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में पंचायतीराज संस्थाओं का आर्थिक प्रभाव बढ़ा है। अब समय आ गया है कि प्रत्येक भारतवासी बदलाव के साथ परिवर्तन कर इस सुनहरे एहसास को कायम रखते हुए इसमें अपनी भूमिका सुनिश्चित करे। गाँव के देश और कृषि आधारित भारत की अर्थव्यवस्था में स्मार्ट गाँव उभरते भारतवर्ष बदलते वक्त की हकीकत बनने जा रहा है। उभरते भारत निर्माण से सशक्त भारत बनने की यह प्रशस्त हो सकती है। लेकिन सबसे पहले सड़क, शौचालय, बिजली, पेयजल, शिक्षा, रोजगार, घाटे की शैली और पंचायतीराज की समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीण भारत की बुनियादी समस्याओं को दूर करना जरूरी है।

प्रस्तावना :– भारतीय समाज मानव के इतिहास की एक गौरव गाथा है। लाखों वर्षों के आरोह अवरोह के बाद भी इसका अस्तित्व अक्षुण्ण बना हुआ है। भारतीय संस्कृति विश्व के प्रकाश देने के लिए दीपक का कार्य करती है। भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण एवं चिरस्थायी बनाए रखने के लिए प्राचीन समूह एवं आत्म निर्भर गाँवों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय ग्रामीणों की गौरवगाथा का मूलमंत्र पंचायत व्यवस्था में समाहित है। भारतीय गाँव भारत की आत्मा है/का अभिन्न अंग पंचायतीराज संस्थाए हैं। पंचायतीराज संस्थाओं के बिना विकास सम्भव नहीं है। सरकार द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों द्वारा ही किया जाता है। आर्थिक विकास पंचायतीराज व्यवस्था द्वारा हो सकता है। यदि उनका क्रियान्वयन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किया जाए।

भारत के संविधान के 73 वें संशोधन के अनुरूप प्रदेशों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सफल बनाने के लिए विकास योजनाओं को मूर्तरूप दिया जाता है ताकि लोकतांत्रिक ग्रामीण व्यवस्था ओर जनभागीदारी को सुदृढ़ करना आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए संविधान की 11 वीं अनुसूची में वर्णित विषयों से संबंधित योजाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं प्रबंधन के बारे में पदाधिकारियों को समुचित मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण देना पंचायतों को अनेक अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व को पारिस्थिति कराके ग्रामीण विकास त्वरित गति से हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना आज देश में 2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुनकर इसमें जन और उनके प्रतिनिधियों, शासन एवं शक्तियों के बीच सम्पर्क अपेक्षाकृत निरन्तर सतर्कतापूर्ण एवं अधिक नियंत्रणपूर्ण होते है। लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला और उसकी सफलता की सबसे अधिक गारंटी स्थानीय स्वायत शासन का संचालन है।

अध्ययन की आवश्यकता :– उभरते भारत में पंचायती राज संस्थाओं के अधिसंख्य जनप्रतिनिधि एवं शासकीय कर्मचारी अधिकारी अपने क्षेत्र एवं विषय में विशेषज्ञता लिए हुए होते हैं। वे कई मामलों में अच्छे वक्ता भी होते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि उन्हें विभिन्न तरह से सशक्त बनाया जाए। अब तक का अनुभव यह बताता है कि यह वर्ग कई कारणों से अपनी शक्तियों का निर्वहन नहीं कर पाया है जिसमें शक्तियों का अपर्याप्त हस्तान्तरण एवं प्रत्यायोजन भी एक है। पंचायतीराज प्रतिनिधियों के लिए यह आवश्यक है कि पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना की स्थिति, क्षेत्राधिकार प्राधिकार एवं अन्तर्निहित सिद्धान्तों की

सीमाओं को वे जाने। ऐसा करने के लिए यह आवश्यक है कि उनमें क्षमता विकसित की जाए तथा उनका सशक्तिकरण किया जाए। यद्यपि पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के प्रशिक्षण में कई संस्थाएँ संलग्न हैं। परन्तु अभी तक का अनुभव यह बताता है कि संस्थाएँ पंचायत राज संस्थाओं के मध्य ऐसे वातावरण का निर्माण करने में सफल नहीं होते है। जिससे कि वे जन सामान्य के द्वारा उनमें व्याप्त विश्वास को आवश्यक रूप से बनाये रखे।

उभरते भारतवर्ष में पंचायत राज संस्थाओं की चुनौतियाँ :– वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव अपेक्षित है। न केवल नीतिगत–स्तर पर वरन् ढांचागत स्तर पर भी। शिक्षा को ज्यादा रोजगारपरक बनाया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति और ई–शिक्षा, दोनों के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक–स्तर पर तकनीक की मदद से शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हुए बदलाव निश्चित तौर पर भारत के लिए बेहतर संकेत हैं। एक लाख करोड़ रूपये के अति महत्वकांक्षी डिजिटल इंडिया मिशन के अन्तर्गत भारत के सभी स्कूलों को वाई–फाई से जोड़कर बहु ज्ञान केन्द्र खड़ा किया जाना है। इसके साथ ही स्तरीय पाठ्य सामग्री ग्रामीण भारत के बच्चों के पास भी सहज उपलब्ध हो सकेगी।

ग्रामीण भारत को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का स्वप्न गांधी के ग्राम स्वराज से लेकर आधुनिक समय के स्मार्ट विलय तक की यात्रा तय कर रहा है। लेकिन धरातल पर देखें तो स्थिति जस की तस बनी हुई है हालांकि यह दौर संक्रमण का है। ग्रामीण भारत की विकास की मुख्यधारा और ग्लोबल विलेज के दायरे में खींचने का कार्य किया है। जिससे भूमिगत भारत मेट्रो मसरूफ भारत अब एक नियत कला की ओर एक स्वयं तेज से बढ़ने लगे है। भारत सरकार के साथ कई वर्ग कम्पनियों ने भी डिजिटल भारत के सपने को साकार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है।

शिक्षित समाज से अपेक्षा :– आज बुद्धिजीवी वर्ग में यह सर्वस्वीकार्य हो चुका है कि भारतीय जनता के हक और समता से वंचित करना एक लोकतांत्रिक समाज के लिए घातक है। तब इस तरह के विचारों का किसी भी रूप में समाज में प्रचलित होना स्वीकार्य नहीं किया जाना चाहिये। चाहे हमारा समाज ऐतिहासिक कारकों के आधार पर भारतीय समाज में आए या निम्न देता रहा है। वह समय और वह समाज आज के समय और समाज से काफी भिन्न था आज उस तरह के ना विचार है और ना ही वैसी परिस्थितियाँ फिर भी हम उसी पुरानी मानसिकता से क्यों ग्रसित हैं। शिक्षा ऐसी चीज है जो व्यक्ति समाज और नया राष्ट्र निर्माण के लिए एक अमूल्य निधि है।

तकनीकी जानकारी का अभाव :– उभरते भारतवर्ष में गाँव–गाँव तक इस प्रकार की सुविधाएँ पहुँचाने का काम अभी भी एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण संपर्क की मूलभूत जरूरतों की आज भी महती आवश्यक है, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के संग अब तो हम डिजिटल नेटवर्क की भी बातें करने लगे हैं। भारतीय किसान समाज का डिजीटल सुविधाओं से लेस करने के लिए सरकार भी कदम बढ़ा रही है किसान के लिए मोबाइल एप हो या फिर इंटरनेट के जरिये पंचायत स्तर तक सरकारी कामकाजों को जोड़ा है औ हर संस्थाओं में इन्टरनेट की सुविधाएँ हैं। इसके बावजूद जब हम ग्रामीण संपर्क की बात करने बैठते हैं तो अभी भी हम कहीं न कहीं गाँव से दूर हैं। हालांकि सरकार दूरियाँ पाटने में लगी है।

भूमि संसाधन संरक्षण :– भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में भूमि संसाधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि जब तक भूमि संसाधन पर ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक खाद्य जरूरतें पूरी नहीं हो पायेगी। खेती योग्य रकबा निरंतर कम होता जा रहा है। भारत की कुल भूमि क्षेत्रफल करीब 329 मिलियन हेक्टेयर है उसमें खेती करीब 144 मिलियन हेक्टेयर में होती है। जबकि लगभग 178 मिलियन हेक्टेयर भूमि बंजर है। आंकड़ों पर गौर करें तो विश्व की कुल भूमि का 2.5 हिस्सा भारत के पास है। दुनिया की 17 प्रतिशत जनसंख्या का भार भारत वहन कर रहा है। देश की जनसंख्या सन् 2050 तक करीब एक अरब 67 करोड़ 38 लाख से ज्यादा होने की सम्भावना है। भारत में हर साल करीब 2600 मिलियन टन मृदा उत्पादन होता है। देश में करीब 71 लाख हेक्टेयर भूमि की मृदा उसर से प्रभावित है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में वर्ष 1951 में मनुष्य भूमि अनुपात 0.48 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति था जो दुनिया में सबसे कम था। वर्ष 2028 तक घटकर यह आंकड़ा 0.23 हेक्टेयर होने का अनुमान है। ऐसे में खेती के भूमि संसाधन के जरिये

एक बड़ी चुनौती से निबटा जा सकता है। उपजाऊ मिट्टी की सुरक्षा किया जाना भी बेहद जरूरी है।

जल प्रबंधन :– हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वृक्ष ही जल है, जल ही अन्न है, और अन्न ही जीवन है। हमारे देश में बाढ़ का अधिक प्रकोप उन्हीं इलाकों में देखा गया जहाँ धरती के संरक्षक वनों की कमी है। वृक्ष और जल का सम्बन्ध मौटे तौर पर समझ लेने के बाद अब जल और अन्न का सम्बन्ध भी समझ लें। इस बरसात ने हमारे प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई का रकबा इतना बढ़ा दिया कि हम देश में तीसरे नम्बर पर पहुँच गये। लगातार चार वर्षों से कृषि कर्मण अवार्ड जीतने वाला मध्यप्रदेश।

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल मध्यप्रदेश में रबी फसल का रकबा 21 लाख हेक्टेयर हो गया है। जो कि राजस्थान के 28. 88 और महाराष्ट्र के 25.27 हेक्टेयर के बाद देश में सर्वाधिक है। याद रहे कि खरीफ फसल में अरहर जैसी दालों का उत्पादन होता है जिसका देश में अभाव था और इसके लिए विदेशों से करार किया जाता है।

स्वानुशासन बगैर सुराज नहीं देती आर्थिक आजादी :– पंचायतों और स्थानीय निकायों को हासिल होती आर्थिक आजादी गाँव व छोटे नगरों में सुराज रमा पायेगी या नहीं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारी पंचायतों और शहर स्थानीय निकाय 'स्वराज' पानी स्वानुशासन के लिए किस हद तक संकल्पित है। स्वानुशासन के बिना यह आर्थिक सुराज की बजाय कुराज लाने वाली भी साबित हो सकती है। जैसे ज्यादा खर्च ज्यादा सुविधाएँ मिलने से विद्यार्थी उम्र के बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती है।

पंचायती प्रशिक्षण व समता विकास को 653 करोड़ :– गौरतलब है कि हमारी पंचातीराज संस्थान की एक भूमिका केन्द्र और राज्य प्रायोजित ग्राम्य योजनाओं की क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में है। इन योजनाओं में आवंटित धन के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए विवेक, समझदारी, पारदर्शिता के अलावा उचित कौशल अच्छी क्रियान्वयन और जानकारी की जरूरत भी कम नहीं। इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इस बजट में "राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान" की घोषणा की गई है। इस अभियान के लिए 653 रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

स्वराज योजना के आकलन पर अभियान की नींव :– यदि पूर्व संचालित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के आलोक में निगाह डाले तो कहना न होगा कि पंचायतीराज प्रणाली के सशक्तीकरण में राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान नया है और इसका लक्ष्य भावी पंचवर्षीय योजना (2011–12) के दौरान पेश राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम का लक्ष्य भी ग्राम सभा को पंचायतीराज की बुनियाद को उभारने का था। बुनियादी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना में ग्रामसभा की भूमिका को सबसे प्रभावी बनाने की बात की गई है। उस योजना की भी यह मंशा थी पंचायतों को अपनी सरकार के रूप में कार्य करने हेतु शामिल किया जाए केन्द्र तथा राज्य के बीच में कोष अनुपात 75:25 तय किया गया था। प्रशिक्षण के लिए 55 बिन्दु तय किये गये थे।

पंचायतों द्वारा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी एवं क्रियान्वयन :– कृषि, कृषि विस्तार को सम्मिलित करते हुए। भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण। लघु सिंचाई जल प्रबन्ध और जल फैलाव विकास। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी लघु वनोपज। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सम्मिलित करने हेतु लघु उद्योग। खादी ग्रामो उद्योग, ग्राम तथा कुटीर उद्योग ग्रामीण आवास। पेयजल। ईंधन तथा चारा। सड़क पुलिया, पुल पारधार जलमार्ग तथा आवागमन के अन्य साधन। विद्युत का वितरण सम्मिलित करते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण। अपारस्परिक ऊर्जा स्त्रोत। गरीबी उन्मूलन योजना। प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा। प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा। पुस्तकालीय सांस्कृतिक क्रियाकलाप। बाजार तथा मेले। अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, औषधालय सहित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। परिवार कल्याण। महिला तथा बाल विकास। विकलांग मानसिक रूप से बाधिता को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण। कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों का कल्याण कर लोक वितरण पद्धति एवं सामुदायिक परिसम्पत्तियों का संरक्षण तथा भारत निर्माण करना।

सुझाव :– इसलिए पंचायतों की कारगर और साझेदारी वाली भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये सुझाव क्रियान्वित करने के लिए दिये गये हैं।

पंचायतीराज मंत्रालय की भूमिका एक नोडल मंत्रालय के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। ताकि संबद्ध मंत्रालय के छः विषयों को सलाह मशविरा करके गाँव ब्लाक और जिला स्तर पर पीआरआई की भूमिका की रूप रेखा निश्चित की जा सके। इस रूपरेखा का प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली ग्रामीण बुनियादी ढांचा संबंध में एक और महत्वपूर्ण विषय यह हो सकता हे कि पंचायतीराज प्रणाली को मजबूत किया जाये।

अपेक्षित कृषि, वित्त और कार्य करने वालों को पंचायतों में स्थापित किया जाना चाहिये ताकि वे स्वशासन के संस्थान के रूप में कार्य कर सके और उनके स्तर पर आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार की जा सके। बी.एन. के छः विषयों को मिलाकर पंचायतों की सभी योजनाओं का हिस्सा बनाया जाए इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 243 जी और 243 जैडी को तुरन्त प्रभावी बनाया जाना चाहिये। अन्यथा बी.एन. अधूरा रह सकता है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रारूप को देश भर में डीपीसी द्वारा तैयार योजनाओं को शामिल करके तैयार किया जाना चाहिये।

बीएन के तहत केन्द्र और राज्य सरकारों से मिलने वाली वित्तीय सहायता के अलावा पंचायतों का इस उद्देश्य के लिए अपने संसाधन जुटाने के उपाय करने चाहिये। गाँव की परिधि में अपनी जमीन पर खुद अपनी आवासीय कालोनियाँ विकसित कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए वे वित्तीय संस्थाओं से भी संसाधन जुटा सकती है। ताकि लागत को बांटकर सस्ते सुलभ और स्वीकार्य मकानों का निर्माण किया जा सके। इस लिए पंचायत को अपनी भूमि पर ऐसी योजनाओं को शुरू करने के लिए आगे आना होगा। इस तरह से प्रस्ताव खासतोर से बड़े गाँवों के लिए व्यवसाय और लाभ की दृष्टि से फायदेमंद साबित होंगे जो सड़क के किनारे पर हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा में कई ऐसी पंचायत हैं जिनकी वार्षिक आय लाखों रूपये है। ये पंचायत इस तरह की परियोजनाओं क आसानी से शुरू कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें और वित्तीय सहायता की आवश्यकता है तो यह वित्तीय संस्थाओं से हासिल किया जा सकता है।

निष्कर्ष :– देश में बीएन को कियान्वित करने और निर्धारित समय से पहले लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीआरआई की महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन यह तभी संभव है जब देशभर की लाखों पंचायतों को अपने स्तर पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ तैयार करने के लिए स्वायतता दी जाये और उन्हें अधिकार दिए जायें। ग्राम पंचायतों से जिला पंचायतों तक योजना समिति तक की योजनाओं को जोड़ा जाना चाहिए तथा योजनाओं को संचालित करने के उचित निर्देश के साथ–साथ प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है तथा राजनीतिक इच्छा और इन निकायों की प्रशासकीय मदद जरूरी है।

संदर्भ सूची :–

1. डॉ. यतिन्द्रसिंह सिसोदिया – पंचायत राज व्यवस्था : विविध आयम 2011
2. सी.एस. सिंह – पंचायत राज ग्राम स्वराज मैनुअल अधिकार एवं कर्तव्य
3. मध्यप्रदेश पंचायिका – जल प्रबंधन सितम्बर 2016
4. डॉ. महिपाल – भारत निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वियन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका कुरूक्षेत्र – अक्टूबर 2006
5. प्रो. के.एम. मोदी – भूमि संसाधन संरक्षण भेंट वार्ता दबाव एक चुनौतियाँ – कुरूक्षेत्र – मार्च 2013
6. अरूण तिवारी – पंचायतों के समक्ष, सपनों का गाँव बनाने की चुनौती – कुरूक्षेत्र – अप्रैल 2016
7. भुवन भास्कर – ग्रामीण भारत में पेयजल की चुनौतियाँ – कुरूक्षेत्र – दिसम्बर 2016
8. डॉ. नेहा पालीवाल –ग्रामीण शहरी लिकेज – चुनौतियाँ एवं असर – कुरूक्षेत्र – फरवरी 2016
9. आशुतोष कुमार सिंह – बदलते गाँव, उभरता भारत – कुरूक्षेत्र दिसम्बर 2013
10. सुनीता सांघी – बदलता ग्रामीण परिवेश ओर डिजिटल प्रौद्योगिकी – कुरूक्षेत्र – अगस्त 2016
11. कौशल विकास मार्गदर्शिका – पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज।

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 12 Oct. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

इन्दौर नगर निगम में विभिन्न सेवाओं हेतु पारंपरिक प्रणाली एवं ई–गवर्नमेन्ट प्रणाली के मध्य तुलनात्मक अध्ययन

प्रमिला कबीर कुरेठिया
शोधार्थी लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (मप्र.)
डॉ. प्रमोद अवस्थी
निर्देशक सेवानिवृत सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय खाचरोद, उज्जैन (म.प्र.)

शोध सारांश : गवर्नेंस की पारम्परिक प्रणाली कलम एवं कागज पर आधारित है। पारम्परिक प्रणाली पर आधारित नागरिक सेवाओं को वितरित करने में समय अधिक तथा लागत भी अधिक आ रही है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुये इन्दौर नगर ने अपनी शासकीय गतिविधियों में सुधार कर 'ई–गवर्नेंस' प्रणाली को लागू किया है तथा सूचना एवं प्रौद्योगिक के द्वारा ई–गवर्नेंस प्रणाली को और सरल एवं पारदर्शक बनाने प्रयास किया जाये तो एक संयोजित प्रणाली का पुरे भारत में व्यापकता संभव है। इन्दौर निगम इस दिशा में धीरे–धीरे प्रयासरत हैं।

प्रस्तावना : ई–गवर्नमेंट व्यवस्था पूरे विश्व में शासन प्रणाली की एक नवीनतम प्रवृत्ति है। यदि ई–गवर्नमेंट व्यवस्था का सुदृढ़ रुप से निष्पादित किया जाये तो एक सुचारु व उत्तम शासन प्रणाली को प्राप्त किया जा सकता है। शासन प्रणाली विश्व के सभी देशों के लिए अत्यन्त आवश्यक होती हैं अतः इसका सरल प्रबंधनीय, लेखनीय, उत्तरदायी एवं पारदर्शी होना अत्यंत आवश्यक है। अभी कुछ दशकों में विश्व के कई देशों ने ई–गवर्नमेंट शासन प्रणाली को अपनाया है। सूचनाओं एवं सेवाओं दोनों का ऑनलाइन होने का प्रावधान आधुनिक प्रशासन प्रक्रिया हेतु एक आवश्यक कदम है। ई–गवर्नमेंट तकनीक को लागू करने का मुख्य प्रयोजन शासन व्यवस्था का और अधिक कुशल बनाना है। इस तकनीक से नागरिकों के द्वारा सूचनाओं एवं सेवाओं को पहल से अधिक तीव्र गति से तथा कम मूल्यों पर प्राप्त किया जा सकता है। यह नई तकनीक राजनीतिज्ञों, लोक प्रशासन अधिकारियों एवं नागरिकों के मध्य एक पारदर्शी संबंधों की स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इससे नागरिकों को अपनी सरकार के कार्यों एवं प्रदर्शन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी बहुत ही कम समय में, प्राप्त हो सकेगी। इससे सरकार अपने नागरिकों को विशिष्ट एवं उत्तम सेवाएँ प्रदान कर सकती हैं।

आज के आई.टी. माहौल में, यह नागरिक के संचार चैनल का अनिवार्य हिस्सा बन गया है इसलिए ई–नागरिकों के लिए, इस चैनल के माध्यम से सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए समय और लागत बचायी जा सकती है। ऑनलाईन आई.सी.टी. की एक पहल के माध्यम से अधिकांश नगर निगम ने अपनी वेबसाइट्स विकसित की जिसके माध्यम से नागरिक आसानी से सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जन्म और मृत्यु के प्रमाण–पत्र पंजीकरण, संपत्ति कर का भुगतान, उपयोगिता बिल का भुगतान, शिकायत निवारण, ऑनलाइन निर्माण की मंजूरी और ऑनलाइन निविदा आदि जैसे कई नागरिक सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। यह नागरिकों को अपने नियमित लेन–देन करने के लिए किसी भी समय, इंटरनेट का उपयोग करके कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार अधिक लचीलापन प्रदान करता है।

ई–गवर्नेंस के लिए विभिन्न संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक समग्र परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इंटरनेट आधारित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पहले से ही मूल्य–आधारित शासन की पेशकश करने के लिए सरकारों द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। प्रगतिशील देश भारत में ई–गवर्नेंस स्थानीय सरकार/संघीय सरकार, नागरिकों और प्रशासन के लिए बड़ा लिंक प्रदान करती है। निरंतर बेहतर आई.टी. सक्षम सेवाओं के द्वारा एक स्मार्ट ;सरल, नैतिक, उत्तरदायी, पारदर्शीय सरकार ने ई–शासन के प्रति उनके प्रयासों ने उत्तम गुणवत्ता प्राप्त की है और नागरिकों को कम लागत वाली सेवाएँ प्रदान की हैं।

ई–गवर्नमेंट प्रणाली सरकार एवं जनता के मध्य पारदर्शी संबंधों की विवेचना करती है तथा उनके मध्य दूरियॉ को समाप्त करती है। यह लोकतंत्र को सुचारु बनाती है। यह नई तकनीकों का समावेश करते हुए उन लोगों को केन्द्रित करती है जो कि सरकारी

कार्यो में भी नई तकनिकों तथा आधुनिकता को प्रस्तावित करते हैं। परन्तु ई–गवर्नमेंट प्रणाली को लागू करना एक जटिल कार्य था जिसको सफल बनाने हेतु प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिज्ञ एवं सांस्कृतिक सभी तत्वों में समन्वय की आवश्यकता होती है। एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारदर्शनीयता का गुण होना अत्यंत आवश्यक होता है। यह आधुनिक प्रणाली आधुनिक युग की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित की गई है। जिससे कि निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके तथा देश के विषय में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सके।

मानव श्रम व समय की बचत का एक महत्वपूर्ण साधन है। शासन एवं नागरिकों के मध्य संबंधों की प्रकृति तीव्र परिवर्तनीय है। इस शोध कार्य का उद्देश्य इंदौर जिल में इंदौर नगर निगम में ई–गवर्नमेंट व्यवस्था का मूल्यांकन एवं उसके आर्थिक प्रभाव का अध्ययन किया है।

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण – पारम्परिक प्रणाली से जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कराने में समय अधिक लगता था नागरिकों को बार–बार शासकीय कार्यालय में आना तथा कागजी कार्यवाही करने में धन तथा समय का प्रयोग अधिक होता था। इस कारण बहुत से नागरिक ऐसे थे जिनका समय पर पंजीकरण नहीं हो पाता था। लेकिन अब ई–गवर्नेंस के द्वारा अब यह आसान प्रक्रिया है तथा नागरिकों के लिए सुविधाजनक है वे अब घर बैठे पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा ऑनलाइन वे अपना आवेदन का स्टेट्स भी जान सकते है। ई–गवर्नेंस के द्वारा सभी दस्तावेज ऑनलाइन की वजह से सुरक्षित है।

कर संग्रहण – ई–गवर्नेंस ने कर संग्रहरण प्रणाली को भी आसान बनाया है। नागरिक सम्पत्ति कर, जलकर, बिजली का आदि का भुगतान ऑनलाइन कर सकते है। कर संग्रहण की सुविधा के लिए ऑनलाइन होने से बहुत ही आसान होती जा रही है।

टेंडर सूचना – इन्दौर नगर निगम की वेबसाइट पर सभी प्रकार की सूचनाओं की जानकारी रहती है। नागरिकों हर तरह के टेंडर की सूचना मिलती रहती है तथा प्रक्रिया भी ऑनलाइन होने की वजह से पारदर्शक तथा प्रभावी रहती है।

उपरोक्त तीन कारकों का अध्ययन पारम्परिक एवं ई–गवर्नेंस के मध्य तुलनात्मक रूप में किया गया है जिससे लिए 240 जनसाधारण का चयन न्यादर्श प्रणाली के आधार पर किया गया है जिसके अन्तर्गत विभिन्न कारकों जैसे–पारदर्शिता, मूल्य, समय सीमा, विश्वसनीयता, तकनीकी योग्यता, का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

साहित्य – समीक्षा

एल कुमारवाड़, कुंमार, आर डी. डी. (2016) ने सरकारी कार्यालयों में ई–गवर्नेंस सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए अपने अध्ययन में प्रयास किया। वर्तमान शोध का उद्देश्य ई–गवर्नेंस पहल के एक वैचारिक ढांचे के विकास के लिए पृष्ठभूमि की स्थापना करना है। नागरिकों को ई–सेवाओं का वितरण उनके दरवाजे पर ई–गवर्नेंस का प्राथमिक कार्य है। महाराष्ट्र राज्य आय सेवा केन्द्र (महा ई–सेवा हेड), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडी एस), भूमि रिकार्ड (भूमि अभिलेख) आदि जैसे ई–गवर्नेंस सेवाओं में अग्रणी रहा है।

सोनी हिरेमाथ (2016) ने तर्क दिया है कि ई–शासन पारदर्शिता में सुधार, प्रशासन के सभी पहलुओं में जानकारी, प्रसार, प्रशासनिक दक्षता में सुधार और सार्वजनिक सेवाओं में सहायता करता है। ई–शासन के कार्यान्वयन में नए व्यापक नवाचारों को जन्म दिया है। इस अध्ययन का उद्देश्य आईटी पर आधारित ई–शासन की शुरूआत और विकास के सम्बन्ध में परिर्वतन की प्रकृति की जांच करना है। सभी समाजों में, सार्वजनिक प्रशासन का गठन, सामाजिक संरचनाओं, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक वातावरण, सांस्कृतिक पैटर्न और तकनीकी प्रवृति सहित अपने प्रांसगिक पैरामीटरों पर काफी हद तक निर्भर है। प्रशासन में लोगों को शामिल करने, नौकरशाही में पारदर्शिता को संबोधित करने और नागरिकों को अधिक संवेदनशील बनाने की कोशिश करने वाली सरकारों के लिए ई–शासन नवीनतम घटक है। ज्ञान प्रबंधन (केएम) पर ध्यान केन्द्रित करके तकनीकी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए ई–गवर्नेंस एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

अग्रवाल एट एल (2015) का शोध अध्ययन के अनुसार, इंटरनेट आधारित सेवाओं के तेजी से विकास और प्रयास ने इस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के विकल्प और स्वीकृति को जन्म दिया है।

वास्तव में वेब आधारित ई–गवर्नेस सेवाओं की पेशकश एक वैश्विक प्रवृत्ति बन गई है। भारत सरकार द्वारा वेब आधारित सेवाओं को अपने नागरिकों को भी लागू किया है क्योंकि आईसीटी नियमित जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ई–गवर्नेस का उपयोग वेट, वाहन पंजीकरण, निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन, नई कंपनी के पंजीकरण और निविदाएँ आदि जैसे सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाता है। यह अध्ययन लिंग, आयु, शिक्षा व्यवसाय, इंटरनेट लाभ, विश्वसनीयता और सुरक्षा जैसे जनसांख्यिकीय कारकों के मध्य संबंधों की पहचान करके एक वर्णनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

मोहम्मद असफ सिद्दिकी और इसामत आय (2015) द्वारा इस अध्ययन का उद्देश्य यह देखना कि शिक्षा के क्षेत्र में ई–शासन के आवेदन के रूप में ई–गवर्नेस ने शिक्षा की गुणवत्ता और मानव संसाधन विकास को किस तरह बढ़ाया है। निश्कर्ष रूप में1 यह कहा जा सकता है कि कुछ सीमाएँ होने के बावजूद सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और मानव कौशल को विकसित करने के लिए प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार की परिपक्वता में योगदान दे रही है। शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए दिशा निर्देश होंगे। आईसीटी के माध्यम से अधिक रचनात्मक समाधान मिलेंगे।

एम. रेजल करीम (2015) ने अपने अध्ययन में बताया कि सार्वजनिक प्रशासन का पारंपरिक रूप एवं सेवा वितरण कागजी आधारित लंबी प्रक्रियाओं से घिरा हुआ है जो नागरिकों को असंतुष्ट बनाता है क्योंकि केन्द्र में कई समस्याएँ है जैसे– भ्रष्टाचार, विलम्बता, समय का हृास आदि। नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए बांग्लादेश सरकार ने ऑनलाइन के माध्यम से सेवाएँ उपलब्ध कराने की पहल की है। इस संबंध में सरकार ने सभी सरकारी अधिकारिक वेबसाइटों को इंटरेक्टिव करने तथा राष्ट्रीय वेब पोर्टल की स्थापना की है।

इस प्रस्तावित शोध विषय के निम्नलिखित उद्देश्य है।

1. ई–गवर्नमेंट प्रणाली का मूल्यांकन कर प्रभाव ज्ञात करना।

शोध विधि :– इस विधि में प्राथमिक संमंकों का विश्लेषण सविचार निदर्शन विधि (Judgment Sample Technique) एवं दैव निर्दशन विधि (Random Sampling) के माध्यम से किया गया है, जिसमें चयनित 240 जनसाधारण से साक्षात्कार अनुसूचीं के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई।

(अ) शोध इकाई :– प्रस्तुत शोध में इंदौर शहर को ई–गवर्नेस योजना इकाई के रूप में लिया गया है।

(ब) विश्लेषण विधि :– विश्लेषण विधि के अन्तर्गत ई–गवर्नमेंट द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं सुविधाओं का आवश्यकतानुसार वर्गीकृत व सारणीयन किया गया है एवं **Paired T- Test Samples Statistics** के माध्यम से सिद्ध किया गया है।

H1 पारदर्शिता के संदर्भ में पारम्परिक प्रणाली एवं ऑनलाइन प्रणाली के मध्य अंतर है।

तालिका क्र. 1
Paired Samples Statistics पारदर्शिता

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
	ई–गवर्नमेन्ट	3.6750	200	1.31836	.09322
	पारम्परिक	3.3600	200	1.32635	.09379

तालिका क्र. 2
Paired Samples Test पारदर्शिता

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
	ई–गवर्नमेन्ट एवं पारम्परिक	.31500	1.37668	.09735	.12304	.50696	3.236	199	.001

उपरोक्त परिकल्पना पारदर्शिता के संदर्भ में पारम्परिक एवं आनलाइन के मध्य अंतर है को स्वीकार किया जाता है। तालिका से ज्ञात होता है कि T का मान 3.236 जो कि P-value .001 पर मान्य है। अतः कहा जा सकता है कि ऑनलाइन में पारदर्शिता पारम्परिक प्रणाली की तुलना में अधिक प्रदर्शित होती है।

H2 मूल्य की बचत के संदर्भ में पारम्परिक प्रणाली एवं ऑनलाइन प्रणाली के मध्य अंतर है।

तालिका क्र. 3
Paired Samples Statistics मूल्य की बचत

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
	ई–गवर्नमेन्ट	4.4950	200	1.36355	.09642
	पारम्परिक	4.1450	200	1.10911	.07843

तालिका क्र. 4
Paired Samples Test मूल्य की बचत

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
	ई–गवर्नमेन्ट एवं पारम्परिक	-.65000	1.56195	.11045	-.86780	-.43220	-5.885	199	.000

उपरोक्त परिकल्पना मूल्य की बचत के संदर्भ में पारम्परिक एवं आनलाइन के मध्य अंतर है को स्वीकार किया जाता है। तालिका से ज्ञात होता है कि T का मान 5.885 जो कि P-value .000 पर मान्य है। अतः कहा जा सकता है कि ई–गवर्नमेन्ट में पारम्परिक प्रणाली की तुलना में मूल्य की बचत अधिक होती है।

H3 समय की बचत के संदर्भ में पारम्परिक प्रणाली एवं ऑनलाइन प्रणाली के मध्य अंतर है।

तालिका क्र. 5
Paired Samples Statistics समय की बचत

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
	ई–गवर्नमेन्ट	3.8000	200	1.28775	.09106
	पारम्परिक	3.5050	200	1.25613	.08882

तालिका क्र. 6
Paired Samples Test समय की बचत

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
ई–गवर्नमेन्ट एवं पारम्परिक	.29500	1.45898	.10317	.09156	.49844	2.859	199	.005

उपरोक्त परिकल्पना समय की बचत के संदर्भ में पारम्परिक एवं आनलाइन के मध्य अंतर है को स्वीकार किया जाता है। तालिका से ज्ञात होता है कि T का मान 2.859 जो कि P-value .005 पर मान्य है। अतः कहा जा सकता है कि ई–गवर्नमेन्ट में पारम्परिक प्रणाली की तुलना में समय की बचत अधिक होती है।

H4 तकनीकी योग्यता के संदर्भ में पारम्परिक प्रणाली एवं ऑनलाइन प्रणाली के मध्य अंतर है।

तालिका क्र. 7
Paired Samples Statistics तकनीकी योग्यता

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
	ई–गवर्नमेन्ट	3.3600	200	1.32255	.09352
	पारम्परिक	4.0750	200	1.17742	.08326

उपरोक्त परिकल्पना तकनीकी योग्यता के संदर्भ में पारम्परिक एवं आनलाइन के मध्य अंतर है को स्वीकार किया जाता है। तालिका से ज्ञात होता है कि T का मान

तालिका क्र. 8
Paired Samples Test तकनीकी योग्यता

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
	ई–गवर्नमेन्ट एवं पारम्परिक	-.71500	1.70832	.12080	-.95321	-.47679	-5.919	199	.000

तालिका क्र. 9
Paired Samples Statistics विश्वसनीयता

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
	ई–गवर्नमेन्ट	3.3050	200	1.34201	.09489
	पारम्परिक	3.9100	200	1.28849	.09111

H5 विश्वसनीयता के संदर्भ में पारम्परिक प्रणाली एवं ऑनलाइन प्रणाली के मध्य अंतर है।

तालिका क्र. 10
Paired Samples Test विश्वसनीयता

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
	ई–गवर्नमेन्ट एवं पारम्परिक	-.60500	1.54301	.10911	-.82015	-.38985	-5.545	199	.000

उपरोक्त परिकल्पना विश्वसनीयता के संदर्भ में पारम्परिक एवं आनलाइन के मध्य अंतर है को स्वीकार किया जाता है। तालिका से ज्ञात होता है कि T का मान 5.545 जो कि P-value .000 पर मान्य है। अतः कहा जा सकता है कि ई–गवर्नमेन्ट में पारम्परिक प्रणाली की तुलना में विश्वसनीयता अधिक होती है।

निष्कर्ष : ई–गवर्नमेंट प्रणाली सरकार एवं जनता के मध्य पारदर्शी संबंधों की विवेचना करती है तथा उनके मध्य दूरियॉ को समाप्त करती है। यह लोकतंत्र को सुचारु बनाती है। यह नई तकनीकों का समावेश करते हुए उन लोगों को केन्द्रित करती है जो कि सरकारी कार्यो में भी नई तकनिकों तथा आधुनिकता को प्रस्तावित करते हैं। परन्तु ई–गवर्नमेंट प्रणाली को लागू करना एक जटिल कार्य था जिसको सफल बनाने हेतु प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिज्ञ एवं सांस्कृतिक सभी तत्वों में समन्वय की आवश्यकता होती है। एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारदर्शनीयता का गुण होना अत्यंत आवश्यक होता है। यह आधुनिक प्रणाली आधुनिक युग की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित की गई है। जिससे कि निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके तथा देश के विषय में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सके। पारम्परिक प्रणाली की खामियाँ तथा ऑनलाइन प्रणाली के लाभों को प्रदर्शित किया गया है। ई–गवर्नेस के प्रभावों का वर्णन जनसाधारण के आर्थिक व सामाजिक जीवन के संदर्भ में किया गया है। ई–गवर्नेस प्रणाली में पारदर्शिता, समय–सीमा, लम्बित भुगतान का निपटान, लागत में कमी, कागजी कार्यवाही में कमी, समुचित जानकारी आदि का समावेश है जो कि पारम्परिक प्रणाली में इसका अभाव रहा है। ई–सरकार सभी नागरिकों को सेवाएँ देने के लिए प्रतिबद्ध है। ई–सरकार प्रणाली में विश्वसनीयता एवं गोपनीयता का पूरा–पूरा ध्यान रखा जाता है।यह शोध जनसाधारण को ई–सरकार प्रणाली के बारे में अवगत कराता है तथा उन्हें हर प्रकार से सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है।

सुझाव : प्रस्तुत शोध में परिकल्पनाओं के अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं–

1. सरकार को ई–गवर्नमेंट प्रणाली में प्रभावकारिता वृद्धि के लिए उपयुक्त पेशेवर का सहयोग लेना चाहिए।
2. लाभार्थियों के साथ–साथ सेवा प्रदाताओं को ई–गवर्नमेंट की ओर जागरूकता बढ़ाने और विकास में वृद्धि के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।
3. उचित उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण और अभिगम नियंत्रित तंत्र को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित करने की आवश्यकता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही जानकारी प्राप्त कर सकते है।
4. ई–गवर्नमेंट प्रणाली को प्रभावी रुप से कार्यान्वयन करने के लिए पर्याप्त डोमेन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए।
5. ई–गवर्नमेंट सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखा जाना चाहिए।
6. बुनियादी अवधारणा को समझने में प्रौद्योगिकी में उपयोग किये जाने वाले अनुप्रयोगों को सरल बनाया जाना चाहिए।
7. ई–गवर्नमेंट प्रणाली की विश्वसनीयता को बढ़ाने हेतु प्रयत्न किया जाना चाहिए।

REFERENCES

- AbdulezizAlrashidi (2012) User Growth & Motivation of e-governance services based on Employees levels of Experience in the UAE SME. American Journal of Economics 2 (6), pp, 132-135.
- Agrawal et al., (2015). E-Governance: An analysis of Citizens' Perception.Journal of Information TechnologyVol. 11 Issue 3, pp.34-46.
- Ajay Dutta & M. Syamala Devi (2015) E-Governance Status in India International Journal of Computer Sciences and Engineering. Vol 4, (2), pp, 56-68.
- Al. Mohd. MudasirShafi (2013) E-Governance in Education: Areas of Impact and Proposing. A Framework to Measure the Impact. The Turkish Online Journal Of Distance Education. Vol. 14 (2) pp, 304-312.
- Kumar, A.(2015) E-Governance plays a crucial role in higher education system of Uttarakhand: A prospective overview to this aspect. International Review of Humanities and Scientific Research.pp 231-234.
- Kumarwad, Laxman L.&Kumbhar, Rajendra D (2016). E-Governance Initiatives in Maharshtrs (India): Problems and Challenges. Vol. 8 Issue 5, pp.8.
- Md. AssrafSeddiky and EsmatAra (2015) Application of E-Governance in Education Sector to Enhance the Quality of Education and Human Resource Development In Bangladesh. European Scientific Journal. vol.11, No.4, pp 386-404.
- M. Rezaul Karim (2015) E-Government in Service Delivery And Citizen's Satisfaction: A Case Study On Public Sectors in Bangladesh. International Journal of Managing Public Sector Information and Communication Technologies. Vol. 6, No. 2, pp 49-60.

- Sami M. Alhomod&Mohd. MudasirShafi (2012) E-Governance in Education: Reasons for Introduction & Impact. International Journal of Scientific & Engineering Research. Vol 3 (2) p.g, 1-5.
- Sangeetha G. (2015)Move To Intelligence Through E-Governance: The Case Of New Education Policy. Adarsh Journal of Information Technology - Vol. 2, Issue 1, pp 72-75

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 12 Oct. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

''कृषि उपज मण्डी में कृषक कल्याण योजनाओं का विश्लेषण''
(उज्जैन संभाग के विशेष संदर्भ में)

रामकन्या देवड़ा
शोधार्थी शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उज्जैन म.प्र.

प्रस्तावना – भारत देश की आर्थिक व सामाजिक प्रगति का शुभारंभ कृषि से ही होता है कृषि संसार का प्राचीनतम उद्यम है। विश्व की कुल जनसंख्या का दो तिहाई भाग अपने जीवनयापन के लिये कृषि पर ही निर्भर करते है। भारत देश भी स्वयं भी एक कृषि प्रधान देश है। कृषि वह धुरी है जिस पर सम्पूर्ण भारत रूपी सौरमण्डल चक्र घूमता है।

भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। कृषि का विकास केवल उत्पादन बढ़ाने में ही नही वरन् कृषि उपज का उचित व सुव्यवस्थित विपणन पद्धति और वितरण में निहित है। कृषि उपज मण्डिया अर्थव्यवस्था का केन्द्र है मण्डियों में कृषक अपने उत्पादित फसलें का उचित मूल्य पर विक्रय करते है तथा इन मण्डियों में विक्रय करने से गांव के साहूकार, घुमते फिरते व्यापारी आदि विभिन्न प्रकार से कृषकों को हानि पहुँचाते थे। इन्ही कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा नियमित मण्डियों की स्थापना के प्रयास किये गये है ताकि कृषकों को उपज का उचित मूल्य मिल सके। तथा सरकार द्वारा इन मण्डियों में कृषकों द्वारा कई योजना चलाई जा रही है जिनका सीधा सीधा लाभ किसानों को और उनके परिवार का प्राप्त होता है इन्ही योजनाओं का विश्लेषण किया जा रहा है।

1. मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना :– प्रदेश के कृषकों की सहायता के लिये यह योजना दिनांक 27.09.2008 से लागू की गई है। जिसमें संशोधन उपरांत वर्तमान में आंशिक अपंगता सहायता राशि रूपये 50000/– स्थायी अपंगता सहायता राशि रूपये 100000/– एवं मृत्यु होने पर सहायता राशि रूपये 400000/– एवं अंत्येष्टि सहायता राशि रूपये 4000/– दिये जाने का प्रावधान है।

कृषि कार्य में यंत्रों का उपयोग करते हुए खेती से संबंधित सिंचाई कार्य, सिंचाई कार्य हेतु कुआ खोदते हुए, ट्यूबवेल स्थापित करते हुए, ट्यूबवेल संचालित करते समय, बिजली के करंट लगने, खेत से गुजरने वाली विद्युत लाईन से क्षतिग्रस्त होने खेतों में फसलों, फल सब्जियों पर रासायनिक दवाईयों आदि के छिड़काव करते समय, मण्डी प्रांगण एवं मण्डी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत क्रय केन्द्रों पर कृषि उपज की बिक्री करते समय एवं बोरियों की ढेरी लगाते समय, मण्डी प्रांगण में ट्रेक्टर, ट्राली, बेलगाडी इत्यादि के पलटने पर हुई दुर्घटना, कृषि उपज के विक्रय के लिए घर से खेत में आते–जाते समय रास्ते में कुट्टी मशीन एवं कृषि संयंत्रों में आने तथा कृषि सुरक्षा, पशु चराई, पेड़ों की छटाई एवं कृषि की रखवाली करते समय हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर योजना की कण्डिका 2 में उल्लेखित आर्थिक सहायता राशि जिसमें मृत्यु होने पर रू. 100000/–, दुर्घटना में स्थाई अपंगता होने पर 25000/– रूपये, दुर्घटना में अंगभंग होने से आंशिक अपंगता पर रू. 7500/– तथा अंत्येष्टि अनुदान रू. 2000/– देय होगा।

खेती के कार्य के दौरान हुए दुर्घटना	सहायता धनराशि (रू.)
मृत्यु	400000
टपंगता	100000
आंशिक अपंगता	50000
अंत्येष्टि	4000

स्त्रोत–मण्डी बोर्ड भोपाल से प्राप्त।

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के लिए पात्रता –

1. इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के स्थाई नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा।
2. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को कृषक किसान होना अनिवार्य है।
3. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर्ता को आवेदन घटी दुर्घटना होने के 90 दिनों के अन्तर करना होगा।
4. इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस प्रकार की अन्य लाभ योजना का लाभ प्राप्त कर

रहे व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है।

5. इस योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब व्यक्ति की मृत्यु अथवा दुर्घटना उपर बताई गई कृषि संबंधित कारणों के दौरान हुई हो।

6. इस योजना का लाभ केवल प्रदेश के गरीब परिवारो को ही प्रदान किया जाएगा।

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना दस्तावेज –

1. आधार कार्ड
2. मध्यप्रदेश का निवासी प्रमाण पत्र।
3. मध्यप्रदेश के किसी राष्ट्रीयकृत बैक का खाता।
4. किसान के आय का प्रमाण पत्र।
5. किसान पहचान पत्र के तौर पर वोटर कार्ड/बैंक के पासबुक का प्रथम पृष्ट की प्रतिलिपि जिसमें नाम, पता, फोटो।
6. किसान का मृत्यु प्रमाण पत्र।

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना में आनलाइन आवेदन कर सकते है।

माह जुलाई 2018 तक इस निधि में कुल रूपये 65.00 करोड़ प्राप्त हुये है। जिसमें योजना अंतर्गत विभिन्न जिला कलेक्टर्स से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार निमनानुसार सहायता राशि आचंलिक कार्यालयों के माध्यम से जिला कलेक्टरों को विमुक्त की गई है –

तालिका क्रमांक 1

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना

क्रमांक	वर्ष	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या	वितरित राशि रूपये लाख में
1	2009-10	93	36.00
2	2010-11	248	100.00
3	2011-12	239	93.00
4	2012-13	206	154.00
5	2013-14	438	366.28
6	2014-15	433	319.74
7	2015-16	506	367.99
8	2016-17	514	355.82
9	2017-18	586	1100.20
10	2018-18 माह अप्रेल 2018 से जुलाई 2018 तक	147	804.00

स्त्रोत – मंडी बोर्ड भोपाल से प्राप्त

2. मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008 :– मध्यप्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटीयों के उत्थान के लिए यह योजना के अंतर्गत प्रसूति व्यय एवं प्रसूति अवकाश सहायता, विवाह के लिये सहायता, प्रावीण्य छात्रवृत्ति सहायता, चिकित्सा सहायता, दुर्घटना में स्थायी अपंगता सहायता, मृत्यु सहायता, अंत्येष्टि सहायता, मण्डी प्रांगण में कार्य करते समय हुई दुर्घटना में सहायता आदि का समावेश किया गया है –

यह योजना प्रदेश की सभी कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी

के सहायतार्थ है इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हम्माल एवं तुलावटी एवं उसके परिवार के सदस्यों का डाटा आनलाईन कर समग्र पोर्टल पर दर्शाया जायेगा।

1. मण्डी हम्माल एवं तुलावटी से आशय प्रदेश की कृषि उपज मण्डी में कार्यरत अनुज्ञप्ति प्राप्त हम्माल एवं तुलावटीयों से है। यह अनुज्ञप्ति एक वैद्य प्रमाण पत्र है। जो मण्डी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित मण्डी में निर्धारण कार कर रहा हो।

2. मण्डी हम्माल एवं तुलावटी के परिवार से आशय वैद्य अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटीयों के परिवार में आश्रित माता–पिता, पत्नि, पुत्र–पुत्री, बहन से है।

3. यह योजना प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जारी किये गये आदेश की दिनांक से प्रभावशील होगी। पात्रता – 1. कृषि उपज मण्डी में ऐसे अनुज्ञप्तिधारी हम्मालों एवं तुलावटीयों को पात्रता होगी जिनकी अनुज्ञप्ति कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा स्वीकृत की गई हो तथा वह वैद्य और वे कृषि उपज मण्डी समिति में हम्माल या तुलावटी का कार्य कर रहे हो।

उज्जैन संभाग की कृषि उपज मण्डी में ''मुख्यमंत्री हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008'' में मिलने वाली सहायता का विश्लेषण तालिका क्रमांक 2 के अनुसार किया जा रहा है। वर्ष 2009–10 में कुल प्रकरण संख्या 43 है जिन पर राशि 14313 की सहायता प्रदान की गई प्रसूति सहायता 17 प्रकरण पर 30925 रूपये, विवाह सहायता 10 प्रकरण पर 60000 रू., छात्रवृत्ति के 5 प्रकरण पर 4750 रूपये, चिकित्सा पर 3 प्रकरण पर 31438 रू. तथा अंत्येष्टी पर 8 प्रकरण पर 16000 रूपये, सहायता राशि प्रदान की गई। वर्ष 2010–11 में कुल प्रकरण 156 पर 591231 रू. की सहायता राशि प्रदान की इसमें प्रसूति के 60 प्रकरण पर 101064 रूपये, विवाह के सहायता के 64 प्रकरण पर 400000 रूपये, छात्रवृत्ति के 4 प्रकरण पर 93350 रूपये, चिकित्सा के 4 प्रकरण पर 8817 रूपये और अंत्येष्टी के 24 प्रकरण पर 4800 रूपये की सहायता राशि दि गई। वर्ष 2011–12 में कुल 724 प्रकरण पर 2433884 रूपये की सहायता राशि दी गई। वर्ष 2011–12 में कुल 724 प्रकरण पर 2433884 रूपये की सहायता राशि दि गई। इनमें से प्रसूति सहायता के 76 प्रकरण पर 169056 रूपये, विवाह सहायता के 181 प्रकरण पर 1628000 रूपये, छात्रवृत्ति के 446 प्रकरण पर 473250 रूपये, चिकित्सा के 5 प्रकरण पर 31436 रूपये, मृत्यु के 4 प्रकरण पर 106142 रूपये तथा अंत्येष्टी के 13 प्रकरण पर 26000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की गई। वर्ष 2012–13 के कुल 1250 प्रकरण पर 3739256 रूपयेकी सहायता राशि प्रदान की गई, इनमें से प्रसूति सहायता के 114 प्रकरण पर 246938 रूपये, विवाह सहायता के 243 प्रकरण पर 2418000 रूपये, छात्रवृत्ति के 818 प्रकरण पर 104384 रूपये, चिकित्सा के 6 प्रकरण पर 12834 रूपये तथा अंत्येष्टी के 9 प्रकरण पर 18000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की गई। वर्ष 2013–14 में कुल 332 प्रकरण पर 1926115 रूपये की सहायता राशि प्रदान की गई, इनमें से प्रसूति सहायता के 41 प्रकरण पर 99816 रूपये, विवाह सहायता के 161 प्रकरण पर 1610000 रूपये, छात्रवृत्ति के 123 प्रकरण पर 139950 रूपये, चिकित्सा के 4 प्रकरण पर 22349 रूपये, मृत्यु के 1 प्रकरण पर 50000 रूपये तथा अंत्येष्टी के 2 प्रकरण पर 4000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की गई।

तालिका क्रमांक 2
उज्जैन संभाग की कृषि उपज मण्डियों में 'मुख्यमंत्री हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008''

वर्ष	प्रसूति सहायता		विवाह सहायता		छात्रवृत्ति		चिकित्सा		मृत्यु		अंत्येष्टी		अपंगता		कुल	
	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि
2009-10	17	30925	10	600000	5	4750	3	31438	0	0	8	16000	0	0	43	143113
2010-11	60	101064	64	400000	4	93350	4	8817	0	0	24	48000	0	0	156	591231
2011-12	76	169056	181	1628000	446	473250	5	31436	3	106142	13	26000	0	0	724	2433884
2012-13	114	246938	243	2418000	818	1043484	6	12834	0	0	9	18000	0	0	1250	3739256
2013-14	41	99816	161	1610000	123	139950	4	22349	1	50000	2	4000	0	0	332	1926115
Total	308	647799	659	6116000	1396	1754784	22	106874	4	156142	56	11200	0	0	2505	88333599

स्त्रोत – आंचलिक कार्यालय 28, भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र, उज्जैन (म.प्र.)

प्रसूति सहायता –

1. प्रसूति व्यय सहायता में शासकीय चिकित्सालय में प्रसूति होने पर ही प्रसूति व्यय सहायता केवल जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत देय होगी। इसमें अधिकतम प्रसव की सीमा नही रहेगी।

2. प्रसूति व्यय सहायता में वे प्रसव भी सम्मिलित होंगे जो घर से चिकित्सालय आने के दौरान रास्ते में जननी सुरक्षा एक्सप्रेस वाहन में हुए हो।

प्रसूति अवकाश सहायता :– प्रसूति अवकाश सहायता पंजीकृत हितग्राही अथवा पंजीकृत हितग्राही की पत्नी

को अधिकतम प्रथम दो प्रसूतियों के लिए स्वीकृत की जाएगी। प्रसूति अवकाश सहायता प्राप्त करने के लिए पदाधिकारी अधिकारी को हितग्राही/परिवार के सदस्य को प्रसूति होने के पूर्व चिकित्सा अधिकारी को प्रमाण पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

1. महिला हम्माल/तुलावटी प्रसूता को मातृत्व अवकाश के रूप में अधिकतम प्रथम दो प्रसूतियों के लिए सहायता विधि से कलेक्टर द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में 45 दिनों की प्रचलित मजदूरी के एवज में समतुल्य राशि का भुगतान देय होगा।
2. पुरूष हम्माल/तुलावटी को पितृत्व अवकाश के रूप में अधिकतम दो प्रसूतियों के लिए सहायता निधि से कलेक्टर द्वारा नवजात के पिता को अकुशल श्रमिक के रूप में 15 दिनों का निर्धारित प्रचलित मजदूरी की राशि का भुगतान देय होगा।

विवाह सहायता :– मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना में सामूहिक विवाह प्रोत्साहन सहायता के अवयवों को मुख्यमंत्री कन्यादान एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतगत शामिल किया गया है। ''विवाह सहायता प्राप्त करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी हम्माल तथा तुलावटी को विवाह पत्रिका संलग्न कर विवाह के 15 दिन पूर्व पदाधिकारी को हस्ताक्षरित आवेदन निर्धारित प्रारूप प्रस्तुत करना होगा।

1. मण्डी में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल तथा तुलावटी की पुत्रिया। जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम नही हो, इनके विवाह/एक बार पुनर्विवाह हेतु विवाह प्रोत्साहन मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना के तहत देय होगी।
2. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत परिवार की अधिकतम कन्या की सीमा शर्त नहीं है।
3. मण्डी में हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राही की कन्या जिसका विवाह निवास स्थान से दूर सम्पन्न हुआ है, ऐसी कन्याओं का एकल विवाह माता जाकर कन्या की गृहस्थी हेतु सहायता राशि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना/मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत अधिकृत पदाधिअधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी। इनका भुगतान बैंक के माध्यम से कन्या के खाते में किया जायेगा।

छात्रवृत्ति :– छात्रवृत्ति के संबंध में बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. हितग्राहियों को भुगतान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा एवं जिसकी प्रतिपूर्ति म.प्र. राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड द्वारा अपने बजट से किया जायेगा।

प्रावीण्य छात्रवृत्ति सहायता :– छात्रवृत्ति सहायता प्राप्त करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी के पुत्र पुत्रियाँ जो 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले उत्तीर्ण हुए हो इनके कक्षा 1 से 5 तक छात्र को 500/– रूपये तथा छात्रों को रूपये 800/– तथा कक्षा 6 से 8 तक के छात्र को 1000/– रूपये और छात्राओं को 1200/– रूपये तथा कक्षा 9 से 12 तक छात्र को 1200/– रूपये और छात्राओं को 1700/– रूपये मान्य है।

1. छात्र/छात्रा के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने/शाला से ड्राप (गैप) लेने पर अपात्र माने जावेंगे।
2. अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी के बच्चे जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य निर्धन वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग तथा विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आते है को संबंधित विभाग द्वारा प्रचलित योजना के निर्धारित मापदण्ड के अंतर्गत योजना के लिये स्थापित कोष से छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008 की तालिका दर्शाया गया है कि वर्ष 2009–10 वर्ष से वर्ष 2013–14 तक के समस्त मुख्यमंत्री हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना में सम्मिलित सहायता जैसे प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, छात्रवृत्ति, चिकित्सा, मृत्यु, अंत्येष्टी, अपंगता से कुल प्रकरण एवं राशि को दर्शाया गया हे।

3. मुख्यमंत्री कृषि उपज मण्डी हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना 2015 :– मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 15–8/2013/14–3 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटीयों के सहायतार्थ ''मुख्यमंत्री कृषि उपज मण्डी हम्माल एवं तुलावटी वृद्धास्था सहायता योजना 2015'' दिनांक 07 अप्रैल 2016 से प्रभावशील की गई है।

यह योजना मण्डी में कार्यरत उन हम्माल एवं तुलावटियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों पर प्रभावी होगी, जो मण्डी उपविधि के प्रावधान अनुसार

मण्डी समिति में 18 से 55 वर्ष तक की आयु के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी है। योजना के अंतर्गत हितग्राही को न्यूनतम रूपये 1000/– से अधिकतम 2000/– तक प्रति वर्ष अंशदान जमा करना होगा। इस योजना का लाभ पात्रता रखने वाले अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों को उनकी आयु 60 वर्ष की पूर्ण या हितग्राही की अकाल मृत्यु/स्थायी अपंगता/असाध्य बीमारी होने की दशा में प्राप्त होगा।

1. यह योजना ''मुख्यमंत्री कृषि उपज मण्डी हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना 2015 कहलाएगी।''

2. यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश की कृषि उपज मण्डियों के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटीयों पर लागू होगी।

3. यह योजना मण्डीयों के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटीयों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों पर लागू होगा जो मण्डी उपविधि के प्रावधान अनुसार मण्डी समिति में 18 से 55 वर्ष की आयु के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी है।

पात्रता –

1. इस योजना में मण्डी समितियों के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटीयों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण या हितग्राही की अकाल मृत्यु/स्थायी अपंगता/असाध्य बीमारी होने की दशा में प्राप्त होगा। मण्डी समिति में कार्यरत 18 से 55 वर्ष के हम्माल एवं तुलावटी अनुज्ञप्तिधारी इस योजना के लिए पात्र होंगे।

सहायता योजना में अंशदान एवं हितलाभ :– योजना के अंतर्गत चयनित पात्र हितग्राही हम्माल एवं तुलावटी को अपने 60 वर्ष की आयु के पूर्ण होने के पश्चात उनके द्वारा जमा कीगई अंशदान राशि मण्डी समिति की वार्षिक अनुदान तथा योजना के अंतर्गत मण्डी बोर्ड की एक मुश्त सहायता राशि एवं अर्जित ब्याज सहित राशि एकमुश्त प्राप्त होगी।

1. हितग्राही का अंशदान इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम रूपये 1000/– से अधिकतम रूपये 2000/– तक प्रतिवर्ष अंशदान जमा करना होगा।

2. हितग्राही हितलाभ –

अ) हितग्राही द्वारा प्रतिवर्ष अंशदान राशि जमा करने पर जमा अंशदान राशि का 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रूपये 1000/– प्रतिवर्ष संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा वार्षिक अनुदान के रूप में जमा की जाएगी।

ब) हितग्राही की 60 वर्ष की आयु के पश्चात न्यूनतम योजना अवधि पूर्ण होने पर बोर्ड द्वारा रूपये 1000/– प्रतिवर्ष के नाम से एक मुश्त सहायता राशि हितग्राही को देय होगी।

स) हितग्राही की योजना अवधि पूर्ण होने पर हितग्राही द्वारा जमा की गई अंशदान राशि, मण्डी समिति द्वारा जमा की गई वार्षिक अनुदान राशि, अर्जित ब्याज तथा योजना अवधि के मान से मण्डी बोर्ड की एक मुश्त सहायता राशि को प्राप्त करने की पात्रता होगी।

4. कृषकों को 05/– रूपये में भोजन थाली उपलब्ध करने की योजना :– राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश की 257 मण्डी समितियों में कृषि उपज के विक्रय के लिये आये कृषकों को 05/– रूपये में भोजन थाली (न्यूनतम अनिवार्य मीनू 6 पूरी तथा सब्जी अथवा 6 रोटी, दाल एवं सब्जीके साथ) उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है।

कृषि उपज मण्डियों में उपज बेचने के लिये आये किसानों को रियायती दर पर भोजन व्यवस्था प्रदेश की 'क' और 'ख' श्रेणी की मण्डी समितियों में भोजन व्यवस्था के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जा रही है। रियायती दर भोजन योजना में प्रदेश की 257 कृषि उपज मण्डियों इसमें से 42 कृषि उपज मण्डिया उज्जैन संभाग के अंतर्गत आती है। इन मण्डियों में किसानों को 5 रूपये थाली उपलब्ध कराई जाती है। मण्डी बोर्ड ने इस योजना के संचालन के लिये एक करोड़ रूपये से अधिक की राशि अनुदान के रूप में कृषि उपज मण्डियों को दी गई है।

उपसंहार :– कृषि उपज मण्डियों में चलाई जा रही योजनाऐं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर मण्डियों में चलाई जाती है। इन योजनाओं का उद्देश्य यही रहता है कि इन योजनाओं के द्वारा किसानों और मण्डियों में कार्यरत कर्मचारियों को योजनाओं का लाभ पहुँचाना तथा किसानों को उनकी उपज को मण्डियों में बेचने के लिए प्रोत्साहित करना है। इन योजनाओं के द्वारा किसानों और किसानों के परिवार को योजनाओं का फायदा पहुँचाना तथा कृषि उपज मण्डियों में कार्यरत हम्मालाओं और तुलावटीयों इनके परिवार के सदस्यों का लाभ दिलाना ही इन योजनाओं उद्देश्य है। ये योजना राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा सम–समय पर परिवर्तित करती रहती है।

संदर्भ गंथ सूची –

1. मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. www.mpmandiboard.com
3. मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय 28 भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र उज्जैन (म.प्र.)

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 12 Oct. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

युवाओं में साइबर अपराध संबंधी जागरूकता का अध्ययन

डॉ. रजनीश बाजपेई
Shri Atal Bihari Vajpai Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)

वर्तमान में साइबर अपराध एक विशिष्ट प्रकार का अपराध बन चुका है। समाचारपत्र एवं अन्य माध्यमों में तो अब इस श्रेणी के अपराध के बारे में नियमिततौर पर समाचार दिये जाने लगे हैं। विविध प्रकार के रिपोर्ट से अब यही परिलक्षित होता है कि यह अपराध पिछले कुछ वर्षो से लगातार बढ़ ही रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि लोगों में साइबर अपराध के बारे में अधिक से अधिक समझ हो, जिससे कि वे इस अपराध से बचने का उपाय कर सके। साइबर अपराध को रोकने के लिए कई प्रकार के कानून भी बने हुए हैं,। इसी के साथ इस अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई तरह के उपाय भी किये गये हैं। विभिन्न संगठनों एवं कम्पनियों द्वारा भी इससे बचने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। युवा वर्ग साइबर तकनीक का सबसे अधिक इस्तेमाल करता है। अतः स्वाभविक है कि उन्हे इससे जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत अध्ययन में साइबर अपराध के सन्दर्भ में युवाओं में किस प्रकार की जागरूकता है, उसके बारे में अध्ययन किया गया है। इस शोध में सर्वेक्षण विधि अपनाई गयी है। प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि युवाओं में साइबर अपराध के बारे में जानकारी तो है, किन्तु वे इससे जुड़े विभिन्न प्रकार के उन पक्षों से अनभिज्ञ हैं जो कि साइबर अपराध से निपटने में उन्हे सहायक हो सकता है। उनमें साइबर अपराध के प्रति बेहतर समझ पैदा करने की आवश्यकता है। इस विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अभी भी युवाओं में साइबर अपराध के विविध पहलूओं के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। युवाओं में साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द :– युवा, साइबर अपराध, जागरूकता, आदत।

प्रस्तावना :– समाज में विभिन्न प्रकार से अपराध होते हैं। तकनीकों के विकसित होने के साथ ही अपराध करने के तौर तरीके में भी बदलाव होते गए हैं। तकनीकों ने जहॉ एक तरफ मानव के जीवन को सुगम बनाने में मदद की है, वहीं पर वह लोगों द्वारा दुरूपयोग किए जाने कारण अपराध करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती रही है। सूचना तकनीक के विकास के साथ ही इस क्षेत्र में भी अपराधियों द्वारा बृहद् स्तर पर अपराध किये जाने लगे हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ करके किए जाने वाले अपराध ही साइबर अपराध के अंतर्गत परिभाषित किए जाते हैं। हाल के वर्षों में साइबर अपराध में काफी अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त रिपोर्ट साइबर अपराध के प्रकार एवं संख्या में वृद्धि को ही दर्शा रहे हैं। साइबर बुलिंग इसमें बहुत ही सामान्य साइबर अपराध हो गया है और यह ऑनलाइन जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। इस प्रकार के अपराध के कारण से लोगों में विविध मनोवैज्ञानिक समस्या, अवसाद, तनाव अत्यधिक अकेलापन एवं आत्महत्या करने की मनःस्थिति बन जाती है। (Hinduja S, Patchin JW, 2010) ऑनलाइन हरासमेंट को प्रायः साइबर बुलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। किंतु यह एक दूसरे प्रकार का अपराध है। यद्यपि यह संख्या ऑफलाइन हरासमेंट से कम होती है। (Lenhart A , 2010)

साइबर अपराध की समस्या :– साइबर अपराध के सन्दर्भ में क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से प्राप्त ऑकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में 11,592 साइबर क्राइम रिपोर्ट किए गए थे और यह संख्या वर्ष 2006 में रिपोर्ट किए गए 453 की तुलना में लगभग 26 गुना अधिक रही है। वर्ष 2015 में जो 11592 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए थे, उनमें से 8045 मामले इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐक्ट के अंतर्गत आते हैं और 3422 मामले इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत तथा 125 मामले स्थानीय कानून के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2015 में 8121 लोगों को साइबर अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह संख्या 2014 की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक रही। इसी प्रकार से 2006 से लेकर 2015 के बीच जो मामले दर्ज किए गए, उसमें 24140 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2016 तक गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2006 की तुलना में 14 गुना बढ़ गई है।

यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि साइबर अपराध किस प्रकार से तेजी से फैलता गया।

भारत में 31 मार्च 2015 को इंटरनेट के उपभोक्ताओं की संख्या 30 करोड़ और 24 लाख थी। किन्तु 31 मार्च 2016 तक यह संख्या बढ़ करके 34 करोड़ 27 लाख हो गई। इस प्रकार से इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में एक वर्ष के दौरान कुल 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। साइबर अपराध का सबसे बड़ा कारण लालच रहा है। 2015 के दौरान साइबर अपराध के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए कुल मामलों में से इस प्रकार के मामलों की संख्या लगभग एक–तिहाई रही और यह वास्तविक संख्या में 3855 के बराबर थी। इसी तरह, अन्य प्रकार के मंतव्य को ध्यान में रख करके किये जाने वाले अपराधों की संख्या 3008 थी। इसमें धोखा सम्बन्धी अपराध की संख्या 1119 थी, जबकि महिलाओं के साथ किसी प्रकार से अभद्रता करने संबंधी अपराधों की संख्या 606 और यौन उत्पीड़न संबंधी साइबर अपराध की संख्या 588 रही। इसी तरह से मानहानि संबंधी अपराधों की संख्या 387 रही।

भारत में साइबर अपराध की प्रवृत्ति

वर्ष	केस दर्ज	गिरफ्तारी संख्या	वर्ष	केस दर्ज	गिरफ्तारी संख्या
2005	481	569	2011	2213	1630
2006	453	565	2012	3477	2071
2007	556	583	2013	5693	3301
2008	464	373	2014	9622	5752
2009	696	551	2015	11592	8121
2010	1322	1193			

स्रोत– नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो साइबर क्राईम ट्रेंड्स इन इंडिया

कम्पनियों में साइबर सुरक्षा :– भारत में विभिन्न कंपनियों के समक्ष वर्तमान में साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर के सामने आई है। दूसरी तरफ, अब सभी कंपनियां वर्तमान में डिजिटल तकनीक को अपना रही हैं अथवा अपनाने की योजना बना रही हैं। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस कंपनियों को यह बात भी सुनिश्चित करना है कि साइबर अपराध से उत्पन्न किसी भी खतरे के प्रति हर प्रकार से सुरक्षा की जाए। साइबर हमला वर्तमान में काफी लक्षित करके किया जाना संभव हो गया है। अब साइबर अपराधी किसी खास कंपनी, संगठन या व्यक्ति को लक्षित करके हमला करने की क्षमता रखता है। इस कारण से साइबर हमले के परिणामस्वरूप एक तरफ आर्थिक हानि होती है, वहीं, दूसरी तरफ, कंपनियों के क्रिया कलापों पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। (Cyber crime survey report , 2017)

विविध साइट पर किये गये हमले

क.	साइट	वर्ष	यूजर ने समझौता किया
1	याहू	2013–14	3 बिलियन
2	जेपी मार्गन	2014	76 मिलियन
3	इबे	2014	145 मिलियन
4	इक्वीनॉक्स	2017	143 मिलियन
5	उबर	2016	57.6 मिलियन
6	द होम डिपॉट	2016	56 मिलियन
7	फेसबुक	2018	87 मिलियन
8	अंडर आर्मर	2018	150 मिलियन
9	प्ले स्टेशन	2011	77 मिलियन

साइबर क्राइम सांख्यिकी 2018

जनमाध्यमों में साइबर अपराध समाचार :– वर्तमान में साइबर अपराध की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह मीडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपराध समाचार बन गया है। इस प्रकार के अपराध के समाचार को सभी जनमाध्यमों में अलग ढंग से स्थान देना आरंभ कर दिया है। अपने अपने पोर्टल पर साइबर अपराध कानून के अंतर्गत सभी इसे अलग वर्ग में प्रस्तुत करते हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों से संबंधित अपराध समाचार सबसे अधिक प्रकाशित होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा अपने पोर्टल पर विविध प्रकार के साइबर अपराधों को एक जगह दिया जाता है। जनमाध्यमों में इसके बारे में लगातार इससे बचने के लिए मार्गदर्शन भी किया जा रहा है।

साइबर अपराध के प्रकार :– विविध प्रकार के साइबर अपराध करना साइबर अपराधी के तकनीकी कुशलता पर निर्भर करता है। साइबर अपराध करने के लिए वह अपने ढंग से नये नये प्रकार के खोज करता रहता है। यहॉ पर साइबर अपराध करने के कुछ प्रमुख खास तरीके होते हैं। साइबर अपराध के सन्दर्भ में यह भी कहा जाता है कि जितनी संख्या में हैकर हैं, उतनी ही संख्या में साइबर अपराध भी होते हैं। लॉजिक बम, वेब जैकिंग, इन्टरनेट स्टॉकिंग, कम्प्यूटर स्टॉकिंग, डेटा डिड्लिंग, फीशिंग, ई मेल बमिंग एवं स्पैमिंग, वेब जैकिंग प्रमुख साइबर अपराध हैं।

साइबर अपराध के कारण :– साइबर अपराधी हमेशा वे आसान रास्ते ही अपनाते हैं, जिससे आय प्राप्त किया जा सके। इसके लिए भी विभिन्न ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों को निशाना बनाते हैं, जहॉ से उनके यह उद्देश्य पूरा हो सकते हो। एक तरफ, साइबर अपराध को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ, इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। साइबर अपराध के बढ़ने का कुछ खास कारण हैं। इसमें कंप्यूटर के जटिल तकनीक के कारण से उसे हर प्रकार से सुरक्षित रखना मुश्किल होता है और हैकर बहुत से ऐसे रास्ते अपनाते हैं, जिसके माध्यम से वहॉ पर वे पहुंच सके। इस प्रकार कंप्यूटर एवं इस प्रकार के अन्य उपकरणों में बहुत बड़ी मात्रा में विविध प्रकार की सूचनाएं एक ही जगह पर एकत्र हो जाती हैं और यह अपराधी के लिए आसान हो जाता है कि वह उन तक पहुॅच करके आवश्यक जानकारी हासिल कर ले । साइबर अपराध होने के पीछे एक कारण यह भी है कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में इतने तरीके के और इतनी बड़ी संख्या में प्रोग्राम कोड होते हैं कि उन्हें ऑपरेट करते समय किसी न किसी प्रकार की त्रुटि हो ही जाती है। कई बार यह त्रुटि इस ढंग की होती है कि साइबर अपराधियों को अपराध करने में सहूलियत हो जाती है। साइबर अपराध से बचने के संदर्भ में व्यक्ति हमेशा बहुत सतर्क नहीं रह सकता है और उसकी अपराध से बचने के प्रति जो सजगता होनी चाहिए, वह नहीं रह पाती है। इसी प्रकार, साइबर अपराध के संदर्भ में एक बात यह है कि इसमें जो भी आंकड़े होते हैं, उन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इस तरह से वह प्रमाण ही समाप्त हो जाता है, जो कि अपराधी को अपराध करने के संदर्भ में साबित करने के लिए आवश्यक होता है। एक अन्य बड़ा कारण साइबर अपराध के संदर्भ में समाज में लोगों के बीच में जागरूकता की काफी कमी भी है। वे इस बात को नहीं जानते हैं कि किस प्रकार की लापरवाही के कारण से वे साइबर अपराध के शिकार हो सकते हैं। उसका परिणाम यही होता है कि वे किसी न किसी लापरवाही के कारण साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं।

साइबर अपराध के बारे में जागरूकता एवं सुरक्षा :– भारत में साइबर अपराध के संदर्भ में लोगों की जागरूकता बहुत ही कम है। लोग इसके प्रति सचेत नहीं रहते हैं। विभिन्न प्रकार के ऐप्स जो कि वह मोबाइल पर डाउनलोड करते हैं, उसमें मालवेयर, हाईवे आदि कई प्रकार के ऐसे प्रोग्राम होते हैं, जो कि उनकी फोटो, वीडियो, ऑडियो फाइलों को बहुत आसानी के साथ, दूसरे को भेज सकते हैं। इससे उनका कई प्रकार से नुकसान हो सकता है। इस सन्दर्भ में यह सलाह दी जाती हैं कि जब कभी भी जरूरत हो तो सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे कि हैकर किसी प्रकार का नुकसान न कर सके। कंपनी को अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करते रहने की आवश्यकता होती हैं, जिससे कि कोई भी हैकर उसे ट्रैक न कर सके। परमार एवं अन्य (2016) द्वारा किये गये अध्ययन से ज्ञात हुआ कि साइबर कानूनों के बारे में भी लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है।

साइबर अपराध से सुरक्षा :– वर्तमान में साइबर अपराध की समस्या को देखते हुए यह आवश्यक है कि उससे बचने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए। इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाए जाते हैं।

जैसे–जैसे साइबर अपराध की मात्रा बढ़ रही है, उसी के साथ उपाय किए जाने वाले नये सुरक्षात्मक साधन भी अपनाये जा रहे हैं। इसमें सुरक्षा सम्बन्धी साफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाना आवश्यक है। सम्बन्धित साफ्टवेयर को अपडेट किया जाना चाहिए। सभी जगह पर मजबूत पासवर्ड का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया का काफी अधिक इस्तेमाल किया जाता है। किन्तु इसकी सेटिंग को काफी मजबूत करके रखना चाहिए। होम नेटवर्क में सुरक्षा के संदर्भ में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इस तकनीक में बहुत ही मजबूत पासवर्ड का उपयोग किया जाता है और साइबर अपराध को उसे तोड़ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वह संपूर्ण क्रियाकलाप के दौरान पूरे ट्रैफिक के डेटा को इनक्रीप्ट कर देता है। साइबर क्राइम को लेकर के घर, परिवार में बच्चों से बातचीत किया जाना चाहिए और उन्हें इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि किस प्रकार से लोग साइबर क्राइम शिकार होते हैं, जिससे कि वह कभी कोई ऐसी गलती न करें। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को साइबर अपराध से निपटने के सन्दर्भ में आववश्यक उपायों की जानकारी अवश्य होना चाहिए। वर्तमान में साइबर अपराध के बढ़ते रहने के कारण साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर जागरूकता क्लिनिक की आवश्यकता है। कई जगहों पर ऐसे क्लिनिक की आवश्यकता है और बहुत से जगहों पर ऐसे क्लिनिक खोले भी जा चुके हैं।

सुशील चन्द्र भट्ट एवं अन्य **(2011)** द्वारा किये गये शोध से ज्ञात हुआ है कि सभी बैंक अपने सुरक्षा के लिए नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। किन्तु उसमें कई छोटे प्रकार की कमियॉ भी हैं। इनके अनुसार बैकों के सन्दर्भ में आम लोगों के बीच में भी जागरूकता अपनाने की आवश्यकता है। (Susheel Chandra Bhatt et al, 2011) भारत में साइबर अपराध को रोकने के लिए आईटी ऐक्ट बनाया गया है। इस ऐक्ट में विभिन्न प्रकार के किये जाने वाले साइबर अपराधों को स्पष्ट किया गया है। इस ऐक्ट के अन्तर्गत बने कानून की विभिन्न धाराओं से साइबर अपराध को रोकने के लिए प्रयास किया गया है।

समस्या का वर्णन :– साइबर अपराध में किसी प्रकार के बल प्रयोग करने की आवश्यकता नही होती है। अपराध सम्बन्धी सभी प्रकार के कार्य तकनीकी ढंग से किया जाता है। इस प्रकार के अपराध करने का अवसर उस किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध है, जो कि किसी ढंग से गलत विचार रखता है। वर्तमान में सूचना तकनीक का सभी क्षेत्रों में लगातार इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। भविष्य में इसके लगातार बढ़ते रहने की ही उम्मीद है। इस कारण साइबर अपराध की संख्या में भी बढ़ोत्तरी की आशंका की जाने लगी है। विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट से यही संकेत मिलता है कि यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 के बीच भारत में 22000 वेबसाइट हैक की गई है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा दी गई है। इस दौरान 493 वेबसाइट मालवेयर प्रोपेगेशन के द्वारा प्रभावित हुए हैं। इसमें 114 वेबसाइट गवर्नमेंट के भी हैं। इस प्रकार के हमले का मुख्य उद्देश्य नेटवर्क से दिए जाने वाले सर्विस और नेटवर्क उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि साइबर अपराध के सन्दर्भ में लोगों की क्या जागरूकता है ? क्या लोग इससे निपटने के लिए पूरी तरह से सजग रहते हैं और इस सम्बन्ध में सुरक्षा के सभी प्रकार के उपायों को जानते हैं ? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए साइबर अपराध के सन्दर्भ में शोध कार्य किये जाने का महत्व स्वतः ही साबित हो जाता है।

निष्कर्ष :– उक्त विश्लेषण से कुछ निष्कर्ष स्पष्ट तौर पर उभर करके सामने आते है। साइबर अपराध संबंधित संदेश अब सामान्य संदेश बनता जा रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं, जिनके पास साइबर अपराध संबंधित संदेश आते हैं और इसमें लोग साइबर अपराध के शिकार भी होते हैं। प्रत्येक पांचवा युवा साइबर अपराध का किसी न किसी रूप में शिकार हुआ है। लगभग आधी संख्या में युवाओं ने यह भी स्वीकार किया है कि उनके मित्र भी साइबर अपराध के शिकार हुए हैं। किंतु साइबर अपराध के संदर्भ में लोगों की जानकारी एवं समझ अभी कम है। अधिकतर युवा साइबर अपराध के बारे में विस्तार से नहीं जानते हैं।

यही कारण है कि वह इस अपराध से निपटने के तौर तरीकों के बारे में भी अच्छी तरीके से नहीं परिचित हैं तथा वे इसके शिकार हो जाते हैं। हालांकि युवा इस बात के महत्व को समझते हैं कि साइबर अपराध होने पर इसे साइबर सेल में रिपोर्ट किया जाता है, अधिकतर युवा अपने शहर के साइबर अपराध सेल कार्यालय का पता और उसके बारे में जानकारी नहीं

रखते हैं। साइबर अपराध जनमाध्यम का एक महत्वपूर्ण समाचार बन चुका है और युवा इसे रुचि लेकर के पढ़ते भी हैं। इससे उन्हें जानकारी भी मिलती है। अधिकतर युवाओं को साइबर अपराध के विविध पक्षों के बारे में जानकारी जनमाध्यमों से ही मिलती है। साइबर अपराध के बारे में आपस में काफी बातचीत भी करते हैं और इससे भी उनके इसके बारे में जानकारी मिलती है।

साइबर अपराध से निपटने के संदर्भ में युवाओं को साइबर पोर्टल की भी जानकारी नहीं है और इसी प्रकार से वे साइबर अपराध से संबंधित कानूनों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं रखते हैं।

किंतु अपनी तरफ से साइबर अपराध से बचने के संदर्भ में जो कुछ भी उपाय होते हैं, वे उसका यथासंभव पालन करते हैं और यही नहीं, वे इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी दूसरे को भी उपलब्ध कराते हैं और उनका यह प्रयास रहता है कि जब कभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाए तो साइबर अपराध से निपटने या बचने के लिए जो कुछ भी आवश्यक तरीके हैं, उसका पालन करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Hinduja S, Patchin JW,. Bullying, cyber bullying, and suicide. Arch Suicide Res. 2010;14(3):206–221
2. Parmar, Aniruddhsinh & Patel, Kuntal. (2016). Critical Study and Analysis of Cyber Law Awareness Among the Netizens. 409. 10.1007/978-981-10-0135-2_32.
3. (Susheel Chandra Bhatt, Durgesh Pant, Study of Indian Banks Websites for Cyber Crime Safety Mechanism, (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 2, No.10, 2011, 87 | P a g e www.ijacsa.thesai.org)
4. Bhavya Venkatesh, India needs cybercrime awareness clinics, Hindu, April 29, 2018 19:00 IST, Updated: April 28, 2018 13:05 IST,
5. Halder, D., & Jaishankar, K. (2010). Cyber Victimization in India: A Baseline Survey Report. Tirunelveli, India: Centre for Cyber Victim Counselling
6. Teena Jose, Y.vijayalakshmi, Dr.Suvanam, Sasidhar Babu , Cyber crimes in Kerala: A study Advances in Computational Sciences and Technology ISSN 0973-6107 Volume 10, Number 5 (2017) pp. 1153-1159
7. Mehta, Saroj and Singh, Vikram (2013), A Study of Awareness aboutCyber laws in the Indian Society. International Journal of Computing and Business Research, January, Vol.4, Issue. 1
8. Aggarwal, Gifty (2015), General Awareness on Cyber Crime. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering. Vol 5, Issue 8.
9. A Study of Cyber Crime Awareness for Prevention and its Impact- Dr. Manisha K, Dr. Vidya G, ISSN (Online) - 2455-1457
10. Urmila Goel , Awareness among B.Ed teacher training towards Cyber-crime-A Study, Learning Community: 5(2 and 3): August and December 2014: 107-117
11. Kamini Dashora, Cyber Crime in the Society: Problems and Preventions, Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences (2011) Vol 3, No 1, 240-259
12. Shaji. N. Raj , Evaluation of cyber crime growth and its challenges as per Indian scenario ISSN (online): 2347-1697 Volume 2, Issue 9 , May 2015
13. Hasan et al., (2015), Perception and Awareness of Young Internet Users towards Cybercrime: Evidence from Malaysia. Journal of Social Sciences, Vol. 11 (4): 395.404

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 12 Oct. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

समाज में अंतर्जातीय विवाह के प्रति युवा वर्ग का दृष्टिकोण

प्रेमलता शाक्यवार
शोध–केंद्र, सा. महारानी लक्ष्मीबाई उत्कृष्ट महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

सारांश :– विवाह समाज का एक अभिन्न अंग है। विवाह द्वारा समाज, स्वीकृति प्रदान कर स्त्री एवं पुरूष का सम्बन्ध स्थापित करता है। वर्तमान में आधुनिकीकरण के फलस्वरूप विवाह सम्बन्धों में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। शिक्षा के प्रसार, सहशिक्षा, पश्चिमी सभ्यता, इत्यादि के कारण युवा वर्ग में अंतर्जातीय विवाहों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। अंतर्जातीय विवाह एक नये सामाजिक एवं सास्कृतिक परिवेश का सृजन करने में वर्तमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसमें युवा वर्ग एक दूसरे की भावनाओं एवं जीवनसाथी के प्रति उनकी अपेक्षाओं को समझते हैं। अतः अंतर्जातीय विवाह दो विभिन्न समुदायों के मध्य सेतु की भूमिका निभाते हैं।

प्रस्तावना :– विवाह गृहस्थाश्रम का प्रवेश द्वार है और गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। विवाह के द्वारा व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर चार पुरूषार्थो–धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में जीवन को स्थायित्व प्रदान करता है।

हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक कर्तव्यों का पालन रहा है। धार्मिक कृत्यों एवं अनुष्ठानों के माध्यम से विवाह सम्पन्न किए जाते थे। परंतु वर्तमान में औद्योगीकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति एवं विचारधारा, धर्म के प्रभाव में कमी, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता इत्यादि कारकों के फलस्वरूप विवाह संस्था में कुछ परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में विलंब विवाह, अंर्तधार्मिक विवाह, अधिक आयु के महिला एवं पुरूष से विवाह तथा अंतर्जातीय विवाह जैसी प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। वर्तमान में अंतर्जातीय विवाहों का प्रादुर्भाव हो रहा है। अंतर्जातीय विवाह का अर्थ है – अपनी जाति से बाहर विवाह सम्बन्ध स्थापित करना। जब दो लोग जो एक धर्म के हों, परंतु उनका समुदाय एवं जाति पृथक हो, विवाह करते हैं, तो इसे अंतर्जातीय विवाह कहा जाता है।

वेस्टरमार्क के अनुसार :– "अंतर्जातीय विवाह जाति व्यवस्था का सारतत्व है और किसी भी सदस्य द्वारा इस नियम का उल्लंघन सामाजिक अपराध समझा जाता है।

यद्यपि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का हर वयस्क नागरिक अपनी पसंद से विवाह करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जाति और वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत समाज द्वारा इस तरह की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। हालांकि अब पश्चिमीकरण एवं आधुनिकता से प्रभावित होकर युवा वर्ग अपनी इच्छा और पसंद से विवाह करने लगे हैं। वर्तमान में प्रेम विवाह एवं अंतर्जातीय विवाह की संख्या में दिन–प्रतिदिन वृद्धि हो रही है।

अंतर्जातीय विवाह पूर्ण रूप से जाति व्यवस्था पर ही निर्भर है। डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर ने जाति प्रथा एवं उसकी सारी बुराइयों को दूर करने हेतु अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। सन् 1936 में जातिगत भेदभाव और विवाह के बारे में उन्होंने कहा था "मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जातिगत भेदभाव को मिटाने का एक अचूक उपाय अंतर्जातीय विवाह है। रक्त का मिश्रण ही आपसी रिश्तेदारी की भावना को जन्म दे सकता है और जब आपसी रिश्तेदारी की डोर मजबूत होती है, तभी सम्बन्ध स्थायी बनते हैं। जाति की भावना एक दूसरे से पृथक कर अलगाव की भावना पैदा करती है।

इसलिए अंतर्जातीय विवाह ही ऐसा मूलमंत्र है जिससे जातिगत भेदभाव को मिटाया जा सकता है। जहाँ समाज पूर्व से ही रिश्तों से आवद्ध हो, वहाँ विवाह को एक सामान्य घटना के रूप में लिया जा सकता है, परंतु जब समाज विभाजित हो, तब विवाह ही एक ऐसा सूत्र है जिससे समाज जुड़ा रह सकता है, इसलिए जातिप्रथा को तोड़ने का एकमात्र उपाय एवं वर्तमान की आवश्यकता है – अंतर्जातीय विवाह।

पहले के समय में कोई भी युवा परिवार द्वारा तय किए हुए विवाह से प्रसन्न रहता था, परंतु आज के युग में युवा वर्ग बिना जान–पहचान के विवाह नहीं

करना चाहता। अंतर्जातीय विवाह आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं यह साधारणतः विवाह से पूर्व आपसी पसंद के कारण उत्पन्न होता है।

अंतर्जातीय विवाह के कारण :– वर्तमान में युवा में अंतर्जातीय विवाह के कारण इस प्रकार हैं –

- युवा वर्ग द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने के कारण विवाह की संस्कारात्मक प्रकृति में परिवर्तन आया है, फलस्वरूप लड़के–लड़कियाँ अपनी पसंद अनुसार जीवनसाथी को न सिर्फ अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने में दहेज प्रथा भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। सभ्यता के विकास के साथ–साथ दहेज प्रथा की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अनेक व्यक्तियों को अपनी जाति में अच्छा वर प्राप्त करने में कठिनाई होती है, इसलिए भी अंतर्जातीय विवाहों का प्रचलन बढ़ रहा है।
- अंतर्जातीय विवाह के सहायक कारकों में शिक्षा प्रणाली का भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन शिक्षा धर्म मूलक थी, परंतु आधुनिक शिक्षा धर्म–निरपेक्ष है। आधुनिक शिक्षा के माध्यम से युवाओं में नवीन विचारों का उदय हुआ, अतः जाति–व्यवस्था जो मानव–मानव के बीच भेदभाव पर टिकी हुई थी, वर्तमान शिक्षा ने एकता समानता विश्व बंधुत्व आदि का ज्ञान दिया, परिणाम स्वरूप जाति के बंधन शिथिल हुए और अंतर्जातीय विवाह का उदय हुआ।
- युवा वर्ग द्वारा सहशिक्षा प्राप्त करने सहकर्मी होने अथवा अन्य किसी कारण से संपर्क में आने के अवसर के फलस्वरूप उनमें प्रेम की भावना विकसित होने लगती है। परंतु प्रेम धर्म, जाति वर्ण नहीं देखता है, इस प्रकार प्रेमवश युवक–युवतियाँ जाति–पाति के सभी बंधनों को तोड़कर एक दूसरे के साथ अंतर्जातीय विवाह करते हैं।
- जहाँ पहले जीवनसाथी का चुनाव माता–पिता द्वारा करना अनिवार्य था, परंतु वर्तमान में प्रेम पर आधारित विवाहों की संख्या में वृद्धि दिखाई देती है। युवा वर्ग एक दूसरे को न केवल चुन रहे हैं बल्कि अंतर्जातीय विवाह भी कर रहे हैं।
- वर्तमान में हिंदू विवाह में संगोत्र एवं सप्रवर विवाह कानून की दृष्टि से वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अब यह भी अनिवार्य नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करे। इस प्रकार वर्तमान में विवाह सम्बन्धी निशेधों में कमी आने के फलस्वरूप अंतर्जातीय विवाह उदित हो रहे हैं।
- पहले माता–पिता ही अपनी संतानों के लिए जीवनसाथी का चुनाव करते थे परंतु वर्तमान में शिक्षा के स्तर में वृद्धि होने, अधिक आयु में विवाह होने तथा लड़के–लड़कियों का एक–दूसरे के संपर्क में आने एवं मिलने से युवा वर्ग स्वयं जीवनसाथी का चुनाव करने लगा है। इस प्रकार अंतर्जातीय विवाह फलीभूत होते दिखाई देते हैं।
- पहले विवाह हेतु रिश्ता खोजते समय संबंधी की सहायता ली जाती थी अथवा रिश्तेदारों के माध्यम से विवाह संबंध तय किए जाते थे, परंतु वर्तमान में संचार के साधनों में तीव्रता से वृद्धि होने के कारण युवा अपने जीवनसाथी का चुनाव समाचार–पत्र इंटरनेट, मैरिज वेबसाइट के माध्यम से भी कर लेते हैं। इसके लिए वह प्रत्यक्ष बातचीत अथवा प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से अपने जीवनसाथी का चुनाव करते हैं के प्रति विश्वास, एक दूसरे की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के निर्णयानुसार विवाह किया जाता है, जो किसी भी जाति में हो सकता है, अतः युवा वर्ग द्वारा वर्तमान में विवाह की स्थिति में परिवर्तन के फलस्वरूप अंतर्जातीय विवाह किए जा रहे हैं।
- वर्तमान में विवाह के धार्मिक पक्ष की बजाय वैयक्तिक पक्ष का महत्व दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में युवा अपनी पसंद के अनुसार जीवनसाथी का चुनाव करने लगे हैं। इस हेतु वह परिजनों के समक्ष समस्त जाति, धर्म के बंधनों को त्यागकर अपने जीवनसाथी को लाकर खड़ा कर देते हैं, इस प्रकार उनका यह वैयक्तिक फैसला अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करता है।
- भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह किसी भी जाति अथवा अथवा धर्म के स्त्री या पुरूश से विवाह कर सकता है। सन् 1954 में पारित विशेष विवाह अधिनियम के द्वारा 1872 के प्रावधानों को निरस्त कर नवीन अधिनियम के अंतर्गत दो भारतीयों को चाहे वे किसी भी धर्म अथवा जाति के हो न्यायालय की सहायता से विवाह करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार सामाजिक

विधान के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह को बल मिला।

- वर्तमान में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने हेतु शासन की ओर से नवदंपत्तियों के लिए सहयोग योजना चलाई जा रही है। जो केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार ने सामाजिक एकीकरण हेतु डॉ0 अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है। इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग द्वारा गैर अनुसूचित जाति वर्ग (हिंदू संवर्ग) से विवाह करने के फलस्वरूप 2.5 लाख रूपये एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी 2.5 लाख रू0 की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। शासन द्वारा यह अनुदान इसलिए प्रदान किया जा रहा है कि इन युगलों को अब वैवाहिक प्रारंभिक समय के दौरान वित्तीय संकट का सामना करने की चिंता नही रहेगी, इस प्रकार शासन का यह प्रयास अंतर्जातीय विवाहों को बल प्रदान करने में सराहनीय एवं महत्वपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान में युवाओं द्वारा अंतर्जातीय विवाह करने के कारणों में मीडिया, संचार तथा यातायात के साधन, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, समानता की भावना राष्ट्रीय आंदोलन, महिला, आंदोलन वैज्ञानिक शिक्षा, आधुनिकीकरण, नगरीकरण एवं वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण जाति को महत्व न देकर योग्यता को महत्व देना है, जिनसे युवा वर्ग में अंतर्जातीय विवाह करने की भावना को बल मिल रहा है।

भारत का संविधान यह अधिकार प्रदान करता है कि कोई भी स्त्री एवं पुरूष किसी भी जाति एवं धर्म के व्यक्ति से विवाह कर सकता है। और उनके इस अधिकार को सुरक्षित करने हेतु समय–समय पर सामाजिक विधान बनाए गए–

- आर्य समाज विवाह मान्यता अधिनियम (1937)
- हिंदू विवाह निर्योग्यता निवारण अधिनियम (1946)
- हिंदू विवाह मान्यता अधिनियम (1949)
- विशेष विवाह अधिनियम (1954)
- हिंदू विवाह अधिनियम (1955)

मध्य प्रदेश में अंतर्जातीय विवाह :– संपूर्ण मध्य प्रदेश में युवाओं द्वारा सन् 2010–2019 के मध्य किए गए कुल अंतर्जातीय विवाहों का विवरण इस प्रकार है–

क्रमांक	जिला	कुल अंतर्जातीय विवाह
1	इंदौर	160
2	बालाघाट	68
3	उज्जैन	67
4	होशंगाबाद	59
5	भोपाल	54
6	खरगोन	45
7	बैतूल	38
8	छिंदवाड़ा	36
9	देवास	37
10	सीहोर	35
11	सिवनी	31
12	नीमच	30
13	दमोह	26
14	जबलपुर	24
15	मंडला	22
16	नरसिंहपुर	20
17	ग्वालियर	19
18	मंदसौर	19

19	सतना	12
20	कटनी	9
21	अशोकनगर	8
22	रतलाम	7
23	रायसेन	8
24	सागर	8
25	विदिशा	6
26	शाजापुर	6
27	हरदा	8
28	खंडवा	5
29	रीवा	8
30	श्योपुर	4
31	बड़वानी	4
32	शहडोल	4
33	अलीराजपुर	4
34	बुरहानपुर	4
35	टीकमगढ़	3
36	मुरैना	2
37	दतिया	2
38	धार	2
39	सीधी	1
40	राजगढ़	1
41	शिवपुरी	1
42	गुना	2
43	पन्ना	1
44	उमरिया	2
45	अनूपपुर	1
46	सिंगरौली	1
47	डिंडोरी	1
48	आगर मालवा	0
49	भिंड	0
50	घतरपुर	0
51	झाबुआ	0
	कुल योग	**915**

अंतर्जातीय विवाह हेतु उपलब्ध भारत सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे समेत कई अन्य सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियों के ऑकड़ो से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत में मात्र 11 प्रतिशत विवाह ही अंतर्जातीय होते हैं। जबकि 2.1 प्रतिशत विवाह दूसरे धर्मों में किए जाते हैं। इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि भारत के बड़े शहरों में ही सबसे ज्यादा अंतर्जातीय विवाह होते हैं। गोवा में सर्वाधिक अंतर्जातीय

विवाह होते हैं (20.69 प्रतिशत) जबकि अपनी पसंद के लड़के चुनने मे सबसे अधिक आगे पंजाब की लड़कियाँ हैं। दक्षिण भारत जो भारत के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से विकसित राज्यों में आता है, यहाँ अंतर्जातीय विवाह मात्र 9.71 प्रतिशत होते हैं। भारत में हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे कई राज्यों में ऑनर किलिंग का सबसे बड़ा कारण अंतर्जातीय विवाह ही होते हैं।

अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें सफल बनाने हेतु कुछ सुझाव इस प्रकार हैं –

- विज्ञापन एवं प्रचार माध्यमों द्वारा लोगों की मानसिकता बदलने का प्रयास करना।
- शासन द्वारा अंतर्जातीय विवाह करने वाले युगलों हेतु शासकीय नौकरी का प्रावधान करना।
- जीवनसाथी के चुनाव में जाति को नहीं बल्कि योग्यता को महत्व देना।
- अंतर्जातीय विवाह को पारिवारिक एवं सामाजिक रूप से स्वीकृति प्रदान करना।
- विभिन्न सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाओं द्वारा अंतर्जातीय विवाहों का प्रचार किया जाना।

निष्कर्ष :– अंतर्जातीय विवाह में व्यक्ति की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होती है लेकिन दूसरी ओर इसमें वास्तविकता का अभाव, जीवन के उद्देश्यों की अनुपस्थिति एवं कल्पना होने के कारण भारत में अंतर्जातीय विवाह को पूर्ण सफलता नहीं मिल पा रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान में अंतर्जातीय विवाह ही ऐसा मूलमंत्र है, जिससे जातिगत भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। अंतर्जातीय विवाह वर्तमान समय की आवश्यकता भी है, अतः समाज के सभी सदस्यों को अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे समाज में विभिन्न जातियों के मध्य समन्वय एवं सद्भावना का विकास हो सके।

संदर्भ :–

- गुप्ता, मोतीलाल, "भारत में समाज", राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2008, पृ0सं0–154–158
- "अंतर्जातीय विवाह (दलित) के लिए डॉ0 अंबेडकर योजना", नवंबर 4, 2018
- www.pradhanmantrivikasyojna.com
- "सामाजिक विधान", अप्रेल, 2, 2017 Pathmaker.in
- साल्वे, प्राची और सौम्या" भारत में सबसे ज्यादा अंतर्जातीय विवाह कहाँ होते हैं।", मई 14, 2016 Amar Ujala.com
- कोठारी, गुलाब, "अंतर्जातीय विवाह की उलझन" "पत्रिका समूह" सितंबर 13, 2011
- Sc development mp.nic.in

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 12 Oct. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

बिहार में प्रचलित लोकवाद्य का भविष्य

डॉ. सुनील कुमार तिवारी
उपाचार्य व अध्यक्ष संगीत विभाग, सुन्दरवती महिला महाविद्यालय, तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर–812001
दीपक कुमार राय
शोधार्थी, तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय

''बिहार अपनी समृद्ध परम्परा एवं सांस्कृतिक धरोहरों के लिए गौरवान्वित रहा है। भारत में ऐतिहासिक युग की शुरूआत जिस मौर्यकाल से मानी जाती है, उसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी। बिहार 'विहार' का परिवर्तित रूप है। बहुसंख्यक बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम 'विहार' पड़ा जो बाद में बिहार हो गया। बिहार उत्तर पूर्वी भारत का एक भू – आविष्ट राज्य है, जिसके उत्तर में नेपाल दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है।''

बिहार की कलात्मक सम्पदा प्राचीन है बहुआयामी भी और समृद्ध भी। कला, साहित्य, शिक्षा, नाटक, खेल, पत्रकारिता, लोककला, लोक नृत्य इत्यादि की विशिष्ट पहचान रही है।

सामवेद में 64 (चौंसठ) कलाओं का वर्णन है उन कलाओं में एक है ललित कला। ललित कला के पाँच भाग है–चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, कविता और संगीत। संगीत को गायन, वादन और नृत्य का त्रिवेणी कहा जाता है। तीनों एक–दूसरे से अलग होते हुए भी एक है। एक–दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना एक की कल्पना अधूरी है।

वादन के रूप में दो तरह के वाद्य होते है। एक जो स्वतंत्र रूप से बजते हैं और दूसरा जो सहयोगी के रूप में आते हैं। जो वाद्य गाने के साथ बजाए जाते हैं वे सहयोगी वाद्य कहे जाते हैं। जैसे लोक गीतों के साथ लोक वाद्य – ढोलक, बंशी, बांसुरी, मांदर, झाल इत्यादि। ये उपयुर्क्त वाद्य स्वतंत्र और सहयोगी दोनों तरह से बजते हैं। इन्हीं वाद्यों का प्रयोग लोकगीतों में भी होता है जिसे लोक वाद्य कहते है।

लोक शब्द का अर्थ प्राचीन समय से ही जनसामान्य के अर्थ में होते आ रहा है। धातु के अनुसार लोक शब्द का तात्पर्य ''देखने वाला'' के अर्थ में है। ऐसी स्थिति में वह समस्त 'जन समुदाय' जो देखने का कार्य करता है, 'लोक' कहलाता है। और इसी लोक द्वारा गाए जाने वाले संगीत को लोक संगीत कहते है। इस संगीत को गाने के लिए ताल की आवश्यकता होती है। वास्तव में ताल एक माप की क्रिया है दो स्वरों के बीच के अन्तराल को नापने के लिए ताल की क्रिया आरम्भ होती है। इसी ताल को दर्शाने के लिए वाद्य का प्रयोग स्वतंत्र या संगत के रूप में होता है। इसी वाद्य को लोक वाद्य कहते हैं।

हमारे शास्त्रीय संगीत में अनेक प्रकार के वाद्ययंत्रों का प्रयोग होता है। ताल और स्वर दोनों के लिए अनेक प्रकार के वाद्ययंत्रों की सृष्टि वैदिक काल से ही है। आर्यों ने विविध प्रकार के वाद्ययंत्रों की नींव ही नहीं डाली बल्कि उनका उपयोग कर भौतिक धरातल से उँचा उठाकर कला के दिव्य तथा अलौकिक जगत् में ले जाकर प्रतिष्ठित कर दिया। 'रामायण' और 'महाभारत' में भी इस बात का प्रमाण मिलता है। उस समय के संगीत में 'मृदंग', 'मुरली', 'पणव' एंव अनेक प्रकार की वीणा आदि के प्रयोग का उल्लेख मिलता है।

संगीत के वाद्ययंत्रों की व्यवस्थित जानकारी हमें प्राप्त होती है तो वह है – भरतमुनि कृत नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र के 28 वें अध्याय में वाद्ययंत्रों का वर्णन किया गया है :– इस अध्याय में चार प्रकार के वाद्ययंत्र बताए गए हैं : –

'ततं चैवावनद्धं च घनं
सुषिरमेव च' अर्थात। (1) तत्त (2) अवनद्ध (3) घन व,
(4) सुषिर – इन चारों प्रकार के वाद्यों के लक्षण भी इसी अध्याय में दिए गए हैं।

तार से बजने वाले वाद्य को 'तत्त' कहते है जैसे – वीणा, तंबुरा, चमड़े से मढ़े हुए को 'अवनद्ध' वाद्य कहा जाता है – मृदंग, पुष्कर आदि। काँसे, पीतल आदि धातु के बने वाद्य को घन वाद्य कहा जाता है। इन बाजों को ताल वाद्य कहने की प्रथा थी। इस श्रेणी में झाँझ, मँजीरा, घंटा आदि वाद्य आते हैं। वायु के

संयोग से बजने वाले वाद्य को 'सुषिर' वाद्य कहा गया। इस कक्षा में वंशी, शहनाई, आदि वाद्य आते हैं।

बिहार के लोक संगीतों के साथ जो वाद्य बजाए जाते हैं उनके नाम निम्न प्रकार है। लोक गीतों के साथ बजने वाले वाद्य जो मूलतः प्राचीन समय से बजाए जाते हैं वे है ढ़ोलक, झाल, झाँझ, मँजीरा, करताल। अब हारमोनियम भी बजाया जाता है जो मूलरूप से प्रमुख वाद्य का स्थान ले चुका है। हर गीत में क्षेत्र के हिसाब से वाद्य यंत्र बजाया जाता है जैसे आदिवासी क्षेत्र में माँदर। माँदर आदिवासियों की जान होता है। किसी संकट में लोगों को एकत्रित करने के लिए माँदर का प्रयोग किया जाता है। दिनभर काम करके आदिवासी किसान जब अपने आखरा में उतरते हैं तो अपनी थकावट को दूर करने के लिए वे एक जगह आखरों में एकत्रित होकर नाच गान करते हैं। कहा जाता है कि माँदर के फूट जाने पर वे गम का एहसास करते हैं। माँदर के आवाज पर थिरकते हैं और गोल – गोल घूमकर नृत्य करते हैं। उसमें पुरूष और महिलाएँ सभी आनन्द लेते हैं। नृत्य रातों – रात चलते रहता है।

भविष्य :– लोकवाद्यों में जैसे – माँदर के भविष्य को देखें तो जिस वाद्य का संबंध मनुष्य के प्राण से है वो दूर कैसे हो सकता है लेकिन समय के परिवर्तन के साथ पाश्चात्य और चित्रपट संगीत के कारण उसकी लोकप्रियता में थोड़ी–सी कमी आभी है लेकिन वह सर्वथा विलुप्त नहीं होता। माँदर आदिवासियों का प्रमुख वाद्य है यह अवनद्ध वाद्य की श्रेणी में आता है। जबतक जनमानस के मन में इस वाद्य के प्रति प्रेम पिपासा बनी रहेगी तथा उसका प्रयोग होते रहेगा तब तक यह वाद्य जीवित रहेगा। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जब 15 अगस्त और 26 जनवरी यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न भागों से झाँकियाँ निकलती हैं तो उसमें आदिवासी लोकगीत अथवा लोकनृत्य में राष्ट्रीय स्तर पर माँदर गले में लटकाएँ हुए कलाकारों का दृश्य देखने को मिलता है। यह हमलोगों का बहुमूल्य धरोहर है जिसको संचयन करके रखना हमलोगों का कर्तव्य बनता है।

दूसरा वाद्य है वंशी जो सुषिर वाद्य की श्रेणी में आता है। जिसको हमारे आदिवासी समाज बजाते हैं। महिला और पुरूष मिलकर नृत्य करते हैं। उसमें सहयोगी के रूप में वंशी के माध्यम से गीतों को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार मवेशियों को चराते समय भी चारवाहें जो पहाड़ों पर पशुओं को चराते हैं तो वंशी बजाते रहते हैं। इस वाद्य का भविष्य तो इतना उत्तम है कि इसका लोकगीतों के साथ – साथ शास्त्रीय संगीत में स्वतंत्र रूप में; धुनों तथा गत्तकारियों के साथ होते आ रहा है। इस वाद्य ने अपना स्थान शास्त्रीय संगीत में बना लिया है। यह तो श्रीकृष्ण से लेकर अभीतक अपने उसी रूप में विद्यमान है। यहाँ तक की वृन्दावन से लेकर चित्रपट संगीत तक में इसका अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

एक वाद्य एकतारा और तुनतुने या तुनतिनां ये मशक वाद्य है इस वाद्य को शिक्षक अपने हाथ में लेकर चलते है। यह आकार में छोटा होता है। लगभग 25 सेंटीमीटर ऊचा और 15 – 20 सेंटीमीटर चौड़ लकड़ी का पोला वर्तुलाकार खोल जिसके नीचे की तह चमड़े की मढ़ी होती है। बाहर की तरफ लगभग 75 सेंटीमीटर लम्बे बाँस के टुकड़े को इसमें कस दिया जाता है। इस बाँस के उपर एक खूंटी गाढ़ कर तार कस दिया जाता है। ऊंगली से तार को छेड़ कर विभिन्न स्वर निकाला जाता है। विशेषकर महाराष्ट्र के लोक गीतों खासकर तमाशा और पौवाड़ा में तुनतुने की संगीतात्मक क्षमता का सही रूप देखने को मिलता है और दूसरा वाद्य 'गोपी यंत्र' जिसे कभी इकतारा भी कह देते हैं। यों तो गोपी यंत्र बंगाल और बिहार दोनों में प्रचलित है। बाउल गायक साधारणतः इस वाद्य को अपने हाथ में लेकर चलते है। गाँव – गाँव विचरण करते हुए ये गायक गोपीयंत्र के साथ सुमधुर स्वरों पर (खमक तथा बायन ढ़ोलकी बजाकर सुनाते हुए समां बाँध देते है)।

बिहार के लोक वाद्यों में इन वाद्यों का भविष्य बहुत अच्छा है क्योंकि भिक्षुओं से लेकर गायक लोग इसका प्रयोग करते है। वर्तमान समय में भोजपुरी लोक गीतों में जिस वाद्य का माँग बढ़ा है वो है–''प्रेमताल या चोनका'' इस वाद्य में लयात्मक प्रभाव अधिक होता है। तुनतुना और गोपी यंत्र की भाँति इसमें भी चमड़े की झितली मढ़ी होती है। जिसमें बाहर की ओर तार फंसा कर निकाल लिया जाता है। यह तार लगभग 60 सेंटीमीटर का होता है। इसको बजाते समय वादक को इसे अपनी बगल में दबाना होता है और उसी हाथ से ताँत के दूसरे सिरे को थामना होता है। इसी सिरे पर लकड़ी का कुंदा होता है जिसे पकड़ कर तांत को कड़ा रखा जाता है। लकड़ी के एक कांटे द्वारा दूसरे हाथ से तारों को छेड़ते हैं। ऐसा करते समय, उस हाथ

को जरा धक्का देते हैं। इस वाद्य में स्वर और लय का अदभुत संगम, जिसका आनन्द घंटों तक लिया जाता है। इस वाद्य यंत्रों का प्रयोग सपेरों और लोक गायकों में विरहा या आल्हा गायकों द्वारा किया जाता है।

एक वाद्य 'प्रधानों की किंगरी' है जो पश्चिमी भारत का रावणहत्ता, आंध्र में प्रधानों की किंगरी और केरला के पल्लवों की वीणा कुंजु इसी प्रकार का वाद्य है। इस वाद्य का प्रयोग पिछड़ी आदिवासी जाति में है, प्रधान जिसके पुजारी, भाट और संगीतकार होते हैं। इनका कार्य गौड़ परिवार की स्तुति गान, धार्मिक अनुष्ठान, अन्तिम संस्कार, विवाह, पर्व – उत्सवादि सम्पन्न करना है। इसका भविष्य बिहार में बहुत कम हो गया है इसके अलावे एक वाद्य है 'बानाम' जो पाँच दशक पहले बच्चों के जन्मोत्सव के ऊपर घूम–घूम कर एक जाति थी जो बड़ी सुन्दर ढ़ंग से बाजाती थी। हमारे पूर्वज भी इस बात की पुष्टि करते हैं। इनका नाम पवरिया हुआ करता था। ये वाद्य भी विलुप्त है। इनलोगों को बजाने पर बहुत उपहार दिया जाता था जिसे वे अपना जीवन–यापन करते थे। इस वाद्य की आवाज बड़ी मीठी होती थी। अभी भी यह वाद्य कोशी क्षेत्र में पायी जाती है। ये वाद्य वायलीन आकार का होता था इसके गज में घुंघरू लगे रहते थे। इसमें एक तबली हुआ करता था जो चमड़े से छाया रहता था। उसमें बायें हाथ से तार को दबाकर दाहिने हाथ से गज से बजाया जाता था। ये वाद्य भी विलुप्त के कगार पर है। इसके बजाने वाले लोग कम हैं।

इसके अलावे 'चिमटा', 'मंजीरा', 'झाल', 'बौरताल', घुँघरू, इत्यादि ये सभी वाद्य धन वाद्य की श्रेणी में आते है। चिमटा का प्रयोग बिहार में अनुसूचित जाति के लोग विवाहोत्सव में राहबाबा का पूजा करते हैं उसमें गीत गाते हुए चिमटा का प्रयोग करते हैं साथ में नृत्य भी करते हैं। मंजीरा या जोड़ी भोजपुरी क्षेत्र के यहाँ लोक गायक पूर्वी गाने में का प्रयोग करते है ये वाद्य ताल देने के काम में आता है। इसकी आवाज बड़ी मधुर होती है। झाल का प्रयोग गाँव के कीर्तन, भजन, होरी, चैती इत्यादि लोक गीतों में होता है। घुंघरू का प्रयोग लौंडा नाच में लड़का–लड़की बनकर पैर में घुंघरू बाँधकर नाचता है। जिसके साथ हारमोनियम, ढोलक, नाल, जोड़ी इत्यादि का संगत होता है। इन वाद्यों का भविष्य सदाबहार है। इनका प्रयोग लोक वाद्यों के रूप में बहुत होता है।

बिहार प्रदेश के लोक गीतों के समूह में सबसे प्रसिद्ध समूह है चैता। इसमें एक गोल और दो गोला चैता होता है जिसमें प्रतियोगिताएँ होती हैं। इसमें प्रयोग होने वाले लोक वाद्य हैं :– झाल जो काँसे का बना होता है। एक गोल में यानी समूह में करीब 30, 40 या 50 झाल रहते है। इस समूह में एक साथ ढ़ोलक, झाल, हुरका, नाल, छींटा का प्रयोग होता है। इसमें लोग गोलाकार बैठते हैं उसमें एक या दो मुख्य गायक होते हैं। उनके साथ 30 या 40 सहगायक होते हैं। आगे – आगे मुख्य गायक गाता है उसके पीछे पूरे लोग एक साथ गाते हैं। इसमें एक साथ ढ़ोलक, झाल, नाल, हुरका, छींटा, झाँझ बजता है। इन वाद्यों का भविष्य पहले ही उज्जवल था और अभी भी है। यह बिहार का प्रमुख लोकगीत है। इस गीत के साथ एक और लोक वाद्य है जो पाश्चात्य वाद्य होते हुए भी लोक वाद्य में प्रयोग होता है वो है–

क्लार्नेट, यह बैन्ड पार्टी में भी प्रमुख वाद्य है शादी ब्याह के मौके पर बिहार का बैंड पार्टी बहुत प्रमुख था। अभी इसका महत्व कम हो गया है। फिर भी यह अब भी प्रचलित है। परिवर्तन की दौर सभ्यता के विकास के साथ–साथ इसका भविष्य भी प्रबल है।

तत्त वाद्यों की श्रेणी में आनेवाला वाद्य जो लोकवाद्य की श्रेणी में आता है वो है ''बैंजो'' यह हर प्रकार के लोकगीतों में बखूबी प्रयोग होता है। इसमें कीबोर्ड का भी प्रयोग होता है। इसे बायें हाथ से हारमोनियम की तरह बजाते हैं। ये वाद्य वृन्दावन के अन्तर्गत लोकगीतों में प्रयोग होता है। ये पहले से ही लोकप्रिय रहा है और भविष्य की दृष्टिकोण से भी लोकप्रिय रहेगा।

लोक वाद्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान धार्मिक दृष्टिकोण से ढ़ोल का है। दुर्गापूजा के समय 10 दिनों तक सुबह – शाम देवी अराधना के समय आरती में इस वाद्य को बजाया जाता है। आमतौर पर बड़े वाद्य को और छोटे वाद्य को ढ़ोलक कहा जाता है। इसके अलावा मुस्लिम पर्व मुहर्रम के ताजिया जुलूस में इस वाद्य को बजाया जाता हैं। इसके बीच मुस्लिम समाज तथा हिन्दू दोनों समाज के लोग लाठी, तलवार चलाने की कला सीखते हैं और लाठी से कलाबाजी की कला का प्रदर्शन करते हैं। इस वाद्य को गले में लटका कर बजाया जाता है। इसको बजाने में दोनों हाथों से कमची का प्रयोग करते हैं जो बाँस का होता है। इसकी

आवाज ऊँची होती है और बहुत दूर तक सुनाई पड़ती है। ये वाद्य हमेंशा से हमारे समाज में प्रचलित रहा है। चुँकि ये वाद्य धर्म से जुड़ा है इस कारण इसके विलुप्त होने का सवाल नही उठता। मुहर्रम में ताशे का प्रयोग भी होता है। जो बड़े ढ़ोलक के भांति बजता है। आजकल इसके रूप में परिवर्तन हो गया है। धातु के कनस्तर पर सिंथेटिक परत गढ़ा जाता है जो चमड़े की जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है।

निष्कर्ष रूप में बहुत से वाद्य ऐसे है जिनका प्रयोग लोक गीतों में होता है। समाज परिवर्तनशील है इस कारण कुछ वाद्यों की लोकप्रियता कम होती है तो कुछ की बढ़ती है। वाद्यों का भविष्य सामाजिक ढ़ांचे पर निर्भर करता है। इस कारण इन वाद्यों को विलुप्त होने से जरूरी है बचाना। यो तों अनेक वाद्य है जिसे हम चर्चा में नहीं लाए क्योंकि वाद्यों का वर्णन एक वृहद् कार्य है। एक – एक वाद्य का वर्णन, बनावटें, बजाने का तरीका, प्रयोग, अवसर, इन सारी बातों पर निर्भर करता है। इसके लिए अलग से शोध की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूचो :–

(1) देव, बी0 चैतन्य, वाद्ययंत्र, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया।
(2) संगीत पत्रिका, संगीत कार्यालय हाथरस, ऊ0 प्र, दिसंबर 1936,
(3) परांजपे, डॉ0 शरच्चन्द्र श्रीधर, मध्यप्रदेश, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
(4) स्वयं का अनुभव,
(5) गुरूजनों से परामर्श

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 12 Oct. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

वेदों में 'ऋत' की अवधारणा

डॉ. जितेन्द्र शर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, म.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट सतना (म.प्र.)

आलेख सार :– वैदिक ऋषियों के जीवन में नैतिकता की अवधारणा लौकिक और लोकोत्तर सिद्धि की केन्द्रीय धुरी रही है। नैतिक सदाचरण के अभाव में भौतिक जीवन में सुख–समृद्धि और पारलौकिकता में निश्रेयस की सिद्धि की कल्पना उसी तरह से मूर्खतापूर्ण मानी जाती थी जैसे कच्चे धागे से अनन्त आकाश को बांधने की वायब्य कल्पना। नैतिक सदाचरण की इसी पृष्ठभूमि में 'ऋत' की अवधारणा का आविर्भाव हुआ। ऋत एक ऐसी नैतिक अनुशासन व्यवस्था थी, जिसके नियन्त्रण में सम्पूर्ण सृष्टि थी। ऋत के अनुकूल आचरण जहाँ एक तरफ लौकिक समृद्धि प्रदान करता था वहीं इससे परात्पर दैवी सत्तायें भी मानव जाति पर अपना अनुग्रह बरसाती थी। वैदिक ऋषि इस नैतिक अनुशासन के प्रति इतना अधिक प्रतिबद्ध था कि प्रातः जागरण से लेकर शयन क्रिया तक, यज्ञादि से लेकर दैव आराधना तक की सम्पूर्ण क्रियायें 'ऋत्' द्वारा ही संचालित होती थी। उनकी यहाँतक मान्यता थी कि प्रकृति का संचालन और नियंत्रण भी ऋत् के माध्यम से होता था। यहाँ तक कि सूरज चाँद, सितारों की नियमित गतिविधियाँ भी 'ऋत' के कारण ही है। 'ऋत' वह वस्तु है, जिसके अभाव में प्रकृति के सारे कार्य व्यापार रुक जाते है। ऋत का संचालन और नियंत्रण कोई परासत्ता ही कर सकती थी। अतः 'वरुण' को इसके अधिमानी देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया।

नैतिकता के परम आदर्श के रूप में मानव जीवन में 'ऋत' की अभिव्यक्ति सत्य के रूप में होती है। अतः सत्य को नैतिक सदाचरण का मेरूदण्ड माना गया। सत्य के विपरीत जो कुछ भी था वह कदाचरण थ और पाप था। वैदिक ऋषियों के जीवन में 'सत्य' की अवधारणा इतना बद्धमूल हो गयी कि कदाचित असद् आचरण–पाप, सत्य के सम्पर्क में आकर सत्य हो जाता था। इसी वैचारिक पृष्ठभूमि में मनुष्य सत्यान्वेषी और सत्यपारायण हुआ और उसके हृदय में प्रायश्चित की विचारधारा ने जन्म लिया। प्रायश्चित करके जीव अपने पापों से मुक्त हो जाता था। साररूप में कहा जा सकता है कि वैदिककालीन 'नीति' का आधार 'ऋत' और 'सत्य' की अवधारणा थी जिससे परवर्ती काल में कर्मवाद के सिद्धांत का विकास हुआ। कालान्तर में 'ऋत', 'सत्य' और कर्म की यह दार्शनिक अवधारणा भारतीय दर्शन में परिष्कृत रूप में 'धर्म' की व्यापक विचारधारा के रूप में हमारे सामने आयी।

मानव जीवन का इतिवृत्त मानव के नैतिक स्वरूप की व्याख्या है। वेदों, उपनिषदों और स्मृतियों तथा पुराणों में इस पर गहन अनुसंधान तथा विश्लेषण प्राप्त होता है। चाहे वह भौतिकता की सर्वतोभावेन उपलब्धि हो अथवा हो अध्यात्म की ऊँची उड़ान अथवा हो आत्मस्वरूप का अनुसंधान नैतिकता इसकी केन्द्रीय धुरी रही है और नैतिक आचरण इसकी प्राप्ति का साधन। इसके बिना स्वस्थ सामाजिक जीवन असम्भव होता तथा व्यक्तिगत सुख–शान्ति की कल्पना भी न होती। स्मृतियों, पुराणों सहित सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय में इसका विस्तृत एवं व्यापक उल्लेख मिलता है। एवं कर्तव्यं एवं न कर्तव्यं इत्यात्मको यो धर्मः सा नीतिः के रूप में नैतिकता को परिभाषित करते हुये ऋषियों ने नैतिक आचरण की कसौटी के रूप में आचारशास्त्र का विकास किया। सभ्यता के उषःकाल में (वैदिकयुग) आर्ष नैतिकता का केन्द्र बिन्दु प्रकृति थी। प्रकृति के पोषणकारी और प्रलयंकारी दोनों रूपों से उसने नैतिकता का प्रथम पाठ सीखा। प्रकृति की पोषणता से उसने औदार्य, परोपकार, सहकार और सामंजस्य सीखा और प्रलयंकारी स्वरूप से दण्ड विधान। अथर्ववेद के अनुसार ''वह पुरुष घर की कीर्ति और यश को खा जाता है जो अतिथि से पहले खाता है।''[1]

उसकी कामना होती थी–''जिनको मैं देखता हूँ और जिन्हें नहीं देखता हूँ, उन सबके प्रति मुझमें सुमति उत्पन्न करें।''[2]

प्रो. रामजी उपाध्याय का मत है ''भारत में आचार तथा चरित्र की प्रतिष्ठा का प्रधान आधार प्रकृति की उदारता तथा सहायशीलता रही है। प्रकृति की समृद्धि ने मानव को शरीरतः केवल सुखी ही नहीं बनाया, वरं अपनी उदारता के अनुरूप मानव के हृदय को उदार बना दिया। परिणामतः मानव पारस्परिक व्यवहार में स्वार्थ और संकीर्णता से ऊपर उठा और उसमें उदात्त भावनाओं का स्फुरण हुआ।''[3]

प्रकृति के खुले प्रांगण में यदि नैतिकता का आविर्भाव हुआ तो नैतिक नियमों के संरक्षण और संवर्द्धन की जिम्मेदारी भी ऋषियों ने प्रकृति पर छोड दिया। इस हेतु आवश्यकता पड़ी तो प्रकृति और प्राकृतिक उपादानों में दैवत्व की कल्पना कर उसका मानवीकरण भी कर डाला। नैतिकता के आविर्भाव और संरक्षण की इसी पृष्ठभूमि में वैदिक साहित्य में उस महान सिद्धांत का आविर्भाव हुआ, जिसे कालान्तर में 'ऋत्' से संज्ञापित किया गया और 'ऋतस्य गोप्ता वरुणः' कहकर ऋत के संरक्षक के रूप में परासत्ता का 'वरुण' के रूप में मानवीकरण किया गया। 'ऋत्' प्रकृति का वह धर्म है, जिसके द्वारा निर्बाध रूप से प्रकृति के सारे कार्यव्यापार चलते हैं। ऋतुओं का आगमन, सूर्योदय दिन और रात्रि आदि सारे प्राकृतिक विधानों की क्रमबद्धता के मूल में 'ऋत' है। ऋत् वैदिक ऋषियों की वह महान दार्शनिक अवधारणा थी जिससे चलकर कालान्तर में कर्मवाद सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, जिसका कालजयी प्रभाव भारत के समस्त आस्तिक और नास्तिक दार्शनिक सम्प्रदायों पर पड़ा। इसी 'ऋत' के नैतिक सिद्धांत के आधार पर वैदिक कर्तव्यशास्त्र में कर्तव्य या नीति के आधारभूत सिद्धांतों का भी पल्लवन हुआ। साररूप में हम ऋत् को 'नैतिक अनुशासन' की संज्ञा भी प्रदान कर सकते है। क्योंकि बिना नैतिक अनुशासन के लौकिक या लोकोत्तर सिद्धि सम्भव नहीं है। स्वयं प्रकृति भी इस नैतिक अनुशासन से आबद्ध है।

'ऋत' सिद्धांत की गहन विवेचना की जाय, इसके पूर्व प्रतिपाद्य की सुगमता हेतु उन आधारभूत नियमों और मान्यताओं पर यत्किंचित् प्रकाश डालना उचित होगा जिनसे कालांतर में नैतिकता के आधारभूत सिद्धांतों या मापदण्डों का विकास हुआ।

1. परमेश्वर सब प्राणियों का एक ही पिता है अतः सबको परस्पर भ्रातृभाव तथा मित्रता दृष्टि रखना चाहिये। अपने स्वार्थ के लिये किसी को कष्ट देना एवं हिंसा करना अनुचित है। 'त्वमेव कर्तासिचराचरस्य।''
2. परमेश्वर सर्वव्यापक और सर्वत्र है। ''ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।''[4] ईश्वर की सर्वव्यापकता का भाव हमें अनुचित कार्य करने से रोकता है।
3. मनुष्य जीवन का उद्देश्य दिव्य शक्ति, दिव्य शांति, दिव्य ज्योती, दिव्य आनंद अथवा मोक्ष प्राप्त करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमें सदा निष्काम कर्म करना चाहिये। 'कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविशेत् शतं समाः''[5]
4. आत्मा दिव्य, शान्तिसम्पन्न अमर है और शरीर, मन एवं बुद्धि का अधिष्ठाता है। हम स्वयं को शरीर मान बैठते हैं अतः इसकी सुख–सुविधा के लिये पाप कर्म करते है।

अत्रात्मबुद्धिं त्यज मूद बुद्धे त्वङमांसमेदोऽस्थिपुरीष राशौ
सर्वात्मनि ब्रह्ममणि निर्विकल्पे कुरुष्व शान्ति परमां भजस्व।।[6]

5. कर्म नियम संसार में कार्य कर रहा है। स्वकृत कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ईश्वर कर्मफल प्रदाता है। प्रार्थना, साधना, जप आदि का उद्देश्य भावी पाप से स्वयं को मुक्त करना है। 'स्वकर्मसूत्र ग्रथितो हि लोकः–लोक अपने कर्मसूत्र से बँधा हुआ है। ''ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कर्म शुभाशुभम्।''
6. प्रत्येक व्यक्ति को सदा अन्धकार से प्रकाश, मृत्यु से अमृत और पाप से पुण्य मार्ग की ओर आने का प्रयास करना चाहिये।

''शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि
संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्रां मदालसार्वाक्यमुवाच पुत्रम्।''

7. शारीरिक मानसिक और आत्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास होना चाहिये। सभी का विकास उन्नति एवं प्रगति का मूलमंत्र है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
8. व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में लगभग एक जैसे अटल नियम, व्यापक, नियम काम कर रहे हैं। व्यक्ति और समाज का अविच्छिन्न सम्बन्ध समझते हुये व्यक्ति को अपनी शक्तियां समाजसेवा में लगा देना चाहिये।

''विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणेगवि हस्तिनी।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः।।''[7]

9. कर्तव्य का निर्णय ईश्वरीय ज्ञान, वेद तथा पवित्र अन्तःकरण की साक्षी से ही हो सकता है। सदाचार का यही मूलमंत्र है। ''सतां हि सन्देहपदेषुवस्तुष प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः।''

वैदिक ऋषियों के अनुसार ऋत् वह सार्वभौम नैतिक अनुशासन है जिससे सम्पूर्ण संसार नियम पूर्वक चल रहा है। यहाँ तक कि सूरज, चाँद, सितारों की नियमित गतिविधियाँ भी ऋत् के कारण ही है। ऋत वह वस्तु है जिसके अभाव में प्रकृति के सारे कार्य–व्यापार रुक जाते हैं। ऋत् की इस अवधारणा का प्रभाव ऋषियों के सामाजिक जीवन तथा निःश्रेयस प्राप्त्यर्थ दिये जाने वाले याज्ञिक कर्मकाण्डों पर भी दृष्टिगत होता है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रिशयन तक की क्रियाओं से लेकर याज्ञिक कर्मकाण्ड की क्रमबद्धता और नियमबद्धता ऋत सम्बन्धी मान्यताओं का ही परिणाम थी।

वैदिक समाज ने ऋत की प्रतिष्ठा सामाजिक जीवन में की। प्राकृतिक ऋत को आदर्श मानकर उन्होंने अपने जीवन में क्रमबद्धता और व्यवस्थता को प्रथम स्थान दिया। उनके याज्ञिक विधानों में क्रियाओं का क्रम था। वैदिक मन्त्रों के पाठ में क्रम की योजना थी तथा मन्त्रों के उच्चारण में उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित का विन्यास था। यदि मन्त्रोच्चार में किसी प्रकार की अशुद्धि हो जाती तो जितने पुण्य–फल की आशा की जा सकती थी उससे कई गुना पाप का भागी बनना पड़ता था। निःसंदेह उन महर्षियों का जीवन असाधारण रूप से सुव्यवस्थित था।"[8]

वैदिक ऋषियों को विश्वास था कि देवता मानवों के चरित्र का पर्यालोचन करते हैं तथा वे पापियों को दण्ड देते हैं। तभी तो उन्होंने ऋत के प्रधान नियामक के रूप में 'वरुण' की कल्पना की और घोषणा की–ऋतस्य गोप्ता वरुणः। अथर्ववेद में वर्णन मिलता है–"वरुण की दोनों आखें सारे संसार को देखती हैं। कोई व्यक्ति स्वर्ग के दूसरे छोर पर ही उड़कर क्यों न चला जाय, वह वरुण की दृष्टि से नहीं बच सकता। वरुण के दूत सारी पृथ्वी पर विचरण करते हुये पापियों को ढूंढ निकालते हैं।[9]

नैतिकता के परम आदर्श के रूप में मानव जीवन में ऋत् की अभिव्यक्ति सत्य के रूप में होती है। अथर्ववेद के अनुसार असत्यवादी वरुण के पाश में पकड़ा जाता है। उसका उदर फूल जाता है।[10]

सत्य ही पुण्य है इसके विपरीत कदाचरण पाप है। हमें पाप कर्म से सर्वथा विरत रहना चाहिये। अथर्ववेद में पाप का मानवीकरण करते हुये एक ऋषि का भावाभिव्यक्ति है–"हे मन के पाप, दूर चले जाइये, क्योंकि आप ऐसी बातें कहते हो, जो कहने के योग्य नहीं हैं। दूर जाइये मैं आपको नहीं चाहता। वृक्षों के ऊपर चले जाइये। बन में चले जाइये। मेरा मन पशुओं और घरों में आसक्त हो (आप में नहीं) हे पापमन्, यदि आप मुझे नहीं छोड़ते तो मैं ही आपको छोड़ दूँगा। आप किसी दूसरे के पीछे पड़िये।"[11]

वैदिक महर्षियों की मान्यता थी कि संसार को यदि ऋत् चलाता है तो मानव जीवन को सत्य चलाता है। मानव जीवन में सुख और सम्पत्ति की इच्छाओं का नियंत्रण ऋत् और सत्य के द्वारा ही होना चाहिये। कष्ट सहकर भी मनुष्य को सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिये। जगत की शाश्वत नैतिक व्यवस्था के प्रति वैदिक आर्यों का इतना विश्वास था कि वे मानते थे कि जीवन संग्राम में प्रारम्भ में भले ही सत्य की पराजय हो पर अन्त में सत्य की ही विजय होती है।

सत्य के द्वारा पाप को दूर करने का विधान था। यदि मनुष्य से कोई पाप हो ही गया तो उसके प्रभाव को कम करने के लिये उस पाप को सबके समक्ष स्वीकार कर लेना पर्याप्त था। वैदिक आर्यों की यही भावना परवर्ती काल में 'प्रायश्चित' सिद्धांत के रूप में विकसित हुई, जिसके माध्यम से प्रत्यक्षतः तो मनुष्य कृत असद्वृत्त को स्वीकार करता था और परोक्षतः यह संकल्प लेता था कि भविष्य में ऐसे दुराचरण की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। तत्कालीन धारणा के अनुसार पाप सत्य के सम्पर्क में आने पर सत्य बन जाता है। प्रायश्चित की अग्नि में जलकर सच्चा सोना बन जाता था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है "यज्ञ के अवसर पर स्वीकार न किया हुआ पाप यजमान के सम्बन्धियों को कष्ट में डालता है।"[12] उस युग में सत्य को सर्वोच्च आराधना के रूप में प्रतिष्ठा मिली।[13]

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिक काल की नीति का आधार ऋत् और सत्य थे। उल्लेखनीय है वैदिक ऋषि के मानस में भौतिक उन्नति के साथ–साथ निःश्रेयस की उपलब्धि की भी अभीप्सा थी। ऋत् से नियन्त्रित होकर सत्य का आचरण करते हुये सुख प्राप्त करना तथा आत्मज्ञान द्वारा जरामृत्यु के दुःखों से बचना मनुष्य का लक्ष्य था। तभी तो उन्होंने घोषणा की–

"पुमान–पुमांसं परिपातु विश्वतः।"[14]

वैदिक कालीन ऋत की उक्त अवधारणा कालान्तर में 'धर्म' के व्यापक सम्प्रत्यय के रूप में परिवर्तित हो गयी। वैयक्तिक रूप में वे समस्त कर्तव्य जिससे प्राणिमात्र का पालन–पोषण और संरक्षण हो, धर्म कहलाया। इस धर्म का पालन व्यक्ति को प्राणपण से करना चाहिये।

संदर्भ :–

1. अथर्ववेद 9.6.35
2. वहीं 17.1.7
3. उपाध्याय रामजी (1990) प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका प्रकाशक–चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 221001, पृ.सं.482
4. श्रीमद्भगवद्गीता 18/61 गीता प्रेस, गोरखपुर
5. ईसावास्योपनिषद। गीता प्रेस गोरखपुर
6. श्रीमदाद्यशंकराचार्य–विवेकचूड़ामणि, पृ.सं. 40, श्लोक सं. 163, गीता प्रेस गोरखपुर
7. श्रीमद्भगवद्गीता 5/18, गीता प्रेस गोरखपुर
8. उपाध्याय रामजी (1990) प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका प्रकाशक, चौखम्बा विद्याभावन, वाराणसी, 221001, पृ.सं.483
9. अथर्ववेद 4.16
10. वही 4.16
11. अथर्ववेद 6.45.1, 6.26.2–3
12. शतपथ ब्राह्मण 2.5.2.20
13. शतपथ ब्राह्मण 2.2.2.20
14. ऋग्वेद 6.75.14

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 12 Oct. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक व्यक्तित्व

शैतान सिंह
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, रा.दु.वि.वि., जबलपुर

डॉ. भीमराव अम्बेडकर उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अस्पृश्यों एवं वंचितों के उत्थान हेतु व्यतीत किया। सामाजिक संकल्प का अग्रदूत होने के अतिरिक्त, अम्बेडकर मुक्त भारत के संविधान निर्माता थे। अम्बेडकर को वास्तव में आधुनिक भारत के निर्माताओं और भविष्य के स्वप्नदृष्टाओं में से एक माना जाता है।

भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें बाबासाहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय न्यायविद, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और भारत के दलित एवं वंचति लोगों के मसीहा थे। उन्होंने आधुनिक बौद्ध आंदोलन को प्रोत्साहित किया और भारत में सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया, दलितों, महिलाओं और मजदूरों के लिए समान सामाजिक अधिकारों के लिए प्रयास किया। उन्होंने कुशलता से परिभाषित नीतियों को अंगीकृत करते हुए सामाजिक न्याय के संदेश को जन–जन के मध्य अग्रसर किया।

डॉ. अम्बेडकर केवल एक राजनेता ही नहीं, गहरे सामाजिक विचारक भी थे बल्कि उनके बारे में यदि यह कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी कि उनका राजनीतिक चिन्तन और कर्म उनके सामाजिक चिन्तन का ही एक प्रतिफल था, उसकी उत्पत्ति का मौलिक कारण वही था। फलस्वरूप उन्होंने आजीवन एक राजनेता की कम और एक समाज सुधारक की भूमिका का अधिक सक्रियता के साथ निर्वाह किया।

डॉ. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री और भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कामना की थी कि बहुसंख्यकों का राजनीतिक आदर्शवाद समाप्त हो जाए क्योंकि सभी का समाजवाद; सामाजिक संशोधन, राजनीतिक ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति के साथ व्याप्त था। उनके लिए, राजनीतिक विचार ने एक राजनीतिक एवं सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य के दृष्टिकोण के कारण एक सामाजिक गतिशीलता को मूर्त रूप दिया। जीवन में सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने में, सामाजिक और आर्थिक न्याय, सभी क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा के बेहतर मानक, पुरुष और महिला के समान अधिकार तथा मौलिक मानवाधिकारों के प्रति उनका गहरा विश्वास था।

डॉ. अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन में ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था की अत्याचारी प्रथाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन होना चाहिए क्योंकि यह अस्पृश्यों के विकास एवं उन्नति के लिए अमानवीय और हानिकारक था। उनका मानना था कि अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष हेतु जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई का ताना–बाना एक समान था। मोंटफोर्ड सुधारों से लेकर कैबिनेट मिशन प्रस्तावों तक उन्हें अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया जाता रहा और इन सभी वर्षों में और इस प्रकार के सभी आयोजनों में उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने क्रिप्स को बताया कि उन्हें श्रमिक नेता होने की अपेक्षा अपने समुदाय का नेता कहा जाना अधिक पसंद था। उन्होंने शोषित वर्गों के लिए अपनी सेवाओं के मानक से सभी का न्याय किया। उनके अखिल भारतीय नेतृत्व का सार उनकी समुदाय के प्रति निष्ठा में देखा जा सकता है। अपने समुदाय के प्रति उनकी निष्ठा से इसके सदस्यों में स्वाभिमान की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने सदैव अपने समुदाय की स्वतंत्रता और कल्याण को स्वराज की प्राप्ति से ऊपर रखा।

डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक समानता के लिए अनेक संघर्ष किए। एक झील के जल के उपयोग पर अन्यायपूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह अभियान का नेतृत्व किया। नासिक के कालाराम मंदिर में, उन्होंने मंदिर प्रवेश के आंदोलन को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सोचा कि अस्पृश्यों के उत्थान का तरीका उनके सामाजिक उत्थान में है, न कि मंदिर में प्रवेश द्वारा। यह सबक उनके द्वारा उचित रूप से अंगीकृत किया गया। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार

कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था शनैः–शनै रूढ़ होकर जन्म आधारित हो गयी तथा वर्तमान जाति व्यवस्था के उद्‌गम का मुख्य कारण बनी। उनका सामाजिक विचार था; अस्पृश्य समुदाय के उत्थान के साथ–साथ जातिवाद और ब्राह्मणवाद की बेड़ियों को तोड़ने का आग्रह।

डॉ. अम्बेडकर के जीवन का मुख्य प्रयोजन मिथ्या रूप से प्रदर्शित आदर्श सामाजिक सम्बंधों की चुनौती से निपटना था जिसने पूरे मानव अस्तित्व को खतरे में डाल दिया और नैतिक एवं सामाजिक व्यवस्था की नींव हिला दी। वे एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के रूप में न केवल एक विद्वान व्यक्ति थे, बल्कि एक बुद्धिजीवी भी थे, जिन्होंने विश्व के सबसे गरीब लोगों की गरिमा और उत्थान के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।

डॉ. अम्बेडकर ने सभी के लिए मानवाधिकारों का निर्माण किया और सभी लोगों को सामाजिक रूप से एक सममूल्य पर लाने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य सांप्रदायिक नहीं था और व्यक्तिगत हित तक सीमित था, लेकिन यह अनिवार्य रूप से सामाजिक और मानवीय था, जो दासता, अन्याय, अत्याचार और शोषण से पीड़ित सभी लोगों से संबंधित था। उन्होंने परम्परावाद, धार्मिक रूढ़िवाद और अंधविश्वासों की बेड़ियों को तोड़ दिया। वे शोषित एवं उपेक्षित मानवता के प्रवक्ता थे। उन्होंने पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अन्याय को कभी सहन नहीं किया जो शताब्दियों से मानवता को बंधनों में जकड़े हुए थे। वे मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता के लिए खड़े थे। सादगी, अखंडता, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक और आर्थिक न्याय, भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक अनुशासन के लिए वे किसी भी सामाजिक व्यवस्था या किसी भी पंथ अथवा प्रथा के विरोधी हो सकते थे, जिसमें अन्याय, हिंसा और दमन शामिल रहे हों।

डॉ. अम्बेडकर ने अस्पृश्यता उन्मूलन के आंदोलन को बौद्ध धर्म में परिवर्तन के माध्यमों में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने अस्पृश्यता को दूर करने और सामाजिक समानता स्थापित करने का लक्ष्य रखा। इन परिस्थितियों के लिए उन्होंने अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कहा। उन्होंने ब्राह्मणवादी धर्म की पूरी व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, अर्थात् वेदों की सत्यता, परिवर्तन, संस्कारों की प्रभावकारिता, जन्मों के चक्र के बाद का मोक्ष और ब्रह्माण्ड के रूप में ईश्वर। उन्होंने पूरे उपनिषद को केवल कल्पना के रूप में खारिज कर दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के उपयोगितावाद के सिद्धांत को पुनः व्याख्यायित किया।

डॉ. अम्बेडकर की मृत्यु के पश्चात् लगभग समाप्त होने वाली धर्मान्तरण की प्रक्रिया ने अस्पृश्यों की स्थितियों को ठीक करने और सामाजिक समानता बनाए रखने हेतु एक अस्त्रके रूप में अपनी अपर्याप्त और अप्रभावित दशा को सिद्ध किया। यह उल्लेखनीय था कि अस्पृश्यों द्वारा एक वर्ग के रूप में धर्मान्तरण का विचार नहीं लिया गया था।

डॉ. अम्बेडकर की दृढ़ मान्यता थी कि दलित वर्ग के उत्थान हेतु सवर्ण वर्गों के दृष्टिकोण में प्रगतिशील परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है तथा यह लक्ष्य सिर्फ उनके हृदय परिवर्तन द्वारा ही प्राप्त नहीं किया जा सकता है वरन् राज्य शक्ति का भी इस दृष्टि से प्रयोग आवश्यक है। राज्य के लिए इस दृष्टि से एक सकारात्मक एवं सक्रिय भूमिका का निर्वाह करना जरूरी है।

अतः डॉ. अम्बेडकर द्वारा राज्य की तुलना में समाज को अधिक महत्व दिया गया। उनके विचार में, राज्य को "आंतरिक अव्यवस्था और बाहरी आक्रामकता का सामना करने हेतु व्यवस्था करनी चाहिए।" उन्होंने राज्य को पूर्ण निरपेक्ष नहीं माना। वे एक पृथक, रहस्यवादी व्यक्तित्व के रूप में राज्य के आदर्शवादी दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार, राज्य उसके बनाने वाले लोगों से ही था उनके बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता था। राज्य अपने आप में एक अंत के बजाय एक साधन था और यह अपने सदस्यों के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाने और बनाए रखने का एक कर्तव्य था जिसकी परिधि में व्यक्ति प्रसन्नता से रह सकता है।

संदर्भ :–

- बाली एल.आर. – "डॉ. अम्बेडकर : जीवन और मिशन", भीम पत्रिका पब्लिकेशन, जालन्धर, 1987
- जनता (प्रबुद्ध भारत), पत्रिका, बम्बई
- गामाराम – दलितों की दुर्दशा, कारण और निवारण, पृष्ठ–43, गौतम बुक सेन्टर, नई दिल्ली, 2006

- कीर धनंजय (अनु. गजानन सुर्वे) – ''डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जीवन–चरित', पॉपुलर प्रकाशन, बम्बई, 1996
- अम्बेडकर डॉ. बी.आर. – ''क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स आदि'' संपूर्ण वाङमय, खण्ड 7, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1993
- कुबेर, डब्ल्यू. एन. (अनु. सीताराम खोडवाल) ''आधुनिक भारत के निर्माता भीमराव अम्बेडकर'', सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1981

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 12 Oct. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

अस्थमा (दमा) रोग पर–यौगिक अभ्यासों का प्रभाव

डॉ. मनोज कुमार शर्मा (शोध निर्देशक)
सुदर्शन देव आर्य (शोधार्थी)
योग–विभाग रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ग्राम मेंदुआ जिला रायसेन म.प्र

प्रस्तावना :– अस्थमा रोग का एक सैद्धान्तिक अध्ययन विषय को ध्यानाकर्षण कराने का उद्देश्य है। पर्यावरण प्रदूषण में अतिवृद्धि एवं अनियमित जीवन शैली के परिणाम स्वरुप अस्थमा रोग में प्रचुर मात्रा मे वृद्धि हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2011 के सर्वेक्षण आकड़ों के अनुसार संम्पूर्ण विश्व मे अस्थमा रोगियों की संख्या लबभग 2.35 मिलियन जनसंख्या इस रोग से प्रभावित हुई है। अस्थमा रोग की संख्या भारत देश में लगभग 25–30 मिलियन अर्थात् 3 करोड लोग प्रभावित हो चुके है। अब तक अस्थमा रोग 250000 लोग मृत्यु की गोद मे मौत की नींद ले चुके है।

श्वसन–संस्थान (Respiratory System) :– मनुष्य बिना भोजन के कुछ सप्ताह एवं बिना जल के कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, किन्तु यदि श्वास–क्रिया 3 से 6 मिनट के लिए रुक जाय तो मृत्यु हो जाती है। शरीर के ऊतकों, विशेषकर हृदय एवं मस्तिष्क के ऊतकों को ऑक्सीजन की निरन्तर आवश्यकता पड़ती है, जिसकी आपूर्ति होना अनिवार्य है। कुछ ही मिनटों में ऑक्सीजन के अभाव से ऊतक निष्क्रिय हो जाते हैं, हृदय–स्पन्दन बन्द हो जाता है तथा मस्तिष्क की तन्त्रिकाएँ भी कुछ ही देर बाद निष्क्रिय होने लगती हैं। वस्तुतः ऑक्सीजन ही जीवन है।

वायुमण्डल से ऑक्सीजन के अन्तर्ग्रहण करने का कार्य श्वसन–संस्थान के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका ऑक्सीजन की संपूर्ति प्राप्त करती है और कोशिकाओं द्वारा उसका उपयोग जाने के पश्चात् त्याज्य पदार्थ के रुप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। वस्तुतः श्वसन–क्रिया कोशिकाओं तथा वातावरणीय वायु के मध्य होने वाला पारस्परिक विनियम अर्थात् अदान–प्रदान ही है।

श्वसन संस्थान के अंग :– नासिका, ग्रसनी, स्वरयन्त्र, श्वासप्रणाल, श्वसननली, श्वसनिकाएँ वायुकोश, फुफ्फुस आदि अंग श्वसन तन्त्र का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। इन्ही अंगों के मार्ग में यदि कोई विकार या अवरोध उपस्थित हो तो श्वसन सम्बन्धी अनेक व्याधि उतपन्न हो जाती है। उनमे से एक अस्थमा (दमा) रोग है।

अस्थमा रोग के कारण :– अस्थमा (दमा) रोग एक कॉफी कष्टप्रद रोग है। यह रोग मानव में प्रायः मुख्यतः तीन प्रकार से पाया जाता है। पहला–अनुवंशिक, दूसरा–प्रदूषित कारणों, तीसरा–तानवग्रस्त जीवनशैली यापन करने से होता है।

आयुर्वेद मे अस्थमा रोग होने कारण :– अतिशीतल जल पीना, अत्यधिक मैथुन, अधिक यात्रा, बहुत समय तक भूखे रहना, मिर्च–मसाले एव तेलयुक्त भोजन या बासी भोजन का सेवन, अधिक मात्रा मे तम्बाखू का सेवन, मांस भक्षण, अधिक मिठाई, दूध आदि चर्बीयुक्त पदार्थो का सेवन, हृदय में दर्द, कोष्ठबद्धता, उदर में दर्द, सुस्ती, नासिका में गंदगी का जमाव, रात मे श्वसन में तकलीफ देते है।

अस्थमा रोग लक्षण :– अस्थमा रोगी के लक्षण इस प्रकार है। इस रोग मे अस्थमा रोगी को श्वास लेने मे कॉफी तकलीफ होती है। अस्थमा रोगी की श्वास नलिका में अकुँचन हो जाता है। अस्थमा रोगी के जब श्वासनलिका मे श्वास तीव्रगति से प्रवेश करती है। तब एक सीटीनुमा ध्वनि श्रवण पड़ती है। जिसे हम व्हीजिंग कहते है। जब श्वास नलिकाएँ अवरुद्ध हो जाती है। तब इस अवरोधन के परिणाम स्वरुप अतिरिक्त मात्रा में गाढ़े श्लेष्मा का स्राव रोगी को होता है। प्रायः अस्थमा रोगी को अस्थमा रोग का दौरा कुछ मिनटों, घंटों या कई दिनों तक गतिमान रहता है। जो रोगी को शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रुप से परिकालान्त अवस्था मे छोड़ जाता है। अस्थमा रोग की अतिउग्रावस्था के लक्षण के आधार पर, जो अस्थमा सतत् रुप से रहे। उसे "स्टेटस अस्थेमेटिक" कहते है। जो रोगी के लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता है।

अस्थमा के प्रकार :–

अनुवंशिक अस्थमा :– अनुवंशिक अस्थमा में शरीर मे स्थित जीन्स विद्यमान रहता है। यह वंशानुगत पीड़ी

दर पीड़ी जीन्स के माध्यम से विस्तारता को प्राप्त होता रहता है। यह बच्चों के जन्म के साथ एलर्जिक रुप से उपस्थित रहता है। अगर इसका रोकथाम बचपन से ही नही किया गया, तो यह भविष्य मे घातक साबित होता है। हालॉकि अस्थमा रोग होने के एलर्जिक एवं नॉनएलर्जिक कारण है इसके अतिरिक्त कई प्रकार के अस्थमा होने कारण व प्रकार प्राकृतिक मौजूद है। यहाँ हमने अस्थमा होने के मूलकारणों का संक्षिप्तिकरण का वर्णन किया है।

श्वसनी अस्थमा :– (Bronchial Asthma) श्वसनी अस्थमा एक फेफड़ों की समस्या है। जहॉ के वायु के मार्ग, में आने की श्वसन अवरुद्ध होती है। यह श्वसन मार्ग मे अवरोध पैदा करता है और श्वसनी में वायु के स्तर में अल्पता के कारण रोगी को घुटन होती है। उसे श्वास लेने मे पीड़ा होती है। श्वसनी अस्थमा को सामान्यतः "ब्रोनकाइल अस्थमा" कहते है।

दिल का दौरा अस्थमा :–(Cardiac Asthma) अस्थमा और दिल का दौरा पड़ने में दोनों मे काफी अंतर है। देश की राजधानी बसंतकुँज स्थित (फोर्टिस, एस्कोर्टस हार्ट इंस्टीट्यूट) कार्यकारी निदेशक पद्मश्री डॉ.उपेन्दर कौल कहते है। दिल का दौरा नाडीतंत्र के प्रभाव से पड़ता है। लेकिन दोनो का आपसी संबंध है। अस्थमा और कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, जिसे हम "कॉर्डियक अस्थमा" कहते है। रोगी को कॉर्डियक अस्थमा में श्वास टूटना एवं खांसी का जमकर चलना लक्षण दिखाई देते है।

कोष्टबद्धता से अस्थमा :– अस्थमा का एक कारण कब्जियत या कोष्टबद्धता भी हो सकती है, जिसमें मल बढ़ी आँत में सूख कर कठोर हो जाता है। इसके कारणों में अधिक देर तक बैठे रहने वाली जीवन शैली, कम पानी पीना, गलत भोजन करना, कमर में बेल्ट या धोती कसकर पहनना हो सकते हैं, जो शारीरिक प्रक्रिया अस्थमा मे काम करती है वही कोष्टबद्धता मे भी काम करती है। जब आँतें ठीक से कार्य करती है, तब शरीर विषाक्त तत्वों को शीघ्रतापूर्वक बाहर कर सकता है और शारीरिक अवस्था उन्नत रहती है। अस्थमा रोगी के दबावग्रस्त शरीर पर कोष्टबद्धता अतिरिक्त दबाव बढ़ा देती है।

अस्थमा रोग में सामान्य ऐलोपैथिक औषध से उपचार :– अस्थमा से पीड़ित अधिकतर व्यक्ति एक या अनेक दवायें लेते रहते है। यह उपचार कैसे काम करता है, इसे समझ लेना आवश्यक है। जिससे दवा से योग की ओर अधिकाधिक सरलता से बढ़ा जा सके। दमा के जो रोगी अतिरिक्त सुरक्षा की भावना से दवा का कुछ उपयोग करना चाहते है। उन्हे सलाह दी जाती है, कि वे अपने विषय मे अधिक से अधिक जान लें। सामान्य उपचार चार श्रेणियो आता है श्वसनी विस्फारक (Broncho-dolatros); विसंकुलक (Decongestants); शोथ रोधी तत्व (Antiinflammatory agents); तथा स्थानीय रुप से सक्रिय पदार्थ।

श्वसनी विस्फारक (Broncho-dolatros) :–

1.स्प्रे– जैसे साबल्युटेमाल, आइसोप्रनालीन
2. एड्रिनलिन या उससे व्युत्पन्न पदार्थ–यद्यपि यह इतनी प्रभावकारी नही है, परन्तु इसके अनेक पार्श्व प्रभाव है,
3. कॉफीन से व्युत्पन्न–थियोफिलीन,एमिनोफिलीन

इन दवाओं का उपयोग कम से कम होना चाहिए, क्योकि इनका पार्श्व प्रभाव होता है।
जैसे– अति उत्तेजना और परेशानी। अतः इनका यदाकदा ही प्रयोग हो, और वह भी जब अत्यन्त आवश्यक हो।

विसंकुलक (Decongestants) :– इसके अन्तर्गत एन्टीहिस्टेमिन्स एवं कॉर्टिकोस्टारॉयड़ आते है। ये एलर्जी को दबाते है तथा कभी–कभी अस्थमा के उपचार के लिए उपयोग मे लाये जाते है। ये विभिन्न प्रकार के होते है, परन्तु कोई भी गम्भीर दौरे के समय विशेष प्रभावशाली नही होता। सभी कार्टिकोस्टरॉयड़ हार्मोन कार्टिजोन के परिवर्तित रुप होते है। जैसे हाइड्रोकार्टिजोन, प्रेडनीसोन, बिटामेथासोन, डेक्सामिथासोन आदि। ये प्रभावशाली होते है, परन्तु इनके प्रयोग के साथ पार्श्व प्रभाव का खतरा जुड़ा रहता है। अतः जितनी जल्दी संभव हो इनका प्रयोग बंद कर देना चाहिए।

अस्थमा रोग मे तीन प्रमुख ऐलोपैथिक औषध से उपचार :–

1. डाइ–सोडियम क्रोमोग्लायकेट के निरंतर प्रयोग से रोग का दौरा नही आता है। प्रतिदिन चार बार या

इससे अधिक बार इसका प्रयोग करना चाहिये। इसके चूर्ण को एक विषेश वस्तु के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसका प्रयोग प्रकोपो की मध्यावधि में होता है। योग को अपनाते हुए धीरे–धीरे दवा की मात्रा कम करते जाना चाहिये।

2. बिक्लोमेथासोन एक कॉर्टिकोस्टरॉयड़ है। यह श्वसन नलिकाओं पर स्थानीय प्रभाव ड़ालता है। इसका प्रभाव विषेश क्षेत्र पर पड़ता है। अतः अन्य औषधों की भॉति कुप्रभाव की सम्भावना अधिक नही होती है, परन्तु कुछ न कुछ बुरा प्रभाव तो पड़ता ही है।

3. साबल्युटेनोल और आइसोप्रेनालीन भी इस समूह में आते हैं।

यहा हम यह बतलाना चाहेगें कि यदि रोगी लम्बें समय तक दवाएँ लेने का आदी हो चुका हो तो औषधों के प्रयोग को एकदम से बन्द नही करना चाहिये। जैसे–जैसे योग प्रभाव होता है और आत्म–विश्वास बढ़ता जाता है, वैसे–वैसे दवाओं के प्रयोग को अल्प करना चाहिये।

अस्थमा रोग में आयुर्वेदिक उपचार विधि :–

1. अस्थमा रोगी को सदा शुद्ध वातावरण मे रखें, सदा प्रसन्न रखें, रोगी के सिर, छाती, एवं भुजाओं को तकिये के सहारे ऊँचा रखें दिन के समय गर्म भोजन और नर्म पेय दे।
2. प्रकोप के समय एवं उपरांत रोगी को बर्ली वाटर, गेहूँ का दलिया, अंगूर, शहद, सेब इत्यादि शीघ्र पाचक पदार्थ देना चाहिये।
3. रोगी को शहद एवं अदरक के रस मे थोड़ी हल्दी मिलाकर रोगी को देना चाहिये।

अस्थमा रोग में होमियोपैथिक उपचार विधि :–

1. समान से समान का उपचार होता है।
2. न्यून खुराक का चमत्कार (अधिक सामर्थ्यपूर्ण खुराक) रोगी का उपचार करो, रोग का नही।

अस्थमा रोग में बॉयोकेमिकल लवण उपचार विधि :–

1. **कालीफॉस** – श्वास की तकलीफ में इससे विशेष लाभ मिलता है। इस विषम परिस्थिति में यह दवा कई बार बड़ी मात्रा मे दी जाती है। यदि अस्थमा का कारण दोषपूर्ण भोजन है। तो यह औषध बहुत फायदा करती है।
2. **कालीमूर** – यदि अस्थमा के रोगी के शरीर में बलगम बहुत जम गया हो, कोष्ठबद्धता हो या यकृत की क्रिया कमजोर हो गई हो तो यह दवा देनी चाहिए।
3. **कालीसल्फ** – यदि अस्थमा की हालत मे श्वसन नलिका में कष्ट हो तो इस लवण से उपचार किया जाता है। इन लवणों के अतिरिक्त केल्केरिया, फॉस, केल्केरिया फ्लोर, नेट्रमयूर, मैगनेशिया फॉस, नेट्रम सल्फ आदि लवणों से उपचार होता है।

अस्थमा रोग में अन्य उपचार विधियाँ :–

1. **कॉफी से उपचार–** कुंजल और नेतिक्रिया के आधे घण्टे पश्चात् गरम कॉफी लेना बहुत लाभदायक होता है। कॉफी की गर्मी पेट, गले, और फेफड़ों को गर्मी पहुँचाती है। फिर भी अधिक मात्रा में कॉफी का प्रयोग नही करना चाहिये। जब आवश्यकता हो तभी प्रयोग कीजिये, आदतन नही। तीव्र प्रकोप के समय एक कप काली कॉफी लेना उपयोगी होगा। कॉफी में कैफीन नामक पदार्थ होने के कारण वह स्नायविक तनावों को दूर करने मे सहायता करती है तथा श्वसन का यथावत् करती है।
2. **वनस्पति से उपचार–** अस्थमा लाभ प्रदान करने वाली दो प्रकार वनस्पतियों की सेवन विधि का उल्लेख किया गया है।

कोल्ट्स फुट – एक कप उबलते जल में चाय के चम्मच भर पत्तियाँ डालिये। पत्तियों को पानी में कुछ देर तक नीचे बैठने दीजिये। उसके बाद इच्छानुसार उसका सेवन कीजिये।

डेन्डिलिऑन की जड – यह एक वनस्पति है। इसकी जड़ अच्छी तरह से काट लीजिये। इसे उबलते पानी में डालिये। दिन भर मे इसके कुछ कप पीजिये।

3. **मालिश उपचार विधि** – मालिश के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग को शिथिलता और नवजीवन की प्राप्ति होती है। इससे स्नायुओं तथा जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है तथा शरीर के विषाक्त तत्वों के निष्कासन मे मदद मिलती है।

4. **स्वमूत्र चिकित्सा (शिवाम्बु कल्प) :–** स्व–मूत्र चिकित्सा के पक्ष और विपक्ष में अनेक तर्क दिये जाते

है। कुछ लोग कहते हैं कि मूत्र में कीमती विटामिन, लवण, हार्मोन्स जैसे कार्टिजोन होते है। जिन्हें अस्थमा के निदान में उपयोग किया जाता है।

1. रोग के तीव्र प्रकोप के समय शिवाम्बु कल्प (स्व–मूत्र) का उपयोग उपवास के साथ करना चाहियें।
2. प्रतिदिन प्रातःकाल का शिवाम्बु लेना चाहिए। शिवाम्बु पान के एक घण्टे बाद तक कुछ खाना–पीना नहीं चाहिए। अधिक मात्रा मे जल पिया जा सकता है।
3. अस्थमा के प्रकोप के समय सिर, गले, छाती, चेहरे, पीठ और हाथों पर शिवाम्बु की मालिश करनी चाहिए।

अस्थमा रोग मे भोजन द्वारा उपचार :– अस्थमा के उपचार मे भोजन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए उपचार के दौरान भोजन के विषय मे सावधानी रखना बहुत जरुरी है। अस्थमा के रोगी को कफ पैदा करने वाले भोजन का परित्याग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कफ बढ़ जाने से श्वसन प्रणाली में अवरोध उतपन्न हो जाता है। उचित भोजन के द्वारा हम इस प्रणाली के कार्यो को सुचारु रुप से चलाने मे सहायता कर सकते है।

जो स्वस्थ व्यक्ति पर्याप्त व्यायाम करता हैं उसे किसी भी प्रकार का भोजन पचाने मे कोई तकलीफ नही होती। व्यायाम पाचन संस्थान से अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन मे सहायक होते है तथा शरीर को संतुलित बनाये रखते हैं। किन्तु अस्थमा के रोगी को ख्याल रखना चाहिये कि वह असंतुलित तंत्रिका–तंत्र के साथ उपचार आरम्भ कर रहा है। अतः सर्वप्रथम उसे संतुलन प्राप्त करना चाहिए तथा इस संतुलन को बनाए रखने हेतु अपने तंत्र को सबल एवं सुरक्षित रखना चाहिए।

प्रारम्भ मे अपनी जीवन शैली के आधार के रुप में एक प्रकार के पथ्य पर रहें। जब थोड़ी शक्ति का अनुभव होने लगे तब परिवर्तन किया जा सकता है। अपने भोजन तथा स्वयं पर उसके प्रभावों को जानने के लिए एक स्थायी आधार आवश्यक है। नियमित रहने पर भोजन संबंधी प्रत्येक परिवर्तन का प्रभाव अधिक स्पष्ट हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि आप भोजन मे चावल जोड़ लेते हैं, तो आप पायेगें कि कफ उत्पादन एवं श्वसन आदि में परिवर्तन होता है। साथ ही आप बिना किसी अपराध–बोध के अपनी रुचि का या जो वर्जित हो, वह आहार भी यदाकदा ले सकते है, क्योंकि यदाकदा किया गया व्यतिक्रम कोई हानि नहीं करता, यदि आपका मूल आहार स्वास्थ्यप्रद है। हम स्वस्थ रहेगें या अस्थमा से परेशान रहेगें, यह तो हमारी आदतों पर निर्भर है।

अस्थमा रोगी के लिए पथ्य आहार :– अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम आहार ताजा शाकाहारी भोजन है –उबली, भाप मे पकी या कच्ची सब्जियाँ (तली हुई नही) फल, शहद, घर में बनी ब्रेड़ या चपाती, बार्ली तथा अन्य हल्के अनाज, किन्तु चावल नही, मूँग दाल, अरहर दाल आदि, फलियाँ, जैसे ताजे मटर, सेम, गिरीदार फल आदि का सेवन शरीर मे शक्ति बढ़ने के साथ किया जा सकता है। उपचार की अवधि में नमक का सेवन अधिक मात्रा में किया जा सकता है। शक्कर अल्प मात्रा में ले। अस्थमा के उपचार के लिए यह एक कुंजी है।

अस्थमा रोगी के लिए अपथ्य आहार :– भारी, वायुकारक आहार जैसे– गोभी, कद्दू, मसूर, स्टार्चयुक्त खाद्य जैसे– चावल और बेकरी की ब्रेड़, मृत संसाधित, कृत्रिम रुप से रंगे हुए तथा कृत्रिम स्वाद वाले खाद्य, सफेद शक्कर, केक एवं पेस्ट्री, दूध और दुग्ध उत्पाद, जैसे– पनीर, मख्खन, दही, तला हुआ या भारी भोजन न लें। विशेष रुप से ठण्ढ़ के मौसम मे जब शरीर मे कफ अधिक मात्रा में बनता है, इन चीजो से परहेज करें। ये सुझाव केवल मार्गदर्शन के रुप में दिये गये हैं।

अस्थमा रोग में अत्याधिक भोजन हानिकारक :– इस रोग मे अधिक खाना एक सर्वभौम व्याधि है, जिससे अस्थमा रोगी को सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। अन्य वस्तुओ के अतिरिक्त अधिक भोजन अमाशय को फैला देता है। फलस्वरूप उदर की निम्नगति सीमित हो जाती है, जिसके कारण फेफड़ें का पूर्ण विस्तार बाधित हो जाता है। फेफड़ें के निचले भाग की वायु थैलियाँ फैले अमाशय के द्वारा संकुचित होकर दब जाती है। अस्थमा के रोगी के फेफड़ें का कुछ भाग तो वैसे ही कफ के कारण अवरुद्ध रहता है। फलस्वरुप अधिक खाना खा लेने से सामान्य श्वास प्रक्रिया भी कष्ट साध्य हो जाती है। वेगस नाड़ी जो अमाशय और फेफड़ें दोनो से जुड़ी है। उसकी भी प्रतिवर्त क्रिया होती है। शरीर

के एक भाग का तनाव, दूसरे भागों में भी तनाव प्रकट करता है।

अधिक भोजन सामान्यतः तनाव या निराशा के कारण किया जाता है। जब कुछ आवश्कताएँ प्रत्यक्ष रुप से पूरी नही होतीं, तो मन अधिक खाना लेकर उसकी पूर्त्ति करने का प्रयास करता है। वस्तुतः उससे पूर्त्ति तो होती नही है, अमाशय पर अधिक दबाब देने से तनाव अधिक बढ़ जाता है। इस अधिक भोजन की आदत को समाप्त करने हेतु, प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, किन्तु यह प्रयास बहुत उपयोगी है। अस्थमा के रोगी के लिए, जो स्वस्थ होना और स्वस्थ रहना चाहता है। सादा सन्तुलित आहार आवश्यक है।

अस्थमा रोग में, भोजन के नियम :–

1. दो भोजनों के बीच के समय मे पर्याप्त पानी पीयें, पर भोजन के बीच में नहीं। भोजन के समय आमाशयिक रस को पर्याप्त रुप से गाढ़ा रखना आवश्यक है, जिससे पाचन अधिक सरलता से हो। भोजन के आधा घण्टा बाद पानी पिया जा सकता है।
2. भोजन के लिए बैठने के पूर्व एवं भोजन के बाद हाथों, मुँह एवं चेहरे को अच्छी तरह धो लें।
3. भोजन के पश्चात् दस या पन्द्रह मिनट तक वज्रासन में बैठना चाहिये। यह आसन पाचन क्रिया में सहायक है तथा शरीर को विश्रान्ति प्रदान करता है।
4. भोजन के पश्चात् ताजी हवा में धीरे–धीरे टहलना, पाचन संस्थान को ठीक रखने का एक अच्छा तरीका है।

अस्थमा रोग मे उपवास से उपचार :– अस्थमा के रोगियो के लिये उपवास बहुत ही लाभकारी है। आजकल लोग भोजन अधिक कर लेतें हैं, परन्तु विश्राम कम करते है। इससे तनाव उत्तपन्न होते है। हमारी आहार सूची में बहुत लम्बी होती है। दिन में दो बार संयत भोजन करना पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त अस्थमा के अधिकतर रोगी अनेक वर्षों तक औषधियों का सेवन करते है। ये विषाक्त तत्व उनके शरीर मे जमा होते रहते है, और अधिक असंतुलन उत्तपन्न करते है।

इन समस्याओं से निपटने के लिए उपवास सबसे अच्छा उपाय है। उपवास द्वारा पाचन संस्थान की शुद्धि सम्भव है। यहाँ उपवास सें हमारा तार्त्पय चालीस दिनों तक अन्न न ग्रहण करने से नही है, बल्कि शरीर को शुद्ध रखने के लिए किया गया संयत एवं संतुलित भोजन भी उपवास है। उपवास पेट ज्यादा तना नही रहता है। अस्थमा के रोगी पायेगें, कि जब अस्थमा का तैज दौरा पड़ता है उस समय उपवास विशेष रुप से प्रभावकारी होता है और कफ आसानी से फेंफड़ों से बाहर निकल जाता है। जिससे वे बिना किसी प्रयास के उन्मुक्तरुप से श्वास ले सकते है। फेफड़ों से कफ बाहर निकालने के लिए उपवास के साथ आसनों का अभ्यास एक आदर्श उपाय है।

उपवास हमारे शरीर को हल्का बनाता तथा विजातीय एवं विषाक्त पदार्थों को हटाने मे मदद करता है। श्वास का प्रवाह जब निर्विरोध होता रहेगा, तो प्राण शक्ति को बल मिलेगा एवं मानसिक दबाव और तनाव कम होगें। आपका अनुभव ही स्वयं उपवास के लाभ प्रदर्शित करेगा। ध्यान रहे कि जो लोग बहुत अधिक मात्रा में ओषधियों का प्रयोग करते है और शरीर से बहुत कमजोर है उन्हें उपवास करते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। उपवास तभी एक अच्छी विधि है जब इसका प्रयोग ठीक ढ़ंग से सावधानी पूर्वक किया जाए, यदि उपवास विधिवत् नही किया, तो हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। यदि शरीर मे बहुत अधिक विषाक्त तत्व हो तो अचानक उपवास आरम्भ करने से ये विषाक्त तत्व बहुत अधिक मात्रा मे बाहर निकलने लगेगें और शरीर इसे सम्भल नही पायेंगा, जिससे बहुत अधिक असुविधा होगी और हो सकता है कोई बिमारी भी हो जाए। यदि अस्थमा का रोगी बहुत लम्बी अवधि तक उपवास करता है, अथवा उपवास के जल्दी–जल्दी बहुत आसन करता है। उपवास के समय आसनों के अभ्यास मे विशेष सावधानी रखनी चाहियें। उपवास काल मे आसन करना सरल हो जाता है, परन्तु आसनों को तेज गति से तथा कई अवधि तक नहीं करनी चाहियें। वस्तुतः आसन धीरे–धीरे और थोड़े समय तक ही करने चाहिए।(विशेषरुप से सिर के बल किए जाने वाले आसन) जिससे विषाक्त तत्व अचानक ही ना निकलने लगे। उपवास के लिए सर्वोत्तम समय ग्रीष्म ऋतु है, क्योंकि इस मौसम मे शरीर को कम ताप की आवश्यकता होती है। सप्ताह मे एक दिन का उपवास पर्याप्त है। बाद मे इच्छानुसार समय बढ़ाया जा सकता है। उपवास के लिये ऐसे दिन का चुनाव करना चाहिये जब शारीरिक एव मानसिक परिश्रम कम से कम करना पडें तथा मन शांत हो। ऐसी स्थिति में उपवास द्वारा अधिक शक्ति का संचार किया जा सकता है। उपवास से रोग के लक्षण दूर हो जायेगें तथा तंत्रिका तंत्र का संचित तनाव दूर हो जायेगा। उपवास का

प्रभाव औषध के भॉति तुरंत दिखाई नही देता, परंतु परिणाम अधिक लाभ प्रद होगें।

उपवास के नियम :–

1. उपवास के पूर्व का भोजन हल्का हो ताकि पेट खाली रहना, सहन कर सके। उस समय सलाद लेना उत्तम होगा।
2. उपवास की अवधि मे अधिक मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिये। इससे विषाक्त तत्व बाहर निकल जायेगें। वृक्कों की सफाई होगी तथा उन्हे नवीन शक्ति प्राप्त होगी। यदि भूख मालूम पडें तो फलों का रस लिया जा सकता है। शरीर को विषाक्त तत्वों से मुक्त करने में सन्तरे एवं नींबू का रस उपयोगी है।
3. उपवास के बाद भोजन हलका हो। इस समय सलाद या फल लेना ही उचित होगा ताकि भूखा पेट धीरे–धीरे अपने को समायोजित कर सके।
4. अस्थमा के रोगी को दो दिनों से अधिक का उपवास नही करना चाहिए। कुछ लोगो के लिये दीर्घकालीन उपवास की सलाह अवश्य दी जाती है, परन्तु इसे निर्देशक के मार्गदर्शन में ही करना चाहिये।

यौगिक उपचार के प्रभाव :– जो व्यक्ति रोग से तीव्र रुप से पीडित है, वह आराम पाने के लिए, रोग के लक्षणों को दबाने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे औषधि का सहारा ले या अन्य कोई उपाय करे। परन्तु योग और प्राकृतिक दृष्टि से यह एक भूल होगी। शरीर में एकत्र एवं संचित विषाक्त तत्वों, रसायनों, अपशिष्ट द्रव्यों, जिनसे प्रधान कोशिकाएँ, लसिका, तंत्रिका तथा अन्य शारीरिक प्रणालियाँ अवरुद्ध हो गई हैं। उनको स्वच्छ कर शरीर को स्वस्थ एवं सन्तुलित करने हेतु रोग प्रकृति का एक प्रयास है।

ये विकार शरीर क्रियात्मक कार्यों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। फलस्वरुप प्राण ऊर्जाओं के क्षेत्र विकृत हो जाते हैं और रोग प्रकट होता है। शारीरिक ऊर्जा की विकृति से मन प्रभावित होती है। फिर पीड़ा, तनाव और दुःख उत्पन्न होते है। शरीर की विकृत प्रक्रियाओं मे सुधार लाकर, उन्हें स्वाभाविक रुप से कार्य करने योग्य बनाने हेतु, रोग प्रकृति की एक क्रिया विधि है। अतः इस प्रक्रिया का विरोध न कर इसमें सहयाग देना चाहिए। जिससे कम से कम कष्ट और अधिक लाभ के साथ यह सम्पन्न हो जाये। योग से इस उच्च उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अस्थमा रोगियों के यौगिक उपचार के अंतर्गत हम शारीरिक पक्ष की शुद्धि एवं मानसिक पक्ष शुद्धि प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगें।

अस्थमा रोग मे शुद्धिक्रियाओं का प्रयोग :– अस्थमा के रोग से मुक्ति के लिये हठयोग की क्रियायें योग चिकित्सा का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इन क्रियाओं में उपयोग मे लाया जाने वाला नमक बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है जिससे श्वसन में सुविधा होती है। प्रातःकाल आसन एवं ध्यान के पूर्व निम्नलिखित क्रियाओं का अभ्यास बहुत ही उपयोगी होता है–

1. **कुंजल क्रिया :–** इस क्रिया मे नमकीन गुनगुना पानी पीते है तथा उसके बाद गले में उँगलियों को डालकर वमन क्रिया करते है। अस्थमा के प्रकोप के समय भी कुंजल क्रिया अत्यन्त लाभप्रद है। इसके द्वारा श्लेष्मा तथा जठर के अनुपयोगी पदार्थो का निष्कासन होता है। इसे प्रतिदिन करने से अस्थमा के प्रकोप को रोका भी जा सकता है। प्रकोप के पूर्व एवं प्रकोप के समय कुंजल क्रिया का नियमित अभ्यास अत्यन्त लाभकारी है।
2. **नेतिक्रिया :–** इस क्रिया में नमकीन गुनगुने पानी द्वारा नासिका छिद्रों की सफाई की जाती है। इससे छिद्र खुल जाते है तथा सहज श्वास लेने में तकलीफ नही होती है। नेति करने से प्राणायाम का अभ्यास अधिक प्रभावशील हो जाता है। नियमित अभ्यास से नासिका छिद्र स्वस्थ होने लगेंगे और लम्बी अवधि तक खुले रहेंगे। इस स्थिति में पहुँचने पर प्रतिदिन नेति करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नेति क्रिया के तीन प्रकार है–

जलनेति :– इसके लिए एक विशेष प्रकार के लोटे की आवश्यकता होती है। जिसे "नेति लोटा" कहते है। इसमें चाय की केतली की तरह टोंटी लगी रहती है।

सूत्रनेति :– इसे जलनेति से पहले किया जाता है। इसमे रबर की सूक्ष्म नली (कैथेटर) या विशेष ढंग से बनाये गये, धागे का प्रयोग किया जाता है।

व्युतक्रम नेति :– इस नेतिक्रिया में मुँह से पानी खींचकर नासिका से बाहर निकाला जाता है।

3. **वस्त्र धौति :–** पतले मखमल के कपड़े की एक इंच चौडी और तीन मीटर लम्बी पट्टी को आधा

निगलकर निकालने की क्रिया को वस्त्र धौति कहत हैं। कपडे को लगभग बीस मिनट तक मुँह में रखना चाहिये। इसे कुंजल और नेति क्रिया के बाद किया जा सकता है। यह क्रिया सरल है, परन्तु कुछ लोगों को कठिनाई हो सकती है। यदि कपड़ें की पट्टी को स्व–मूत्र में भिगों दिया जाये तो तीव्र प्रकोप में अत्याधिक लाभ होता है। इस क्रिया को दो सप्ताह तक लगातर करते है। उसके बाद सप्ताह में एक बार कर लेना काफी है। परंतु इसे व्यक्ति विशेष की आवश्यकता अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।

4. **शंखप्रक्षालन :–** यह सर्म्पूण पाचन तन्त्र की सफाई की शक्तिशाली क्रिया है। इसे अधिक मात्रा में नमक मिले गुनगुने पानी और कुछ आसनों के साथ किया जाता है। लघु शंखप्रक्षालन इस क्रिया का छोटा रुप है, जिसमे कम मात्रा में पानी पीकर उन्ही आसनों का किया जाता है। इसे अस्थमा के प्रकोप के दौरान किया जा सकता है। इसके द्वारा बलगम एवं आँव को निकालकर म्यूकस ग्रँथियों को पुष्ट करने में सहायता मिलती है। नमक फेफड़ों और अन्य अंगों में जमें म्यूकस(श्लेष्मा) को सोखकर बाहर निकालने मे सहायता करता है। इससे स्नायुओं का तनाव कम होता है। इस क्रिया को करने में काफी समय लगता है तथा थकान का अनुभव होता है। इसके बाद विश्राम बहुत आवश्यक है। पूर्ण शंखप्रक्षालन करने के पश्चात् भोजन सम्बन्धी नियमों का पालन आवश्यक है, किन्तु लघु शंखप्रक्षालन के पश्चात् नहीं।

सावधानियाँ :–

1. ये शुद्धि क्रिया किसी योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना नही करनी चाहिये।
2. इन क्रियाओं को प्रातःकाल खाली पेट करना चाहिये।
3. लघु शंख प्रक्षालन एवं कुंजल क्रिया के बाद कम से कम आधे घण्टे तक नाश्ता, भोजन या जल इत्यादि न लिया जायें।

अस्थमा रोग मे आसनों का अभ्यास :– हठयोग के अनुसार मानव जीवन की चौरासी लाख योनि है। उसी के अनुसार जीव–जंतु के आधार पर 84 आसनों की चर्चा हमारे यौगिक ग्रँथों मे उद्धृत है।

आसनेन भवेतद्दृढ़म् ।। 1/10।। घे.सं.

अर्थ :– आसनों से शरीरिक शक्ति या दृढ़ता की प्राप्ति होती है।

स्थिरसुखमासनम् ।। 2/46।। पां.यो.सू

अर्थ :– शरीर के अंगों मे स्थिरता अर्थात् अकम्पनता हो, और शरीर, मन के साथ अचल अवस्था में हो।

आसन से शरीर को शक्ति और विश्राम दोनों प्राप्त होते हैं। आसन करते समय ऊतक स्पंज की तरह निचोड़े जाते है। इससे रक्त विशिष्ट अंगों की ओर प्रवाहित होता है और रक्त के साथ विषाक्त तत्व भी बह जाते है। लम्बे समय तक आसनों के अभ्यास से शरीर की बनावट में कोई गड़बड़ी नही रह जाती। अंगों की विकृति को आसनों से दूर किया जा सकता है। जेसे–छाती के धँस जाने से कूबड़ निकल आता है, वह आसनों से दूर हो सकता है।

आसन तो अनेक है, परन्तु व्यक्ति विशेष के सुविधानुसार आसनों का चुनाव किया जा सकता है। हमारे अनुभव सिद्ध आसन इस प्रकार है– सूर्यनमस्कार, मार्जारि आसन, शशांकासन, शशांक भुजंगासन, प्रणामासन, सर्वांगासन, पश्मिोत्तासन, योगमुद्रासन, धनुरासन, अर्ध मत्स्येन्द्रासन, एवं शवासन। एक अस्थमा रोगी को मात्र सर्वांगासन, पश्मिोत्तासन, धनुरासन एवं अर्ध मत्स्येन्द्रासन आदि आसनों से लाभ प्राप्त होता है। हालांकि यह आसन अस्थमा रोगी को आरम्भ मे कठिन प्रतीत होंगे। इसलिए उन्हे सूक्ष्म आसनों एवं हल्के फुल्के पवनमुक्तासनो से शुरुवात करनी चाहिये। ताकि जोड़ों एवं मास पेशियों मे लोच पैदा हो सके। अन्य कठिन आसनों को करने में सुविधा प्राप्त हो सके।

अस्थमा रोग में प्राणायाम का अभ्यास :– तनावों से छुटकारा पाने के लिए प्राणायाम एक बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। यह प्रक्रिया बहुत ही शक्तिशाली है, अतः शरीर को धीरे–धीरे इसके लिए तैयार करना पड़ता है। प्राणायाम से फेफड़ों का अच्छा व्यायाम होता है। इससे स्वचलित तन्त्रिका तन्त्र संतुलित होता है एवं मध्यवर्ती नाड़ी संस्थान को शक्ति मिलती है। प्राणायाम के अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता तथा मस्तिक पर नियंत्रण प्राप्त होता है। प्राणायाम का अभ्यास प्रायः आसनों के उपरांत किया जाता है।

प्राणायामाल्लाघवं ।। 1/11।। घे.सं.

अर्थ :– प्राणायाम से हल्केपन की प्राप्ति होती है, शरीर की स्थूलता को कम किया जाता है।

चले वाते चलं चितं निश्चले निश्चलं भवेत।। 2/2।।
ह.प्र.

अर्थ :– वायु के चलायमान रहने पर चित्त भी चंचल रहता है। वायु के स्थिर होने पर चित्त भी शांत हो जाता है।

उपरोक्त योग मंत्रो के माध्यम से योग साहित्यों अनेक स्थानों पर प्राणायाम से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ लाभ का उल्लेख मिलता है। अस्थमा रोगी के लिए निम्नलिखित प्राणायाम लाभकारी निर्दिष्ट किये गये है। प्राणायाम के ये प्रकार–नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, उज्जायी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम इत्यादि प्राणायाम अस्थमा रोगी के लिए उपयुक्त सिद्ध है।

अस्थमा रोग मे योगनिद्रा का अभ्यास :– अस्थमा रोग के प्रकोप के समय तथा अस्थमा से दीर्घकालीन मुक्ति के पाने के लिए सर्वोत्तम विधि योगनिद्रा है। योगनिद्रा में अभ्यासी अपने शरीर को शिथिल करता है। इस दौरान शरीर मे किसी प्रकार की हलचल नही की जाती। मस्तिष्क पर नियंत्रण होता है। वह अपनी चेतना को विधिवत प्रत्येक अंग–प्रत्यंग पर ले जाता है। योगनिद्रा का अभ्यास आरम्भ मे कुशल प्रशिक्षक के निर्देश किया जाता है। अभ्यास उपरांत तनाव आदि अवस्था में स्वयं भी कर सकते है। अस्थमा प्रकोप मे योगनिद्रा हृदय और फेफड़ों को शिथिल करने में श्रेष्ठविधि है।

अस्थमा रोग मे यौगिक मनोभाव का अभ्यास :– उपचार के क्षेत्र मे रोगी का मनोभाव सर्वप्रथम तथ्य है। यदि रोगी अर्न्तमन से स्वस्थ होने की इच्छा रखता हो तो वह अवश्य ही स्वस्थ होगा, परन्तु निराशा और भय बनाये रखने से किसी प्रकार का सुधार नही होगा, चाहे जीवन भर सैंकड़ों उपाय करते रहें।

अतः रोगी को जीवन में आशा एवं सुधार की इच्छा रखनी चाहिये। योगाभ्यास के लिये प्रतिदिन निश्चित समय और धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि सुधार एक ही रात्रि मे नही होगा। सीमा से अधिक अभ्यास शरीर को क्षति पहुँचायेगा। अभ्यास के लिये सुबह का उत्तम है। प्रातःकाल के समय को बहुत कीमती समझना चाहिये। प्रातः जल्दी उठने के लिये रात्रि को जल्दी ही शयन करना होगा। इससे आपको निज हानिकारक समस्या से तो दूर होना होगा। लेकिन अंत मे इसका लाभ आपको भविष्य मे दिखाई देगा।

उपचार प्रारम्भ होने पर कुछ दिनो में रोगी की प्रवृत्ति की परीक्षा होगी। पुरानी बाते एवं घटनाएँ उसके स्मृति–पटल पर उभरेगी। इससे भावनात्मक उलझने उत्पन्न होंगी तथा तनाव होगा। परन्तु इन्हें उपचार में उन्नति का संकेत समझना चाहिये। रोगी को सदैव जागरुक रहना है। यह बात अधिक महत्वपूर्ण है।

अस्थमा रोग मे अभ्यास कार्यक्रम की रुप रेखा :– अस्थमा के उपचार मे निम्नलिखित अभ्यास–कार्यक्रम शरीर और मन को शक्ति प्रदान करने बहुपयोगी सिद्ध हुए है। इस अभ्यास से अस्थमा प्रकोप कम होता जाता है।

अभ्यास कार्यक्रम प्रथम माह भाग–1

1. लघु शंखप्रक्षालन– दो सप्ताह तक प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिए। तत्पश्चात एक महीने तक सप्ताह में दो बार। उसके बाद सप्ताह में एक बार करना पर्याप्त होगा।
2. कुंजल और नेतिक्रिया– तीन से छः महीने तक प्रतिदिन। इसके बाद लघु शंखप्रक्षालन करना चाहिये।
3. पवनमुक्तासन 2–3 आवृत्ति ।
4. शवासन– श्वास पर सजगता के साथ।
5. भ्रामरी प्राणायाम–नौ आवृत्तियाँ।
6. नाड़ीशोधन (प्रथम भाग)–पाँच आवृत्तियाँ।
7. उज्जायी प्राणायाम– नौ आवृत्तियाँ ।

अभ्यास कार्यक्रम द्वितीय माह भाग–2

1. लघु शंखप्रक्षालन, कुंजल और नेति क्रिया– अभ्यास कार्यक्रम भाग 1 के अनुसार।
2. वस्त्र धौति–सप्ताह में दो बार। पहले वस्त्र धौति तथा उसके बाद कुंजल क्रिया और नेति क्रिया।
3. सूर्य नमस्कार– पाँच आवृत्तियाँ।
4. शवासन– श्वास पर सजगता के साथ (प्रत्येक आसन के बाद या जब भी थकावट का अनुभव हो)।

5. सर्वंगासन
6. पश्चिमोत्तासन
7. भुजंगासन
8. धनुरासन
9. अर्धमत्स्येन्द्रासन
10. नाड़ी शोधन प्राणायाम(प्रथम भाग) पाँच आवृत्तियाँ के अनुसाार।
11. भस्त्रिका प्राणायाम– नौ आवृत्तियाँ ।
12. उज्जायी प्राणायाम– उन्चास आवृत्तियाँ।

अभ्यास कार्यक्रम तृतीय माह भाग–3

1. लघु शंखप्रक्षालन, कुंजल, नेति, और वस्त्र धौति– अभ्यास कार्यक्रम 1–2
2. शवासन– श्वास पर सजगता के साथ।
3. सूर्य नमस्कार
4. शशांकासन
5. मार्जारि आसन
6. नाड़ी शोधन– पच्चीस आवृत्तियाँ।
7. भस्त्रिका प्राणायाम– पाँच आवृत्तियाँ।
8. भ्रामरी प्राणायाम– नौ आवृत्तियाँ।
9. अजपाजप मंत्र– उज्जायी प्राणायाम के साथ।

अभ्यास कार्यक्रम के आवश्यक निर्देश :– अभ्यास करते समय मात्रा का उतना महत्व नहीं है जितना कि अभ्यास को सही रुप से करने का है। कुछ मिनटों का शांति एवं शिथिलता से किया गया अभ्यास आधे घण्टे के शीघ्रता पूर्वक किये गये अभ्यास से ज्यादा शक्तिशाली एवं लाभकारी है। इन अभ्यासों का उद्देश्य है विश्रान्त, शांत और शक्तिशाली मनोभावों को लाना, इन मनोभावों को समय के साथ विकसित करना होता है। अभ्यासों के प्रारम्भिक प्रशिक्षण के उपरांत, अपनी आवश्यकता, उपलब्ध समय, समाजिक दायित्वों, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए एक उपयुक्त अभ्यास कार्यक्रम अस्थमा रोगी बनाकर अभ्यास की परिपक्वता को समायोजित कर सकते है।

निष्कर्ष :– अतः अस्थमा (दमा) रोग की समास्या प्राचीन काल से ही बनी है। मध्यकाल मे यह समस्या में वृद्धि हुई। आज यह समस्या गंभीर होती जा रही है। इस पर योग के माध्यम से अनुसंधान हुए है। पर व्यवस्थि नही हुए आज एक विधिवत अस्थमा रोग पर एक सैद्धान्तिक शोध की आवश्कता है। हमारे योग ग्रँथों इस रोग संबंधी परिचर्चा का दिग्दर्शन प्राप्त होता है। उपरोक्त लेख के माध्यम से अस्थमा रोग के रोगी के रोग होने के कारणो उसके निदान की अनेक विधियों पर प्रकाश डालनें का संक्षिप्त प्रयास किया गया है।

संदर्भ ग्रँथ सूची :–

1. ऋषि घेरण्ड ,सरस्वती निरंजानंद स्वामी (2004) घेरण्ड संहिता योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार
2. तीर्थ श्री ओमानन्द (2002) पातंजल योगप्रदीप प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर
3. त्रिलोक जैन राजीव (2008) संपूर्ण योग विद्या प्रकाशक मंजुल पब्लिशिंग हाऊस कारपोरेट एवं संपादीय कार्यालय द्वितीय तल उषा प्रतीत काम्प्लेक्स 42 मालवीय नगर भोपाल
4. रामदेव स्वामी (प्रं.सं.2009, द्वि.सं.2017) प्राणायाम रहस्य प्रकाशक दिव्यप्रकाशन पंतंजलि योगपीठ हरिद्वार उत्तराखण्ड
5. सरस्वती कर्मानंद डॉ. (1998) रोग और योग प्रकाशन योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार
6. सरस्वती सत्यानंद स्वामी (प्र.सं.1969, द्वि.सं.1973, तृ. सं.2006) आसन, प्राणायाम मुद्रा बंध प्रकाशक योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, गंगादर्शन मुंगेर, बिहार भारत
7. कुवलयानंद स्वामी स्वः,घाणेकर भास्कर वासुदेव फर. (प्र.सं.1994, द्वि.सं.2005) प्राणायाम प्रकाशक अध्यक्ष कैवल्यधाम लोनावाला (410403) महाराष्ट्र
8. स्वात्माराम, दिगम्बरजी स्वामी, झा पिताम्बर डॉ. (2008) हठप्रदीपिका कैवल्यधाम् श्रीमन्माधव योग–मंदिर समिति लोनेवाला (पुणे) महाराष्ट्र
9. सरस्वती शंकरदेवानंद स्वामी डॉ. (प्र.सं.1980, द्वि.सं. 1992, तृ.सं.2001) दम, मधुमेह और योग प्रथम प्रकाशन योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार
10. गुप्ता प्रकाशअनन्त (डॉ.) प्रो. (2009) मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान सुमित प्रकाशन आलोक नगर आगरा

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 12 Oct. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

आधुनिक कृषि तकनीकी का जनजाति समुदाय के सामाजिक जीवन पर प्रभाव (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में)

रानी वास्केल
सहायक प्राध्यापक, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी

सारांश :– दुनिया में कहीं भी आदिवासी लोगों की सबसे बड़ी एकाग्रता, शायद अफ्रीका को छोड़कर, भारत में है। भारत में लगभग 250 आदिवासी समुदाय हैं। देश में बहुसंख्यक आदिवासी आबादी के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। कृषि परिवर्तन के संदर्भ में कृषि विकास की समस्या की स्थापना ने आदिवासी से संबंधित महत्व को जोड़ा है, क्योंकि भूमि और वन दोनों की भूमिका ने आदिवासी अर्थव्यवस्था की वसूली में उच्च स्थान का दावा किया है। अध्ययन जनजातीय विकास में आधुनिक कृषि पद्धतियों के योगदान को स्पष्ट करने के प्रयास पर आधारित है। इसके अन्तर्गत आदिवासी कृषि व्यवस्था में उपयोग होने वाली आधुनिक कृषि पद्धतियों के उपयोग का समुदाय पर प्रभाव देखा गया है।

आदिवासी को आधुनिक सभ्यता से दूर रहने और प्राकृतिक परिवेश में और कभी–कभी स्वायत्त समुदायों में रहने के लिए मनाया जाता है। हालांकि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, परिवहन और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की प्रक्रिया के साथ, इन लोगों का अलगाव धीरे–धीरे टूट रहा है और बाहरी दुनिया के साथ उनका अनुबंध बढ़ रहा है। दुनिया में कहीं भी आदिवासी लोगों की सबसे बड़ी एकाग्रता, शायद अफ्रीका को छोड़कर, भारत में है। भारत में लगभग 250 आदिवासी समुदाय हैं। देश में बहुसंख्यक आदिवासी आबादी के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। कृषि परिवर्तन के संदर्भ में कृषि विकास की समस्या की स्थापना ने आदिवासी से संबंधित महत्व को जोड़ा है, क्योंकि भूमि और वन दोनों की भूमिका ने आदिवासी अर्थव्यवस्था की वसूली में उच्च स्थान का दावा किया है। हो सकता है कि इन दोनों आर्थिक क्षेत्रों ने आदिवासी लोगों को स्थायी आधार पर निर्वाह अर्थव्यवस्था प्रदान करने के लिए समग्र जिम्मेदारियों को साझा किया, क्योंकि मुख्य रूप से आदिवासी किसानों द्वारा व्यापक खेती की प्रत्यक्ष तकनीक के रूप में खेती की प्रथाओं में उत्पादन ऑपरेटिव की आदिम तकनीक।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य आधुनिक कृषि पद्धती का जनजाति समुदाय पर प्रभाव का अध्ययन करना है। अध्ययन हेतु जनजाति बाहुल्य बड़वानी जिले का चयन किया गया है। जिले के कुल 9 तहसीलों में से प्रत्येक तहसील के 5 ग्रामों का चयन करते हुए प्रत्येक ग्राम से उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि द्वारा 15 जनजाति कृषक परिवारों का चयन किया गया है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र से कुल 675 परिवारों का चयन किया गया है।

ऑकड़ों का सारणीयन एवं विश्लेषण :– यह अध्ययन जनजातीय विकास में आधुनिक कृषि पद्धतियों के योगदान को स्पष्ट करने के प्रयास पर आधारित है। इसके अन्तर्गत आदिवासी कृषि व्यवस्था में उपयोग होने वाली आधुनिक कृषि पद्धतियों जैसे मशीनी उपकरण, रासायनिक कीटनाशक एवं उर्वरक, संकरित बीजों का उपयोग, आदिवासियों की ऋणग्रस्तता की स्थिति, शासकीय नीतियों का दृष्टिकोण आदि को स्पष्ट करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

पारिवारिक सरंचना पर प्रभाव :– आधुनिक कृषि को अपनाने का परिवारिक संरचना पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है, जिससे संबंधीत अभिमत निम्न तालिका के माध्यम से प्रस्तुत हैं –

तालिका 02
आधुनिक कृषि अंगीकरण का पारिवारिक सरंचना पर प्रभाव का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	268	39.7
2	नहीं	407	60.3
	कुल योग	**675**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में आधुनिक कृषि अंगीकरण का पारिवारिक सरंचना पर प्रभाव के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं जिसके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 39.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि आधुनिक कृषि अंगीकरण का उनकी पारिवारिक सरंचना पर प्रभाव पड़

रहा है जबकि 60.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि आधुनिक कृषि अंगीकरण का उनकी पारिवारिक सरंचना पर प्रभाव नहीं हो रहा है।

अतः स्पष्ट होता है कि आधुनिक कृषि अंगीकरण का पारिवारिक सरंचना पर प्रभाव पर पड़ रहा है। आज परिवार संयुक्त से एकांकी परिवार के रूप में टूटते जा रहे हैं।

परिवार की स्थिति में परिवर्तन :– आधुनिक कृषि के अंगीकरण से परिवार की स्थिति पर हुए सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन किया गया है, जो कि निम्न तालिका के माध्यम से प्रस्तुत है –

तालिका 03
परिवार की स्थिति में परिवर्तन

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	135	20.0
2	नहीं	540	80.0
	कुल योग	**675**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में आधुनिक कृषि अंगीकरण से परिवार की स्थिति मजबूत होने के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं जिसके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि आधुनिक कृषि अंगीकरण से परिवार की स्थिति सुदृढ़ हो रही है जबकि 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि आधुनिक कृषि अंगीकरण से परिवार की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आज भी कृषि लाभ का उपकरण न होने के कारण अधिकांश उत्तरदाता मानते हैं कि आधुनिक कृषि अंगीकरण से परिवार की स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पा रही है।

वरिष्ठजनों की अपेक्षा युवाओं का भागीदारी बढ़ने का विवरण :– आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण युवाओं की भागीदारी बढ़ने लगती है जिसका परिवार में क्या सामाजिक प्रभाव हुआ का अध्ययन निम्न तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 04
परिवार के निर्णयों में वरिष्ठजनों की अपेक्षा युवाओं का भागीदारी बढ़ने का विवरण संबंधी अभिमत

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	268	39.7
2	नहीं	407	60.3
	कुल योग	**675**	**100.0**

परिवार के निर्णयों में वरिष्ठजनों की अपेक्षा युवाओं का भागीदारी बढ़ने के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 39.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मानना है कि परिवार के निर्णयों में वरिष्ठजनों की अपेक्षा युवाओं का भागीदारी बढ़ रही है जबकि 60.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि परिवार के निर्णयों में वरिष्ठजनों की अपेक्षा युवाओं का भागीदारी नहीं बढ़ रही है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि परिवार के निर्णयों में वरिष्ठजनों की अपेक्षा युवाओं का भागीदारी नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि आज भी वरिष्ठजनों को ही परिवार के मुख्य फैसले लेने का पूर्ण अधिकार है।

आत्मविश्वास और साहस बढ़ने का विवरण :– कृषि तकनीकीकरण से आर्थिक स्थिति में परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है जिस कारण से कृषक एवं उसके परिवार में आत्मविश्वास और साहस में भी परिवर्तन होता है जिसका अध्ययन निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 05
कृषि में तकनीकीकरण से आत्मविश्वास और साहस बढ़ने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	135	20.0
2	नहीं	540	80.0
	कुल योग	**675**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में कृषि में तकनीकीकरण से आत्मविश्वास और साहस बढ़ने का विवरण प्रस्तुत किया है जिसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 20 प्रतिशत उत्तराताओं ने बताया

कि कृषि में तकनीकीकरण से उनका आत्मविश्वास और साहस बढ़ा है जबकि 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि कृषि में तकनीकीकरण से उनका आत्मविश्वास और साहस नहीं बढ़ा है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उत्तरदाताओं में कृषि में तकनीकीकरण से आत्मविश्वास और साहस नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि आज भी कृषि से उतनी आय प्राप्त नहीं पाती जितनी कि उससे अधिक कृषि लागत हो जाती है।

शैक्षणिक जागरूकता पर प्रभाव :– कृषि विकास के संबंध में विभिन्न प्रकार की योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है जिसका प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव शैक्षणिक जागरूकता पर भी हुआ है का अध्ययन प्रस्तुत तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है–

तालिका 06
शैक्षणिक जागरूकता पर प्रभाव

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	268	39.7
2	नहीं	407	60.3
	कुल योग	**675**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका कृषि विकास से संबंधित विविध योजनाओं के माध्यम से शैक्षणिक जगरूकता बढ़ने के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदातओं में से 39.7 प्रतिशत उत्तरदारता मानते हैं कि कृषि विकास में संबंधित विविध योजनाओं के माध्यम से शैक्षणिक जगरूकता बढ़ रही है जबकि 60.3 प्रतिषत उत्तरदाता मानते हैं कि कृषि विकास में संबंधित विविध योजनाओं के माध्यम से शैक्षणिक जागरूकता नहीं बढ़ पा रही है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास में संबंधित विविध योजनाओं के माध्यम से शैक्षणिक जागरूकता में वृद्धि नहीं होने का कारण जनजाति कृषकों में शिक्षा के प्रति रूचि न होना।

पारिवारिक निर्णय में महिलाओं की सहभागिता :– कृषि आधुनिककीकरण से पारिवारिक निर्णय में महिलाओं की सहभागिता के संबंध में हुए परिवर्तनों का अध्ययन निम्न तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 07
कृषि आधुनिकीकरण से पारिवारिक निर्णय में महिलाओं की सहभागिता होने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	268	39.7
2	नहीं	407	60.3
	कुल योग	**675**	**100.0**

कृषि आधुनिकीकरण से पारिवारिक निर्णय में महिलाओं की सहभागिता होने के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 39.7 प्रतिशत उत्तरदताओं ने बताया कि कृषि आधुनिकीकरण से पारिवारिक निर्णय में महिलाओं की सहभागिता रहती है जबकि 60.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि कृषि आधुनिकीकरण से पारिवारिक निर्णय में महिलाओं की सहभागिता नहीं रहती है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कृषि आधुनिकीकरण से पारिवारिक निर्णय में महिलाओं की सहभागिता में कोई खास परिवर्तन नहीं पाया गया क्योंकि आज भी परिवार के मुख्य फैसले पुरुशों के द्वारा ही लिए जाते हैं।

अंधविश्वास में कमी :– कृषि के आधुनिकीकरण से अंधविश्वास में कमी संबंधी अध्ययन को निम्न तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है –

तालिका 08
कृषि के आधुनिकीकरण से अंधविश्वास में कमी का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	268	39.7
2	नहीं	407	60.3
	कुल योग	**675**	**100.0**

कृषि के आधुनिकीकरण से अंधविश्वास आई कमी के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 39.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि कृषि के आधुनिकीकरण से अंधविश्वास में कमी आई है जबकि 60.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि 60.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि कृषि के आधुनिकीकरण से अंधविश्वास में कमी नहीं आई है।

पारम्परिक मूल्यों में परिवर्तन :– कृषि के आधुनिकीकरण से पारम्परिक मूल्यों में परिवर्तन होने संबंधी अध्ययन निम्न तालिका के माध्यम से प्रस्तुत है–

तालिका 09
कृषि आधुनिकीकरण से पारम्परिक मूल्यों में परिवर्तन होने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	तेजी से	268	39.7
2	धीरे–धीरे	272	40.3
3	विल्कुल नहीं	135	20.0
	कुल योग	**675**	**100.0**

कृषि आधुनिकीकरण से पारम्परिक मूल्यों में परिवर्तन होने के आंकड़े उपर्युक्त तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं जिने विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 39.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि कृषि आधुनिकीकरण से पारम्परिक मूल्यों में तेजी से परिवर्तन आ रहा है जबकि 40.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि कृषि आधुनिकीकरण से पारम्परिक मूल्यों में धीरे–धीरे परिवर्तन आ रहा है। 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि कृषि आधुनिकीकरण से पारम्परिक मूल्यों में विल्कुल परिवर्तन नहीं आ रहा है।

निष्कर्षता अध्ययन क्षैत्र में कृषि आधुनिकीकरण से पारम्परिक मूल्यों में धीमी गति से परिवर्तन हो रहा है।

निष्कर्ष :– समस्त प्राप्त आँकड़ों एवं तालिकाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में आधुनिक कृषि का प्रभाव जनजाति समुदाय पर निश्चित ही हुआ है। जनजाति समुदाय के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन स्वष्ट रूप से दिखाई देते हैं जो कि आधुनिक कृषि पद्धति का ही परिणाम है।

संदर्भ–ग्रंथ :–

1. हसनैन नदीम, (2000) **''जनजातीय भारत''** रवि मजूमदार, जवाहर पब्लिर्स एंड डीस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
2- Singh, S. N. (1976);**"Modernization of Agriculture – A cash study in Estern Utter Pradesh''** Heritage Publishers, New delhi.
3. गोयल,सुनिल एवं संगीता (2003)''भारत में सामाजिक परिवर्तन'' आर.बी.एस.ए.पब्लिशर्स, एस. एम.ए.एस. हाइवे जयपुर।
4. गुप्ता, एम.एल.,शर्मा,वी.वी.(2005)''भारतीय सामाजिक समस्याएँ ''साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 12 Oct. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

टेलीविजन धारावाहिक राधाकृष्ण का विश्लेषणात्मक अध्ययन

संदीप कुमार, शोधार्थी
पत्रकारिता एवं लोक शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, (म.प्र.)
डॉ. वीरेंद्र कुमार व्यास, मार्गदर्शक
सह प्राध्यापक, जनसंचार एवं लोक शिक्षक विभाग, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.)

शोध सारांश :– भारतीय जनसमुदाय को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने और उनमें शैक्षिक जागरूकता जगाने के मुख्य उद्देश्य से भारत में टेलीविजन की शुरूआत हुई। मनोरंजन का तड़का लगने के बाद से टेलीविजन और इस पर प्रसारित कार्यक्रमों ने ऐसा विस्तार पकड़ा, जो आज तक जारी है। कार्यक्रम चाहें पारिवारिक हो, या हास्य, शैक्षणिक, पौराणिक व जागरूकतावादी, इसकी हर विधा ने मनोरंजन के प्रत्येक क्षेत्र में खूब लोकप्रियता पायी है। आस्था के देश भारत में इन धारावाहिकों ने लोगों में भक्ति और अध्यात्म को भी नए रंग में रंग दिया, जिसने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए।

इस शोध अध्ययन में पौराणिक धारावाहिकों से दर्शकों पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने की कोशिश की गई है। इसके लिए स्टार भारत पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक राधाकृष्ण का अध्ययन किया गया। इसके माध्यम से समाज पर पड़ने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव का अध्ययन किया गया। दर्शकों पर पौराणिक धारावाहिकों की लोकप्रियता के कारणों को जानने की कोशिश की गई।

प्रस्तावना :– सभी माध्यमों में से टेलीविजन जनसंचार प्रक्रिया का सबसे प्रभावशाली, लोकप्रिया व सशक्त माध्यम है। इसका उद्देश्य लोगों को नई जानकारियों के प्रति जागरूक करने के साथ उनका मनोरंजन करना भी है। भारत में 15 सितंबर 1959 को इसकी शुरूआत हुई और इसके प्रसारण की शुरूआत के करीब 25 वर्ष बाद 1984 में हमलोग धारावाहिक से इस पर धारावाहिकों के नियमित प्रसारण की शुरूआत हुई। यही दौर था जब दूरदर्शन के जन ज्ञानार्जन के उद्देश्य में मनोरंजन का समावेश हुआ। इस दौर में धारावाहिकों में विषय–वस्तु में सामाजिक संदर्भ को प्राथमिकता दी जाती थी। साथ ही मध्य और उच्च वर्ग को ध्यान में रखकर उन्हीं से जुड़े विषयों पर आधारित कहानी को छोटे पर्दे पर दिखाया जाता था। लोक कथाएं औकर पौराणिक धारावाहिकों ने भी लोगों के दिलों में आसानी से जगह बना ली।

1992 से निजी टेलीविजन चौनलों के आने के बाद से मनोरंजन की परिभाषा बदलने का दौर शुरू हुआ और विभिन्न विषयों के कार्यक्रमों की शुरूआत हुई। खासकर पौराणिक कथाओं से जुड़े धारावाहिकों की लोकप्रियता सालों बाद अब भी बरकरार है। यही कारण है कि पहले रामायण और महाभारत ने जो लोगों के बीच जो लोकप्रियता पाई। वैसी लोकप्रियता पाना तो अब मुश्किल मालूम होता है, लेकिन सिया के राम, संकट मोचन हनुमान, सूर्य पुत्र कर्ण, बाल गणेश, राधेकृष्ण जैसे धारावाहिक अपनी प्रस्तुति, कहानी और अभिनय के दम पर लोगों के बीच लगातार प्रसिद्ध बने हुए हैं। इसी संदर्भ में हमने यह जानने की कोशिश की है कि क्या आज भी धार्मिक व पौराणिक धारावाहिकों का महत्व वैसा ही है, जो पहले के दौर में था, पौराणिक धारावाहिकों का प्रस्तुतिकरण कैसे है, दर्शकों की अभिरूचि परिवर्तन आया है या नहीं, साथ ही यह दर्शकों को क्यों और किन कारणों से प्रभावित कर रहे हैं। इसके लिए राधाकृष्ण धारावाहिक को चुना गया।

उद्देश्य :–

- टेलीविजन धारावाहिक देखने वाले दर्शकों की अभिरूचि जानना।
- पौराणिक धारावाहिकों की लोकप्रियता के कारणों को जानना।
- पौराणिक धारावाहिक राधाकृष्ण से दर्शकों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
- राधाकृष्ण धारावाहिक के प्रस्तुतिकरण का विश्लेषण करना।

परिकल्पना :–

- टेलीविजन धारावाहिक मनोरंजन व जागरूकता की दृष्टि से देखे जाते हैं।
- दर्शकों की धार्मिक अभिरूचि पौराणिक धारावाहिकों को लोकप्रिय बनाते हैं।
- राधाकृष्ण धारावाहिक ने दर्शकों की धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की समझ बेहतर बनाई है।
- राधाकृष्ण धारावाहिक की रोचक कहानी व प्रस्तुतिकरण ने इसे वर्तमान दौर में लोकप्रिय बनाया है।

शोध पद्धति :– प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए चित्रकूट क्षेत्र का चुनाव किया गया, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा क्षेत्र में आता है। इसमें 100 उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन विधि के माध्यम से किया। शोध के लिए अंतर्वस्तु विश्लेषण, अवलोकन, प्रतिदर्शन पद्धित का प्रयोग कर किया गया। तथ्यों और आंकड़ों के संकलन अनुसूची उपकरण का प्रयोग कर किया गय। अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि से टेलीविजन के इतिहास, धारावाहिकों के इतिहास, राधाकृष्ण धारावाहिक की विषय वस्तु को जानने के लिए पुस्तकों का भी अवलोकन किया गया।

संदर्भ साहित्य की समिक्षा :–

- 2005, बट्ट एसएस, प्रोजेक्शन ऑफ हिंदू रिलीजन इन सोप ओपेरा, जनसंचार विभाग, लाहौर कॉलेज फॉर वूमेन यूनिवर्सिटीज, लाहौर ने स्टार प्लस के धारावाहिकों में हिंदू धर्म के दृष्टिकोण और दर्शकों पर पड़ने वाले उसके प्रभावों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि धारावाहिकों में प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू देवी–देवताओं को अधिक महत्व दिया जाता है। इन धारावाहिकों में धार्मिक छंद, शब्द, इतिहास व पृष्ठभूमि को अलग–अलग दृश्यों में हिंदु धर्म एवं प्रर्थानाओं के माध्यम से अधिक महत्व दिया जा रहा है।
- 2008, कश्यप डॉ. श्याम और कुमार मुकेश की पुस्तक टेलीविजन की कहानी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली में बताया गया कि विश्व में टेलीविजन का आविष्कार किस प्रकार चरणबद्ध तरीके से हुआ। साथ ही उसके वर्तमान दौर तक पहुंचने की विकास यात्रा का भी विस्तार से वर्णन है। विश्व में सोप–ओपेरा की शुरुआत, टेलीविजन के आविष्कार में आयी बाधाओं आदि का भी वर्णन पुस्तक में है।
- 2010, सिंह डॉ. देवव्रत की पुस्तक भारतीय इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली में टेलीविजन के विकास, दूरदर्शन की विकास यात्रा, निजी चौनलों की शुरूआत और विकास के साथ धारावाहिकों यात्रा की जानकारी दी। देश में टेलीविजन की शुरूआत के 25 साल बाद 1984 में पहले धारावाहिक का प्रसारण हुआ, जबकि पहले धार्मिक धारावाहिक 1987 में रामायण के रूप में प्रसारित किया गया।

शोध की सीमाएं :– शोधकर्ता ने शोध अध्ययन की प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी कुछ सीमाएं तय की हैं, जो इस प्रकार हैं–

- शोध के लिए उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में पड़ने वाले चित्रकूट जिले को चुना गया, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार की आबादी निवास करती है, ताकि शोध समय पर संपन्न हो।
- शोध के लिए कुल 100 उत्तरदाताओं को चुना गया।
- उत्तरदाताओं में दोनों राज्यों में पड़ने वाले चित्रकूट के 25–25 शहरी और ग्रामीण उत्तरदाताओं का चुनाव किया।
- शोध के लिए 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के उत्तरदाताओं का चयन किया गया।
- शोध उन्हीं उत्तरदाताओं पर आधारित था, जो राधाकृष्ण धारावाहिक देखते हैं।

समंक संकलन और विश्लेषण :–

प्रश्न 1. प्रतिदिन कितने घंटे टेलीविजन देखते हैं

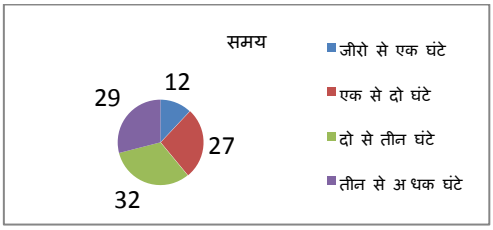

विश्लेषणः उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा 32 फीसद उत्तरदाता दो से तीन घंटे प्रतिदिन टेलीविजन देखते हैं। जबकि तीन से अधिक घंटे तक टेलीविजन देखने वालों की संख्या भी करीब 29 फीसद है। 27 फीसद एक से दो घंटे व महज 12 फीसद उत्तरदाता ही एक घंटे से कम टेलीविजन देखते हैं।

प्रश्न 2. टेलीविजन पर कैसे कार्यक्रम देखना पसंद है

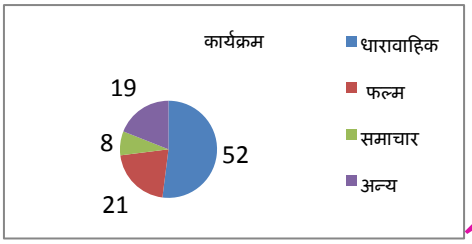

विश्लेषणः उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा 52 फीसद उत्तरदाता धारावाहिक देखना पसंद करते हैं। जबकि 21 फीसद फिल्में, 08 फीसद समाचार व 19 फीसद अन्य कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं।

प्रश्न 3. किस विषय पर धारावाहिक पसंद हैं

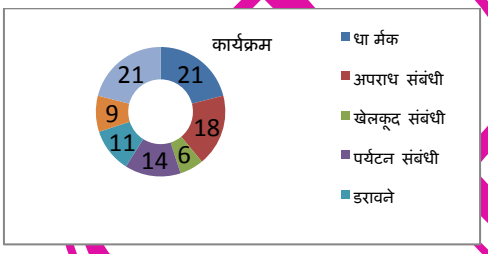

विश्लेषणः उक्त आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा 21–21 फीसद उत्तरदाता धार्मिक और पारिवारिक कार्यक्रमों को अधिक पसंद करते हैं। जबकि 18 फीसद अपराध संबंधी, 14 फीसद पर्यटन संबंधी, 11 फीसद डरावने, 09 फीसद लाइफ स्टाइल संबंधी व 06 फीसद खेलकूद संबंधी कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं।

प्रश्न 4. टेलीविजन धारावाहिक देखने का उद्देश्य क्या है

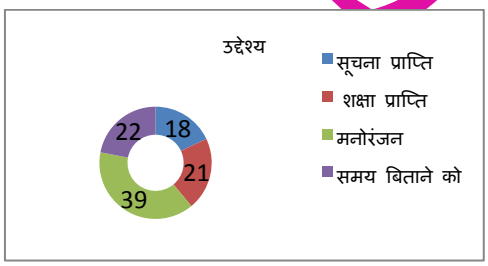

विश्लेषणः आंकड़ों पर नजर डालें, तो 39 फीसद उत्तरदाता मनोरंजन के लिए टेलीविजन व कार्यक्रम देखते हैं। जबकि 22 फीसद यूं ही समय बिताने को। वहीं 21 फीसद शिक्षा प्राप्ति व 18 फीसद सूचना प्राप्ति के लिए टेलीविजन देखना पसंद करते हैं।

प्रश्न 5. क्या आप राधाकृष्ण धारावाहिक देखते हैं

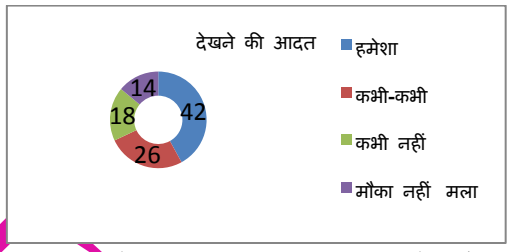

विश्लेषणः जुटाए समंक बताते हैं कि उत्तरदाताओं में से 42 फीसद हमेशा राधाकृष्ण धारावाहिक देखते हैं। 26 फीसेद कभी–कभी देखते हैं। 18 फीसद कभी नहीं देखते जबकि 14 फीसद को इसे देखने का मौका ही नहीं मिला।

प्रश्न 6. राधाकृष्ण धारावाहिक क्यों पसंद है

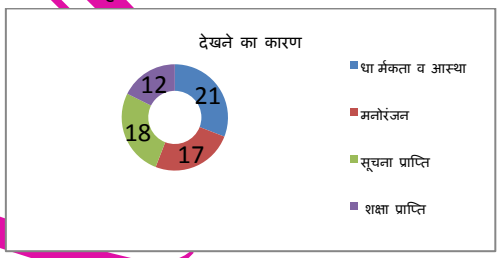

विश्लेषणः प्राप्त आंकड़ों बताते हैं कि 21 फीसद उत्तरदाता धार्मिकता व आस्था के कारण राधाकृष्ण धारावाहिक देखते हैं। जबकि 18 फीसद सूचना प्राप्ति, 17 फीसद मनोरंजन और 12 फीसद शिक्षा प्राप्ति के लिए राधाकृष्ण धारावाहिक देखते हैं।

प्रश्न 7. परिवार के कितने लोग राधाकृष्ण धारावाहिक देखते हैं

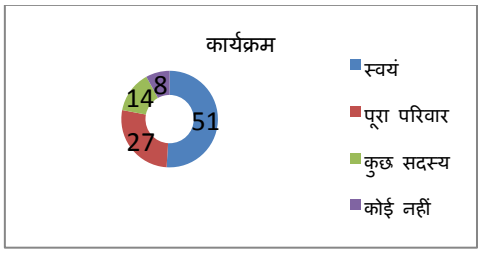

विश्लेषणः उक्त आंकड़े बताते हैं 51 फीसद उत्तरदाता स्वयं राधाकृष्ण धारावाहिक देखते हैं। 27 फीसद पूरे परिवार के साथ जबकि 14 फीसद कुछ सदस्यों के साथ इस धारावाहिक को देखते हैं। 08 फीसद के यहां कोई इस धारावाहिक को नहीं देखता।

प्रश्न 8. राधाकृष्ण धारावाहिक देखने के बाद उसकी चर्चा करते हैं

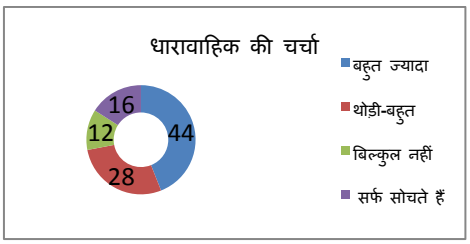

विश्लेषणः उक्त आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि 44 फीसद उत्तरदाता राधाकृष्ण धारावाहिक देखने के बाद उसकी लोगों से बहुत ज्यादा चर्चा भी करते हैं। जबकि 28 फीसद ऐसा थोड़ा–बहुत करते हैं। 12 फीसद बिल्कुल चर्चा नहीं करते, जबकि 16 फीसद चर्चा करने की सोचते हैं।

प्रश्न 9. यदि हां, तो किनसे चर्चा करते हैं

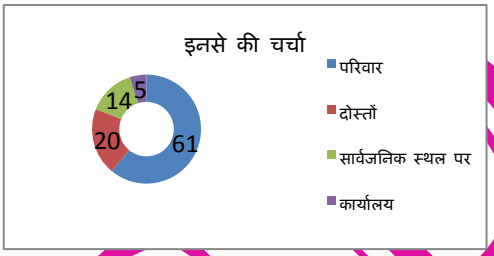

विश्लेषणः उक्त आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि राधाकृष्ण धारावाहिक देखने के बाद सबसे ज्यादा 61 फीसद उत्तरदाता परिवार से उसकी चर्चा करते हैं। इसके बाद 20 फीसद दोस्तों से, 14 फीसद सार्वजनिक स्थलों पर जबकि पांच फीसद उत्तरदाता कार्यालय में भी इसकी चर्चा करते हैं।

प्रश्न 10. राधाकृष्ण धारावाहिक ने आपकी धार्मिक सोच को बदलाव है, यदि हां, तो किस तरह से

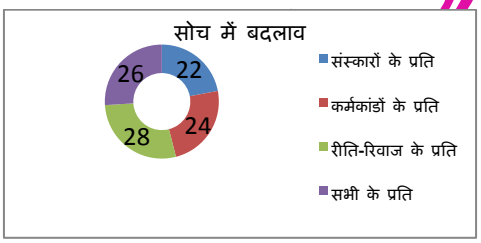

विश्लेषणः 28 फीसद उत्तरदाता मानते हैं कि राधाकृष्ण धारावाहिक से उनकी रीति–रिवाज के प्रति में बदलाव आया है। वहीं 24 फीसद इस बदलाव को कर्मकांड़ों के प्रति जबक 22 फीसद संस्कारों के प्रति मानते हैं। 26 फीसद उक्त सभी में बदलाव महसूस करते हैं।

प्रश्न 12. राधाकृष्ण धारावाहिक से भारतीय संस्कृति को बेहतर समझने में सहयोग मिलता है

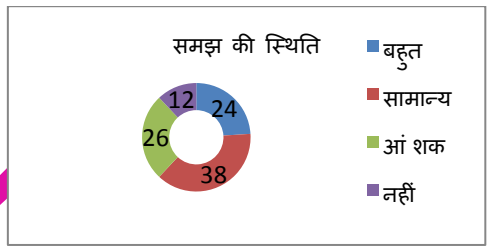

विश्लेषणः 38 फीसद उत्तरदाताओं ने बताया कि राधाकृष्ण धारावाहिक से भारतीय संस्कृति को बेहतर समझने में सहयोग मिला। 24 फीसद इस प्रभाव को बहुत ज्यादा मानते हैं, जबकि 26 फीसद इसे आंशिक। वहीं 12 फीसद इससे इत्तेफाक नहीं रखते।

प्रश्न 13. राधाकृष्ण धारावाहिक का प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लगता है

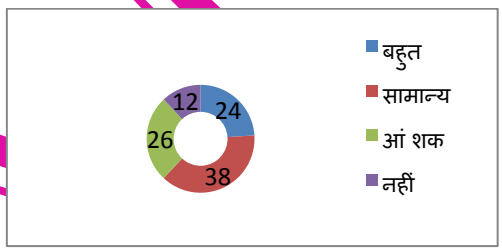

विश्लेषणः 25 फीसद उत्तरदाता इस धारावाहिक के प्रस्तुतिकरण को बहुत अच्छा मानते हैं, जबकि 46 फीसद अच्छा। 26 फीसद सामान्य। वहीं तीन फीसद ने इसके प्रस्तुतिकरण को अच्छा नहीं बताया।

प्रश्न 14. राधाकृष्ण धारावाहिक की भाषा और संवाद कैसे लगते हैं

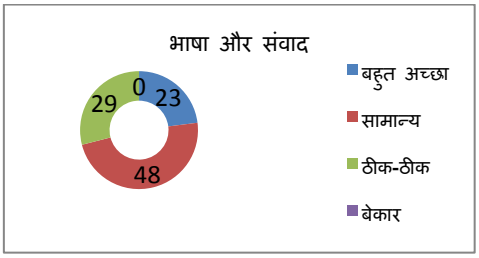

विश्लेषणः 23 फीसद उत्तरदाताओं को राधाकृष्ण धारावाहिक की भाषा और संवाद बहुत अच्छे लगते हैं। 48 फीसद को सामान्य व 29 फीसद को यह ठीक–ठीक लगते हैं।

प्रश्न 15. राधाकृष्ण धारावाहिक के पात्र आपके मन पर कैसा प्रभाव डालते हैं

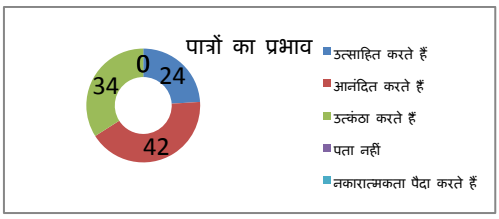

विश्लेषणः राधाकृष्ण धारावाहिक को देखकर 24 फीसद उत्तरदाता उत्साहित हो जाते हैं, आनंदित होने वालों की संख्या 42 फीसद है। 34 फीसद के मन में उत्कंठा उत्पन्न होती है।

प्रश्न 16. राधाकृष्ण धारावाहिक देखने से आपके आचरण में कोई बदलाव आया है

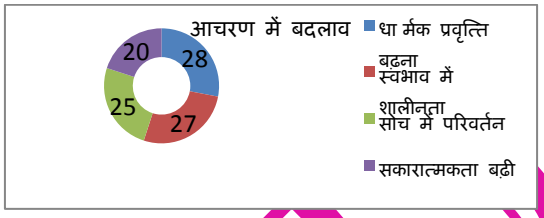

विश्लेषणः राधाकृष्ण धारावाहिक को देखकर सर्वाधिक 28 फीसद उत्तरदाताओं की धार्मिक प्रवृति में इजाफा हुआ है। 27 फीसद के स्वभाव में शालीनता आई है। 25 फीसद की सोच में परिवर्तन आया है, तो 20 फीसद में सकारात्मकता बढ़ी है।

निष्कर्ष और सुझाव :– टेलीविजन धारावाहिक दर्शकों के लिए मनोरंजन, शिक्षा, सूचना व संस्कृति को समझने का लोकप्रिय माध्यम है। शुरूआत से लेकर अब तक इसमें प्रसारण तकनीक, विषय–वस्तु, प्रस्तुति व अभियन आदि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। प्रस्तुत शोध में हमने धार्मिक व सांस्कृतिक संचार के प्रभाव का अध्ययन किया गया, जिसमें पता चला कि पौराणिक धारावाहिकों ने विषय–वस्तु के महत्व को अब तक संजोकर रखा हुआ है। निर्धारित उद्देश्य और परिकल्पना का यह निष्कर्ष रहा–

उद्देश्य 1. टेलीविजन धारावाहिक देखने वाले दर्शकों की अभिरूचि जानना।
प्राकल्पना 1. टेलीविजन धारावाहिक मनोरंजन व जागरूकता की दृष्टि से देखे जाते हैं।

आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 39 फीसद उत्तरदाता टेलीविजन धारावाहिक मनोरंजन के नजरिए से देखते हैं। 21 फीसद शिक्षा प्राप्ति व 18 फीसद सूचना प्राप्ति के लिए टेलीविजन धारावाहिक देखना पसंद करते हैं। वहीं 22 फीसद दर्शक सयम बिताने को भी धारावाहिक देखते हैं। (उत्तर नंबर चार) वहीं यह भी पता चला कि 21–21 फीसद दर्शक धार्मिक व पारिवारिक कार्यक्रमों व धारावाहिकों में रूचि रखते हैं। शेष 18 फीसद अपराध संबंधी, 14 फीसद पर्यटन संबंधी, 11 फीसद डरावने, नौ फीसद लाइफ–स्टाइल संबंधी व छह फीसद दर्शक खेलकूद संबंधी कार्यक्रम और धारावाहिक देखना पसंद करते हैं। उत्तर नंबर तीन)

उद्देश्य 2. पौराणिक धारावाहिकों की लोकप्रियता के कारणों को जानना।
प्राकल्पना 2. दर्शकों की धार्मिक अभिरूचि पौराणिक धारावाहिकों को लोकप्रिय बनाते हैं।

राधाकृष्ण धारावाहिक लोकप्रिय क्यों हैं. इसके उत्तर में 21 उत्तरदाताओं ने बताया कि धार्मिकता और आस्था के कारण वह इस धारावाहिक को देखते हैं। जबकि 18 फीसद सूचना प्राप्ति, 17 फीसद मनोरंजन और 12 फीसद शिक्षा प्राप्ति के लिए इस धारावाहिक को देखना पसंद करते हैं। (उत्तर नंबर छह) धार्मिक होने के कारण 51 फीसद उत्तरदाता खुद इस धारावाहिक को देखते हैं, जबकि 27 फीसद पूरे परिवार के साथ। 14 फीसद परिवार के कुछ सदस्यों के साथ इस धारावाहिक को देखना पसंद करते हैं। दर्शकों में धार्मिक अभिरूचि कायम है, इसलिए ऐसे पौराणिक धारावाहिक दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। इसी लोकप्रियता से प्रेरित होकर 44 फीसद उत्तरदाता इसकी लोगों से काफी चर्चा करते हैं। 28 फीसद ऐसे लोग हैं, जो प्रभावित हैं, लेकिन कम चर्चा करते हैं।

उद्देश्य 3. पौराणिक धारावाहिक राधाकृष्ण से दर्शकों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
प्राकल्पना 3. राधाकृष्ण धारावाहिक ने दर्शकों की धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की समझ बेहतर बनाई है।

38 फीसद उत्तरदाताओं का मानना है कि राधाकृष्ण धारावाहिक को देखने के बाद भारतीय संस्कृति को बेहतर ढ़ंग से समझने में बहुत मदद मिली है। 24 फीसद इसे सहायक मानते हैं औऔर 26 फीसद आंशिक रूप से संस्कृति को समझने का माध्यम मानते हैं। (उत्तर संख्या 12) वहीं 28 फीसद उत्तरदाता मानते हैं कि इस धारावाहिक को देखने के बाद भारतीय रीति–रिवाज के प्रति उनमें बदलाव आया है। 24 फीसद इस बदलाव को कर्मकांड के प्रति जबकि 22

फीसद इसे संस्कारों के प्रति बदलाव में सहायक मानते हैं। (उत्तर संख्या 10) प्रभाव की बात करें, तो इस धारावाहिक को देखने के बाद 28 फीसद उत्तरदाताओं की धार्मिक प्रवृति में इजाफा हुआ है। 27 फीसद का स्वभाव शालीन हुआ है और 25 फीसद की सोच में परिवर्तन हुआ जबकि 20 फीसद में सकारात्मकता बढ़ी है। (उत्तर संख्या 16)

उद्देश्य 4. राधाकृष्ण धारावाहिक के प्रस्तुतिकरण का विश्लेषण करना।

प्राकल्पना 4. राधाकृष्ण धारावाहिक की रोचक कहानी व प्रस्तुतिकरण ने इसे वर्तमान दौर में लोकप्रिय बनाया है।

शोध में 100 ऐसे दर्शक चुने गए जो राधाकृष्ण धारावाहिक देखते हैं। राधाकृष्ण धारावाहिक के कथानक की प्रस्तुतियों में भगवान श्रीकृष्ण और राधाजी के बनपन से लेकर युवावस्था तक के प्रसंगों का वर्णन किया जा रहा है। धारावाहिक के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इसमें श्रीकृष्ण के साथ राधाजी को भी केंद्र में रखकर प्रस्तुति की जा रही है। आंकड़ों के आधार पर 25 फीसद उत्तरदाताओं का मानना है कि धारावाहिक का प्रस्तुतिकरण बेहद शानदार है। 46 फीसद इसे औसत से बेहतर मानते हैं। जबकि 26 फीसद को यह सामान्य लगता है। (उत्तर संख्या 13) 23 फीसद दर्शकों को राधाकृष्ण धारावाहिक की भाषा और संवाद बेहद आसान लगे, जिससे उन्हें वह आसानी से समझ में आया। वहीं 48 फीसद को यह सामान्य लगा। 29 फीसद को यह ठीक लगा। (उत्तर संख्या 14) वहीं दर्शकों ने बताया कि धारावाहिक की कहानी, संवाद, प्रस्तुति का नया अंदाज, ग्राफिक्स, नई तकनीक, संवाद आदि उन्हें बेहद पसंद आ रहा है।

अतः शोध के निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि पौराणिक धारावाहिक धर्म और संस्कृति के प्रचार में टेलीविजन रूपी संचार माध्यम के साथ प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। साथ ही भारतीय संस्कृति और मूल्यों का प्रचार–प्रसार कर उन्हें बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं।

सुझाव :–

1. चित्रकूट में पौराणिक धारावाहिक की लोकप्रियता का प्रमुख कारण धार्मिकता है। शहरी व अन्य क्षेत्रों में भी पौराणिक धारावाहिकों के प्रभाव का अध्ययन हो, ताकि इसके प्रभाव को बेहतर ढ़ंग से समझा जाए।
2. पौराणिक धारावाहिक सामाजिक, संस्कृतिक व धार्मिकता की समझ को बेहतर ढ़ंग से प्रचारित कर रहे हैं। इसी आधार पर अन्य प्रमुख पौराणिक परिदृश्यों पर नए कथानक के साथ धारावाहिकों का निर्माण हो।
3. भारत की अनेकता में एकता बड़ी शक्ति है। इसलिए अन्य धर्मों पर आधारित धारावाहिकों का निर्माण हो, ताकि आपसी समझ मजबूत हो।
4. धारावाहिकों का कथानक, विषय–वस्तु, संवाद, तकनीक, भाषा व प्रस्तुति आदि को बेहतर कर सुधारा जाए, ताकि इससे अधिक दर्शकों का ज्ञानवर्धन हो।
5. युवाओं की रूचि को भी ध्यान में रखकर पौराणिक धारावाहिक बने, ताकि उनमें अपनी संस्कृति की बेहतर समझ पैदा हो।

संदर्भ सूची :–

– कुमार डॉ मुकेश, टीआरपी, न्यूज और बाजार, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, आईएसबीएन 9789350728680)
– पचौरी सुधीश, दूरदर्शनः विकास से बाजार तक, मुद्रक प्रवीण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1996.
– पाठक, डॉ. राममोहन, इलेक्ट्रोनिक माध्यम– रेडियो एवं दूरदर्शन, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1998.
– पचौरी सुधीश, दूरदर्शनः संप्रेषण और संस्कृति, मुद्रक आत्माराम एंड संस, नई दिल्ली, 2000.
– जोशी रामशरण मीडिया विमर्श, मुद्रक सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002.
– सिंह सुशील कुमार, दूरदर्शनः विविध आयाम, मुद्रक राज पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2004.
– रत्तू डॉ. कमला, मीडिया क्रांति और महिलाएं, मुद्रक नेशनल पब्लिशिग हाउस, नई दिल्ली, 2006.
– पचौरी सुधीश, टेलीविजन समीक्षाः सिद्धांत और व्यवहार, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006.
– जोलेउ गाथिया, मीडिया और सामाजिक बदलाव, मुद्रण कानसेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, 2008.
– कश्यप डॉ. श्याम, कुमार मुकेश, टेलीविजन की कहानी, मुद्रक राजकमल प्रकाशन, 2008.
– कुमार केवल जे, भारत में जनसंचार, मुद्रक जयको पब्लिशिंग हाउस, मुबंई, 2017.
– जैन, डॉ रमेश, इलेक्ट्रोनिक मीडिया लेखन, मंगलदीप प्रकाशन, जयपुर।

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 12 Oct. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

वर्तमान साहित्य में स्त्री विमर्श की चुनौतियाँ

प्रीती सिंह
शोधार्थी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

स्त्री सशक्तिकरण के इस प्रवाह में भारतीय नारी–विषयक दृष्टि की प्रासंगिकता अब सम्पूर्ण विश्व धरातल में सिद्ध हो रही है। वर्तमान समय में नारी अबला, सुकोमला, पराश्रिता नहीं रही। सभी सृजनात्मक कार्यों में उसकी क्रांतिकारी भूमिका दृष्टिगोचर होती है। वह श्रद्धा और सम्मान की अधिकारिणी तो सदा रही है, परन्तु अब वह कर्मशील, कौशल सम्पन्न छवि के साथ अपनी नवीन भूमिका निभाने में सक्षम हो गई है।

यदि हम सम्पूर्ण संस्कृत, हिंदी वाङ्मय पर दृष्टिपात करें तो हम यही पाते हैं कि प्राचीन युग में स्त्रियों को बहुत अधिक सम्मान प्राप्त था। "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।"[1] अर्थात् जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते है।

महाभारत में पति के लिये पत्नी के महत्त्व को प्रतिपादित किया गया है–

नास्ति भार्यासमो बन्धुर्नास्ति भार्यासमा गतिः।
नास्ति भार्यासमो लोके सहायो धर्मसङ्ग्रहे।।[2]

अर्थात् पति के लिये पत्नी के समान कोई बन्धु नहीं है। पत्नी के समान कोई गति नहीं है। इस लोक में धर्मसंग्रह के लिये पत्नी के समान कोई सहायक भी नहीं है। स्त्री माँ के रूप में सन्तान का लालन– पालन, शिक्षा– दीक्षा और भरण– पोषण करती है तो वेद उसका अभिनन्दन करते हैं–

त्वं हि नः पिता वसे त्व माता शतक्रतो बभूषिथ।[3] पुत्र को माता के अनुकूल रहने की सलाह दी जाती थी। मात्रा भवतु सम्मनाः। उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा ऐसी थी कि वह व्यवहार में सर्वदा 'पिता' शब्द के पहले व्यवहृत होती रही।[4] स्त्रियों की दशा में युग के अनुरूप परिवर्तन होता रहा है। उसकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर पूर्वमध्ययुग तक अनेक उतार–चढ़ाव आते रहे तथा उनके अधिकारों में तदनुरूप परिवर्धन भी होते रहे हैं। यह सही है कि वैदिक युग में उनकी अवस्था अत्यन्त उन्नत और परिष्कृत थी। किन्तु परवर्ती काल से उनकी स्थिति में परिवर्तन प्रारम्भ हो गया जो अवनति के रूप में बाद के समय तक चलता रहा। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को समाज में श्रेयस्कर स्थान नहीं मिला, बल्कि अपेक्षाकृत निम्नस्थान ही प्राप्त हुआ जिसके प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक संकीर्णता थे। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने स्त्रियों में ऐसे जन्मजात दोष माने जिनके कारण वे पुरुषों की तुलना में हीन रहीं। उनके व्यक्तित्व में अस्थिरता का दोष प्रधान रूप से स्वीकार किया गया है।[5] साथ ही यह भी व्यक्त किया गया है कि उनमें न्याय की भावना अत्यल्प होती है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में ईर्ष्या की मात्रा अधिकाधिक है।[6] किन्तु भारतीय समाज में इस प्रकार की कोई भ्रान्ति नहीं है। भारतीय विचारकों ने स्त्रियों के प्रति आदर ही व्यक्त किया तथा इन्हे 'देवी' और 'श्री' का प्रतीक माना है।

भारतीय समाज के प्रत्येक क्षेत्र में वह समानरूप से आदृत और प्रतिष्ठित थी। शिक्षा, धर्म, व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में उसका महान् योगदान था। वह स्वतंत्रतापूर्वक शिक्षा ग्रहण करती थीं और स्वतंत्रता –पूर्वक विचरण करती थी। नववधू भवसुर –गृह की साम्राज्ञी होती थी।

ऋग्वेद में कहा गया है–

साम्राज्ञी स्वसुरे भव साम्राज्ञी अधिदेवृशु।[7]

अभिज्ञाशाकुन्तलम् में भी इसी तरह सम्राट पुत्र को प्राप्त करने का आशीर्वाद महर्षि कश्यप शकुन्तला को देते हैं– सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पूरूमाप्नुहि।[8]

अर्थात् उस (शर्मिष्ठा) ने जिस प्रकार (सम्राट पुत्र) पुरू को (प्राप्त किया) उसी प्रकार तू भी सम्राट पुत्र को प्राप्त कर। महर्षि कश्यप के आश्रम की तपस्विनी शकुन्तला को पतिगृह जाते समय आशीर्वाद देती है – जाते, भर्तुर्बहुमानसूचकं महादेवी शब्दं लभस्व[9]। अर्थात् पुत्री, पति के बहुत सम्मानसूचक 'महारानी' शब्द को प्राप्त करो।

अभिज्ञानशाकुन्तलम् की रचना 375–413 ई0 के मध्य हुई। ऐसा कई मतों से प्राप्त होता है। महाकवि

कालिदास ने नवबधू हेतु 'महादेवी' सम्बोधन का प्रयोग करके तत्कालीन समाज की स्त्री के प्रति सम्मानजनक मानसिकता दृष्टव्य होती है।

पत्नी पति के साथ प्रत्येक कार्य में सहयोग करती थी। इस प्रकार वह पुरुषों की ही तरह समाज की स्थाई और गौरवशाली अंग थी। वह अत्यन्त सुशिक्षित, सुसभ्य और सुसंस्कृत होती थी। पारिवारिक और सामाजिक सभी कर्त्तव्यों का वह निष्ठापूर्वक पालन करती थी। वह पति के साथ मिलकर गृह के याज्ञिक कार्य सम्पन्न करती थी।[10] वस्तुतः स्त्री और पुरुष दोनों यज्ञ रूपी रथ के जुड़े हुये दो बैल थे।[11]

स्त्रियों की शिक्षा वैदिक युग में पुरुषों के समान थी। शिक्षित कन्या की प्राप्ति के लिये विशेष अनुष्ठान की आयोजना की जाती थी।[12] पुरुषों की तरह वह भी ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करती हुई शिक्षा ग्रहण करती थी और अपने को विदुषी बनाती थी। उस युग के जो स्त्री–पुरुष शिक्षित थे वे विवाह के योग्य समझे जाते थे [13]। ऐसी भी स्त्रियाँ थीं जो एक निष्ठता के साथ जीवन पर्यन्त विद्याध्ययन में लगी रहती थीं और ब्रह्मवादिनी कहीं जाती थीं। जिन्होंने ऋग्वेद तथा अन्य वेदों की अनेक ऋचाओं का प्रणयन किया था। लोपामुद्रा, सिक्ता, घोशा आदि ऐसी ही पंडिता स्त्रियाँ थीं। ब्रह्मयज्ञ में जिन ऋषियों की गणना की जाती थी उनमें सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी आदि विदुषियों के नाम लिये जाते हैं जिनकी प्रतिष्ठा वैदिक ऋषियों के समान थी। विदेह शासक जनक ने यज्ञ के अवसर पर जो धार्मिक शास्त्रार्थ आयोजित किया था, उसमें गार्गी ने अपनी अद्भुत प्रतिभा, विलक्षण तर्कशक्ति, विचक्षण मेधा और सूक्ष्म विचार –तंतुओं से दुरूह प्रश्नों की पृच्छायें करके याज्ञवल्क्य ऋषि के दाँत खट्टे कर दिये। इन साक्ष्यों से यह विदित होता है कि उस युग में स्त्रियाँ बिना पर्दे के स्वतंत्रतापूर्वक पुरुषों के साथ विद्वगोष्ठियों और दार्शनिक वाद–विवादों में सम्मिलित होती थीं। समाज में पुरुषों की तरह ही आदृत थीं। सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में वे अलंकृत होकर बिना किसी प्रतिबंध के उन्मुक्त होकर हिस्सा लेती थी। अनतिपृश्न्याँ वै देवतामपिपृच्छसि।[14]

रामायण में सीता जी का विचरण तथा महाभारत में द्रौपदी का भ्रमण उनकी उन्मुक्तता और स्वतंत्रता व्यक्त करती है। सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। महाभारत में पुत्री को पुत्र के समकक्ष स्वीकार किया गया हैं –

यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा।
तस्यामात्मानि तिष्ठन्त्यो कथमन्या धनं हरेत् [15]।।

कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में पुत्री के प्रति सदाशयता दर्शित करते हुये अभ्रातृ कन्या को उत्तराधिकारी घोषित किया है, चाहे उसे कम ही हिस्सा क्यों न मिले।[16]

इस प्रकार ऐसे विचारकों साहित्कारों का विकसित वर्ग दिखाई पड़ता है, जिसने नारी के समान अधिकार की संपुष्ट करने वाले साहित्य का प्रतिपादन किया तथा उसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति का आकलन किया। ऐसे साहित्यकारों ने नारी के प्रति अत्यन्त उदार और संवेदनशील मत की अभिव्यंजना की।

वर्तमान साहित्य में स्त्री विमर्श संबंधी चुनौतियाँ स्पष्टरूप से दृष्टव्य है। वर्तमान की स्थिति कुछ इस प्रकार है –

क्यों लगता है स्त्री को
कि
वह नहीं सुनता उसकी
वर्षों से
एक मोटी दीवार के
पीछे से
कहती रहती है वह
अपने उदगार
या
जिसे वह पुकार कहती है
वह महज गूंज हो
आवारा सन्नाटों की
जिनसे वह दिन–भर उलझी हैं
शायद वह नहीं जानती
कितना भयावह शोर है
घर से बाहर की दुनिया में

कितने प्रश्न दूसरों के

कितनी शिकायतें अपनों की

कितनी चीखें मासूमों की

शायद पहुँचती ही न हो

उसकी वह मन्द–मन्द सी पुकार।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. रोबैक, द साइकालाजी बव कैरैक्टर, पृ0 600.
2. फायड ,इण्ट्रोडक्टरी लेक्चर्स आन साइको ऐनैलिसिस ,पृ0 134
3. ऋग्वेद, 10, 85, 46।
4. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, 4/7
5. अभिज्ञाशाकुन्तलम, पृ0 202, रामनारायण लाल विजय कुमार इलाहाबाद।
6. ऋग्वेद, 1, 72, 5।
7. तैतिरीय ब्राह्मण 3,75।
8. महाभारत, 13.80.11
9. अर्थशास्त्र 3.5
10. मनुस्मृति
11. संस्कृत लोकोक्ति कोश,शशि तिवारी पृ0 38
12. ऋग्वेद, 81.98.11
13. अथर्ववेद, 3.30.2
14. ऋग्वेद , 4.6.7